राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 3] षष्ठम विधान सभा के तृतीय सत्र का 11वां दिवस [संख्या 10

1] [2

शुक्रवार,

दिनांक 10 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 144

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती नारंगी देवी।

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान (भटरू) : क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछ लिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इजाजत दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या 145

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बत्तीलाल।

सवाई माधोपुर जिले में फसल को क्षति

146. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फरवरी, 1978 में सवाई माधोपुर जिले के किसानों की सरसों, धनियां एवं चना आदि की फसल को पाला मार गया है तथा ओलावृष्टि से काफी क्षति हुई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे गरीब किसानों को कुछ सहायता देने का इरादा रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : जी हां। सवाई माधोपुर जिले में सर्दी एवं ओलावृष्टि के कारण सरसों, धनियां व चना तथा रबी की फसलों को क्षति हुई है। ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को 75 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति की स्थिति में तात्कालिक राहत व्यवस्था हेतु राज्य सरकार ने 1 क्विन्टल तक गेहूं प्रति परिवार निःशुल्क सहायता देने हेतु जिलाधीशों को अधिकृत कर दिया है तथा क्षति का अनुमान लगाने हेतु फसल की विशेष गिरदावरी कराने के

Page No. 2

(2)

(श्री दिग्विजय सिंह)

आदेश भी दे दिये गये हैं। उपरोक्त के अलावा आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में एवं उनके आसपास परीक्षण राहत कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में भी जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री बल्लीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो क्षति ओलावृष्टि के कारण हुई है, इसी साल हुई है या पिछले साल भी किसानों को ऐसी क्षति होती रही है ?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : धनिये की फसल झालावाड़ और पिड़ावा में नष्ट हो गई है ? उत्तर तैयार हो तो बताने की कृपा करें।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर स्पष्ट है। जहां जहां इस प्रकार की क्षति हुई है वहां ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति के बारे में कल भी वादविवाद हुआ था और उसका उत्तर दिया गया था। यह तो सब जगह लागू है।

श्री ईश्वरचन्द्र : झालावाड़ जिले में आपने····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री ईश्वरचन्द्र : किसानों का सवाल है। झालावाड के बारे में बोलते ही नहीं हैं। तहसील पिड़ावा के बारे में बताते ही नहीं हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह सवाल मेरे से सीधा संबंधित नहीं है। सवाईमाधोपुर के बारे में जो जानकारी है, वह मैंने बता दी।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा जो नुकसान होता है, चाहे धनिये का हो, चाहे चने का हो, उसमें राज्य सरकार काश्तकारों को, जिनकी क्षति हुई है, मेक्सीमम कितनी सहायता देने के लिये अधिकृत है ? किस तरह के नियम हैं आपके ? जैसा अभी आपने फर्माया कि 1 क्विन्टल गेहूं को प्रति परिवार सहायता दी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मेक्सीमम आप कितनी सहायता दे सकते हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : आपने अभी अभी कहा कि हमने गिरदावरी कराने के आदेश दे दिये हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि गिरदावरी के आदेश कब दिये ? आदेश संख्या बतादें।

श्री दिग्विजय सिंह : ओलावृष्टि से यदि कोई नुकसान हुआ है तो जैसा मैंने बताया, प्रति परिवार एक क्विंटल गेहूं देने के लिये अधिकृत कर दिया गया है। इसके अलावा यदि वर्षा से कोई नुकसान हुआ है तो कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रावतराम आर्य : यह आपने एक जगह की बात बताई। पूरे राजस्थान का सवाल है। विभिन्न जगहों पर ओलावृष्टि से, अनावृष्टि से किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है। जो नुकसान होता है उस पर कितने पर्सेन्ट आप मेक्सीमम सहायता देते हैं ? राज्य सरकार की नीति क्या है ?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रिलीफ कोड के अनुसार रिलीफ दिया था

(श्री दिग्विजय सिंह)
सकता है। कोई अलग से अगर क्षति होती है तो कम्पेनसेशन देने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मूलचन्द डागा : जनता सरकार की नीति क्या है? हम तो नीति जानना चाहते हैं। दिशाहीन ही है क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि बहुत पुराना कोड है। आप भी इधर पक्ष में बैठते थे, तब आपने क्या नया बनाया ?

एक माननीय सदस्य : यह भी अंग्रेजों की सन्तान हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : मैं एक सवाल करना चाहूँगा ...

श्री मूलचन्द डागा : यह शब्द हटा दिये जायं कि अंग्रेज की सन्तान थे। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं। फेमिन रिलीफ कोड में ओलावृष्टि से जो भी किसान को नुकसान होता है उसके लिए सहायता का कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि ओलावृष्टि से होने वाला नुकसान है वह सब से ज्यादा भयंकर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कल भी इस विषय पर बोल चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे फसल पर ही नहीं, भेड़ों तक पर मार पड़ती है। हजारों भेड़ों पर, जो कतरी हुई होती हैं, ज्यादा असर होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बजरंगलाल शर्मा।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सामान की खरीद

147. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले 5 वर्षों में किन किन राज्य अधिकारियों की पत्नियों से कितना कितना माल खरीदा ? निगम ने राज्य के किन किन अधिकारियों की पत्नियों का माल कन्साइनमेंट बेसिस पर रखा ?

(2) कितनी ऐसी फर्म्स या सोर्सेज से कारोबार या व्यापार किया जिनमें राज्य के अफसरों की पत्नियां प्रोपराइटर या भागीदार थीं ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री नंदलाल मीणा) : (1) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में 1972-73 से 1976-77 तक किसी भी राज्य अधिकारियों की पत्नियों से सीधी खरीद नहीं की गई है। किन्तु संलग्न सूची 'अ' में अंकित फर्मों से निगम द्वारा अधिकांशतः सामान कन्साइनमेंट बेसिस पर रखा गया है एवं आवश्यकता अनुसार माल की खरीद की गई है।

Page No. 4

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम के पास ऐसी तथ्यपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि जिन फर्मों से सामान क्रय किया गया है उनमें किस किस राज्य अधिकारी की पत्नी प्रोपराइटर या भागीदार है। उपलब्ध सूचना के आधार पर परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध सूची में अंकित फर्मों में राजकीय अधिकारियों की पत्नी का सम्बन्ध हो सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा प्रश्न बहुत साफ है। यह हिन्दी में किया गया है इसलिए भ्रम नहीं हो सकता। 'राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले पांच वर्षों में किन किन राज्य अधिकारियों की पत्नियों से कितना कितना माल खरीदा ?' इसका उत्तर या तो 'ना' में हो सकता था या 'हां' में और अगर हां में है, और अमुक अमुक फर्मों से खरीदा है तो कौन-कौन राज्य अधिकारी है जिनकी पत्नियों का फर्मों से सम्बन्ध हो सकता है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, पतियों का नाम लेने में पत्नियां सकोच करें, यह हो सकता है लेकिन माननीय मंत्री महोदय को उन अधिकारियों की पत्नियों का नाम लेने में संकोच है जिनसे माल खरीदा गया है, कन्साइनमेंट बेसिस पर रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : अगर पत्नी ने डाइवोर्स कर दिया हो तो ?

एक माननीय सदस्य : आप तो इन्वोल्व नहीं हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : आपने जवाब दिया, सीधा नहीं खरीदा, इन-डाइरेक्ट खरीदा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : यह तो सिद्ध कर दिया कि पत्नियों से माल खरीदा। सीधा नहीं खरीदा, असीधा खरीदा। वह असीधा क्या है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय रामनारायण जी को जानकारी है तो वह बता दें कि किन किन अधिकारियों की पत्नियों से माल खरीदा गया है ? यह जानकारी दे दें।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार को अधिकारियों की पत्नियों से माल लेने का अधिकार है या नहीं ? और अगर है, तो क्या यह उचित है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले नाम तो आ जाय, रेगुलेरिटी, इर्रेगुलेरिटी, औचित्य–अनौचित्य का प्रश्न बाद में उठता है।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पांच फर्में हैं। मैसर्स कुमकुम हैन्डी क्राफट, श्रीमती सिंघा धर्मपत्नी जी. पी. सिंघल जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं...

एक माननीय सदस्य : किसकी धर्मपत्नी हैं ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : जे. पी. सिंघल की पत्नी श्रीमती सिंघा, यह कैसे हो सकता है ? आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिये

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
आप आफिसर्स को पूछ लीजिये। सिघा का हजबेन्ड सिघल कैसे हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिघा का फेमिनाइन जेन्डर सिघल बना दिया गया है।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन पांच फर्मों की जानकारी है उसमें मैसर्स वनिता स्टोर की भागीदार है वनिता जो एल. पी. सिंह की धर्मपत्नी है, जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सेवा में किस पद पर कार्यरत है– सिपाही है या सी. एस. है, क्या है?

(व्यवधान)

एल. पी. सिंह क्या है What is he? किस अधिकारी की धर्मपत्नी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आपको डेजिगनेशन मालूम हो तो बता दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तैयार नहीं हैं इसके लिये तो स्थगित कर दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एल. पी. सिंह क्या है राज्य सरकार में?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं आया। सुनने में कुछ भी नहीं आया अभी तक।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कृपया जोर से बोलें। अगर सूची काफी लम्बी है तो सदन की मेज पर रख दें।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : पांच फर्म हैं···

श्री ओंकारलाल चौहान : प्रश्न यह था, किन किन अधिकारियों की पत्नियां इन्वोल्व है?

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री महोदय को उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनका क्या डेजिगनेशन है, यह तो बता दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : मैसर्स वनिता हैन्डी क्राफ्ट एम्पोरियम यह धर्म पत्नी है डा. एल. पी. सिंह की यह राज्य सेवा में कार्यरत हैं। सूची बाद में पेश कर दूंगा···

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मंत्री महोदय, पूरी जानकारी करके सदन में आयें।

श्री बजरंलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कल के लिये स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नियमों अनुसार प्राथमिकता दूंगा इसको।

नैक्स्ट।

श्री ईश्वर चन्द्र।

एस. डी. एम. कोर्ट, झालावाड़ में विचाराधीन मामले

148. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एस. डी. एम. कोर्ट, झालावाड़ में भवानी मंडी, तहसील पचपहाड़ व तहसील गंगधार एवं तहसील पिड़ावा के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार एस. डी. एम. न्यायालय भवानी मण्डी में स्थापित करने का इरादा निकट भविष्य में रखती है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) परगना अधिकारी झालावाड के न्यायालय में कुल 305 प्रकरण विचाराधीन हैं। इनमें तहसील पचपहाड़ के 288 पिड़ावा के 6 एवं गंगधार के 11 प्रकरण सम्मिलित हैं। भवानी मण्डी का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं, प्रशासनिक मितव्ययता एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रस्ताव पर विचार सम्भव नही है।

श्री ईश्वर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सदन की कार्यवाही मे जो पहले मंत्री महोदय थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में ही स्थापित कर देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि एस. डी. एम., कोर्ट भवानी मण्डी में जितने प्रकरण थे वे सब एस.डी.एम. ने ट्रान्सफर कर दिये कलेक्टर को जो ओरीजिनली इन्स्टीट्यूट भवानी मण्डी मे हुये हैं। जिस आफिसर ने जवाब दिया है मंत्री महोदय को उस की गलती को भी देखना चाहिये। मंत्री महोदय स्वयं उस क्षेत्र के हैं। भवानी मण्डी में इतना बडा थाना है उसका एक भी मुकदमा एम. डी. एम. कोर्ट में पेन्डिंग नहीं है। हजारों मुकदमे हैं लेकिन कागजों में बताना नहीं चाहते हैं, वे सब मुकदमे कलेक्टर को ट्रान्सफर कर दिये हैं। आज गुजारिया से झालावाड 100 मील पड़ता है, लोग पेशी में जाते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि यह स्थापित नहीं हो सकता है। मैं यह कह सकता हूं भवानी मंडी में एस. डी. एम. कोर्ट की स्थापना होगी। एक जगह तो तीन तीन कोर्ट्स की स्थापना हो रही है और दूसरी तरफ एक भी कोर्ट स्थापित नहीं कर रहे है, क्यों नहीं कर रहे हैं ? अगले साल करेंगे, दो साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, कब तक करेंगे ? यह बता दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : बाध्य करिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वहां जाना मुश्किल हो रहा है। क्यों नहीं करेंगे, साहब ? आपको करना होगा।

श्री मूलचन्द डागा इसमें बड़ा सवाल है। इनको रि-काल करने का सवाल है। जनता रि-काल करेगी मेहरबानी करके विचार करिये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार तहसीलों के उप-खण्डों के पुनर्गठन के बारे में एक कमेटी का गठन करने का विचार कर रही है जो जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश देगी। उस कमेटी के पुनर्गठन के बाद ही राज्य सरकार द्वारा विचार किया

Page No. 7

(7)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)।

जाना सम्भव हो सकेगा। इस कमेटी में निम्न सदस्य होंगे :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अथवा सदस्य चेयरमैन

2. विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्व सदस्य

3. एक आई. ए. एस. अधिकारी सीनियर अथवा जिन्हें 7 साल का जिलों का अनुभव हो सदस्य

4. एक आर. ए. एस. अधिकारी जिन्हें भू-प्रबन्धक राजस्व का अनुभव हो सदस्य

5. निबन्धक, राजस्व मण्डल सदस्य

श्री मूलचन्द डागा : जब किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना हो तो इसी प्रकार टाल दिया जाता है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इस प्रकार की एक समिति . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को पूरी बात निवेदन कर देने दें, डागा साहब।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उक्त समिति क्षेत्र में ग्रामों की संख्या, जनसंख्या भू-राजस्व और अन्य मण्डलों की संख्या, राजस्व सर्किल एवं पुलिस थाने आदि आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अपना माप-दण्ड निर्धारित करेगी जिसके आधार पर एक तहसील का पुनर्गठन किया जा सके। ऐसे उप-खण्ड जो न्याय एवं व्यवस्था तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं और जो प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी आवश्यक हैं, उनका निर्धारण करेगी। ऐसे उपखण्डों अथवा तहसीलों की इकाई का पुनर्गठन स्थानीय साधनों एवं स्थानीय कार्यों के आधार पर और आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इस कमेटी का प्रतिवेदन आने पर एक सुनियोजित योजना बनाई जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : एक तरफ तो मंत्री महोदय ने कहा कि यह सम्भव नहीं है और दूसरी तरफ समिति बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने एस. डी. ओ. कोर्ट और एस.डी.एम. कोर्ट के बुनियादी फर्क को या तो समझा ही नहीं है या जान बूझ कर समझना नहीं चाहते हैं। एस.डी.एम. कोर्ट व एस.डी.ओ. कोर्ट में बुनियादी फर्क है। जो कमेटी बनाई जा रही है वह एस. डी.ओ. कोर्ट्स की मांग को लेकर बना रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं एस. डी.एम. कोर्ट की स्थापना के बारे में। मैंने यह सवाल भी विधि मंत्री से ही पूछा था। एक आदमी को भूख लग रही थी और वह आदमी भूख से मर रहा था तो मंत्री महोदय ने कहा कि तेरे ऊपर आयोग बिठायेंगे जो जांच करेगा कि तुझे भूख क्यों लग रही है। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जावे तू मरना मत, भूख से मरना मत। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुनर्गठन समिति से मेरे क्षेत्र की एस. डी. एम. कोर्ट का क्या सम्बन्ध है? वहां पर अभी भी हजारों आदमियों को दिक्कत आ रही है,

(व्यवधान)

(8)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : मंत्री महोदय, इस प्रकार के मामले को क्यों टालने की कोशिश कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, यह झालावाड़ जिले का मसला है, मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : मंत्री महोदय एक तरफ कह रहे हैं कि वित्तीय साधन नहीं हैं तो दूसरी तरफ इस प्रकार की कमेटी क्यों बना रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपना सवाल कर दिया, अब बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह विचार नहीं रखते कि झालावाड़ और भवानी मण्डी में एस.डी.एम. कोर्ट होनी चाहिए ? क्या वह यह समझते हैं कि इस मांग का कोई औचित्य नहीं है ? भवानी मण्डी में जो एस.डी.एम. कोर्ट की मांग हैं उसको क्या मंत्री महोदय ठीक नहीं समझते ? कृपया इसका जवाब दें।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है...

श्री दुलाराम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की स्थापना कितने अर्से में कर दी जाएगी ? क्या इसकी स्थापना सन् 1981 तक कर दी जायेगी ? क्या यह कमेटी सन् 1981 में कार्य चालू कर देगी ? अगर 1981 में कार्य चालू कर देगी तो क्या 22 जून, 1982 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ?

श्री उपाध्यक्ष : No more supplementary, मंत्री महोदय क्या उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सदस्यों ने जो पूरक प्रश्न उठाए हैं, मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि सभी जगहों से रिप्रेजेण्टेशन्स आए थे, सारे राजस्थान से कि हमारे यहां तहसील बननी चाहिए, हमारे यहां पर एस. डी. ओ. और एम. डी एम. कोर्ट होनी चाहिए और इन सब बातों पर विचार करके ही, इन सारे रिप्रेजेण्टेशन्स को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी को बनाने का विचार किया जा रहा है। इसके बाद यह प्रश्न झालावाड़ और भवानीमण्डी का नहीं रह जाता, सारे राजस्थान का हो जाता है। इसीलिए इस कमेटी को बिठाने का विचार किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जा रहा है, यह विश्वास रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का निर्माण कब हो जावेगा, यह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री समरथलाल।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या इस कमेटी में जिलों के पुनर्गठन पर भी विचार किया जायगा ?....

(व्यवधान)

Page No. 9

(9)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मामरिया जी, आप विराज जाइये।

श्री ईश्वरचन्द्र : मंत्री महोदय कम से कम यह तो बता दें कि इस मांग का औचित्य भी है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पर्याप्त उत्तर दे दिया है।

नेक्स्ट। श्री समरथलाल।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री की व्यक्तिगत राय कुछ नहीं होती है।

प्रश्न संख्या 149

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरथलाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिए)

श्री रामसिंह विश्नोई।

राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कृषि फार्म

150. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सरकारी कृषि फार्म कितने हैं जो विभाग द्वारा चलाये जाते हैं? ये फार्म लाभ में चल रहे है या हानि में ?

(2) गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ कितना खर्चा आता है व प्रति एकड़ आमदनी क्या होती है ?

(3) क्या यह सही है कि गेहूं की फसल के उत्पादन मे जमीन की कीमत का ब्याज, बीज, खाद, बिजली, पानी, जुताई, बुआई, निदान, दवाइयां, कटाई, उपनाई, पूंजी पर ब्याज, घिसाई आदि पर जो खर्चा आता है और उससे जो उपज प्राप्त होती है उसे निर्धारित दर 110) रु. से बेचने पर राज्य में कुओं से सिंचाई वाले क्षेत्रों में हानि होती है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार निर्धारित दर 110) रु. को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करना उचित समझेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार के पास प्राकृतिक प्रकोप से फसलों में होने वाली हानियों के रोकने हेतु फसल बीमा योजना लागू करने की योजना है ? अगर हां, तो ऐसी योजना को राज्य सरकार कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) विभाग द्वारा 20 कृषि प्रक्षेत्र चलाये जा रहे हैं जिनमें 16 प्रक्षेत्र हानि में और 4 प्रक्षेत्र लाभ में चल रहे हैं।

(2) जिन्स उत्पादन सर्वेक्षण के अनुसार :—

(क) गेहूं में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों पर प्रति एकड़ 1070.70 रुपये व देशी किस्म पर 848.10 रुपये खर्चा आंका गया है।

(ख) अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों पर 967.82 रुपये व देशी किस्मों पर 810.64 रुपये आमदनी आंकी गई है।

(3) जी हां, राज्य सरकार के द्वारा इस विषय में कृषि मूल्य निर्धारण कमीशन (एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन) के सम्मुख अपने विचार रखे गये है जिनका जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(4) जी नहीं, राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप से इस योजना को स्वीकार किया है। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन को फिर से आग्रह किया जावेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो फार्म घाटे में चल रहे हैं उसका क्या कारण है ? दूसरे आपने यह जो आंकड़े बताए हैं पर-एकड़ आमदनी के इसमें आपने कुओं से सिचाई करने की कीमत नहीं बल्कि शायद नहरों से सिंचाई की कीमत को भी शामिल कर लिया है। वरना सामान्यतः 250) रु. प्रति एकड़ घाटा होता है। इसलिए क्या आप इस पक्ष में हैं कि इसकी दर बढ़ाई जाय ? क्या आपने केन्द्रीय सरकार को अपना कोई विचार या अपना पक्ष प्रस्तुत किया है ? तीसरी बात यह है कि जो आपने यह कहा है कि फसल बीमा के लिए कोई योजना नहीं है तो मौजूदा हालत में जब कि राजस्थान में अकाल पड़ता है, कभी ज्यादा बरसात हो जाती है तो ऐसी हालत में फसल बीमा कराने का इरादा क्या राज्य सरकार नहीं रखती ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : मंत्री महोदय से एक पूरक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं··

श्री श्योपतसिंह मकासर : प्रश्न का उत्तर तो आने दो, उसके बाद सप्लीमेन्ट्री करना।

(व्यवधान)

पहले सप्लीमेंट्री का उत्तर आ जाये। उसके बाद दूसरा सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सदस्य मना करने वाले कौन हैं ? अगर मना करना होगा तो उपाध्यक्ष महोदय कर देंगे। आप बीच में कौन हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : रूक पड़ लो, भाई। पहले एक प्रश्न का उत्तर आने दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले एक सप्लीमेंट्री का जवाब आ जाए उसके बाद दूसरा प्रश्न करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं यही निवेदन कर रहा था··

श्री उपाध्यक्ष : आपका सुझाव मैंने सुन लिया। आप बिराजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा गया है कि सिचाई के ऊपर जो घाटा आता है वह किस प्रकार आता है। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह जो आंकड़े हैं ये सर्वे के अनुसार ही तैयार किये गये हैं। मैं समझता हूं कि 1070) रु. प्रति एकड़ जो खर्चा आता है और उसके अनुसार जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। जो आमदनी होती है वह 697.82 रु. है। इसमें घाटा जा रहा है। इसी प्रकार यह देशी किस्म के बीज में 848.10 रुपये खर्चा आता है और 81.64 रु. आमदनी होती है। इसमें भी घाटा स्पष्ट है। इसकी सपोर्ट प्राइस 110) रु. रखी गई है। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अपने विचार एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के सामने रखे हैं। उसको इस बात का निवेदन किया गया है कि इस प्रश्न पर पुनः विचार करे।

(श्री दिग्विजय सिंह),

दूसरा आपने फसली बीमे के बारे में कहा तो मैंने अपने उत्तर में आपसे निवेदन किया है कि राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन को इस सम्बन्ध में लिख दिया गया है। उनसे इस सम्बन्ध में पुनः आग्रह किया जा रहा है कि इसको टेक अप करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन : मंत्री महोदय ने बताया कि सपोर्ट प्राइस 110) रु. कम है बढ़ाने के लिए आपने सुझाव दिया है। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि राज्य सरकार ने उनको कितने रुपये का सुझाव दिया है ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य को मैं इससे संतुष्ट करवा दूंगा।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो घाटा आता है साल में वह प्रति एकड़ के हिसाब से कितना पड़ता है ? मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना नहीं। मैंने स्पष्ट बतलाया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): जिन 10 फार्मों में घाटा हुआ है वह कितना घाटा हुआ है ?

श्री दिग्विजय सिंह : 4 में लाभ है और बाकी सब के अन्दर घाटा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कितना घाटा है and total cost per farm incurred ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको निवेदन कर देता हूं। सवाई माधोपुर में 1972–73 में 17,413) रु. का घाटा है। 1973–74 में 1462 का लाभ हुआ 1975–76 में 23,242 का घाटा हुआ है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में ही 1972–73 में 22,140) रु. का घाटा हुआ, 1973–74 में 10,894) रु. का घाटा हुआ, 1974–75 में 27,528) रु. का घाटा हुआ और 1976–77 में 46,172) रु. का घाटा हुआ है। मलारना डूंगर फार्म है....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपका उत्तर काफी है। आप इस सूचना को सदन की मेज पर रख दें।...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पांच साल से घाटा हो रहा है, यह क्यों है ?

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आप ये घाटे के फार्म कब तक चालू रखेंगे ? मेरा सुझाव है कि इन फार्मों की जमीन गरीबों में बांट दी जाए।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो हजारों रुपयों का घाटा इन फार्म्स में हो रहा है, क्या वे इस घाटे के अन्दर जाने की कोशिश करेंगे, इसके कारणों का पता लगायेंगे और इस घाटे को रोकने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि नई विस्तार प्रणाली के अंतर्गत 8 फार्म्स को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अन्य कृषि फार्म्स को ट्रान्सफर किया जा रहा है। श्री माधोपुर जिला सीकर, बिलाड़ा जिला जोधपुर के फार्म्स को विभाग के अधीनस्थ बीज गणन हेतु रखा जायेगा। इसी प्रकार पलासना के फार्म को भेड़ एवं ऊन विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कृषि फार्म जेठा जिला जैसलमेर को भी विकास अधिकरण जैसलमेर के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने तो यह पूछा है कि कारणों की जांच करेंगे या नहीं ? यह बताया जाए।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा: जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं, उनको हटाकर फार्म्स की जमीन गरीबों को बांट दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : घाटे के कारणों की जांच करवा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें···

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : घाटे के कारणों की जांच की जायेगी, यह पहले बताया जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : आयोग बिठाइये।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय इस घाटे का मूल कारण ओवरहेड एक्सपेन्डीचर और मिस मैनेजमेन्ट रहा है। इस सम्बन्ध में और जानकारी कर ली जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आज तक इन फार्मों में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है और टोटल घाटा कितना हुआ है ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कह कर आप इसको टाल रहे हैं. .

श्री उपाध्यक्ष : जो सूचना है, वह सदन की टेबल पर रख दी गई है। इसका टोटल आप निकाल सकते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक आवश्यक प्रश्न है।

क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन कृषि फार्मों पर जो बड़े-बड़े हाथी बिठा रखे हैं, उनकी वजह से यह घाटा हो रहा है तो वह जमीन गरीबों को अलाट कर देंगे और इन हाथियों को राजस्थान नहर पर मिट्टी खोदने के लिए भेजेंगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न से यह साफ जाहिर हो गया है कि राज्य सरकार के पास सभी प्रकार की सुविधाएं बीज, बिजली, पानी आदि की होते हुए भी वह इन फार्मों को घाटे पर चला रही है। राज्य सरकार इनको चलाने में सक्षम नहीं है तो फिर किसानों की क्या हालत होती होगी जो सदियों से खेती करते आ रहे हैं। इन घाटों के कारण सरकार इन फार्मों को ट्रान्सफर कर रही है परन्तु ये किसान किसको अपनी जमीन ट्रान्सफर कर सकते हैं जिनको हमेशा घाटा होता है ? क्या राज्य सरकार का इन किसानों पर रहम खाने का विचार है ? उनकी सुनवाई होती नहीं है। आपने तो यह जमीन ट्रान्सफर कर दी परन्तु किसान जमीन किस को ट्रान्सफर करेगा ? इसका जवाब दें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्ट्री है। मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि ये फार्म घाटे में चल रहे हैं। तो क्या यह सही है कि इन फार्मों पर जो फार्म मैनेजर हैं वे अधिक समय से लगातार फार्म के मैनेजर चले आ रहे हैं ? इसके साथ-साथ क्या यह भी सही है कि फार्म मैनेजर बने रहने के कारण वे अपने उच्च अधिकारियों को फार्मों का गेहूं व अन्य चीजें सप्लाई करते रहते हैं ? क्या यह भी सही है कि इसके कारण इन फार्म मैनेजर्स की आए दिन शिकायत होने पर भी इनका ट्रान्सफर नहीं होता है ?

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से यह साफ है कि सरकारी जो फार्म हैं, वहां पर लगातार घाटा हो रहा है बावजूद इसके कि उनको फर्टीलाइजर, पानी, बिजली, सीड इत्यादि की पूरी सुविधा है। इसका मतलब यह है कि या तो सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है या वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर जो बड़े किसान हैं, जिनके पास उनके अपने फार्म हैं, उनकी हालत भी खराब है। इसलिए यह बात मानना कि बड़े किसान लैण्ड लार्ड हैं, बिलकुल गलत है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार को खेती में घाटा होता है जिसके पास साधन है तो किसानों की क्या हालत है जिनको बिजली, पानी, खाद, बीज की पूरी सुविधा नहीं मिलती है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसकी जांच का आश्वासन क्यों नहीं देते हैं ? जब यह मालूम है कि मिसमैनेजमेन्ट है, भ्रष्टाचार है तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी और करवाएंगे।

श्री सामरिया।

सवाई माधोपुर जिले में विकास कार्यों के लिए ली गई भूमि का मुआवजा

151, श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए किसानों से ली गई कृषि भूमि व कुओं

Page No. 14

(१५)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
आदि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया जब कि भूमि को लिए दस से बीस वर्ष तक भी हो गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग पर राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में मुआवजा देने का वायदा किया है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) जी हां । सवाई माधोपुर जिले में विकास कार्य के लिए जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है उनकी सूची संलग्न है। मुआवजा नहीं देने का कारण प्रत्येक के सामने अंकित है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भूमि अवाप्ति के सभी मामले, जिनमें कब्जा सरकार द्वारा लिया जा चुका है, 31-3-78 तक निपटा दिये जावें । सभी मामलों को निपटाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है । प्रगति उपरोक्त सूची में अंकित है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने यह प्रश्न पूछा था । मंत्री महोदय को निवेदन करना है कि भीलवाड़ा जिले के 32 किसानों को जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है । मंत्री महोदय ने यहां आश्वासन दिया था, वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानकारी चाहता हूं · · ·

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 152 ।

श्री करतारसिंह ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ अजमेर जिला

152. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक दृष्टि से अजमेर जिले का अपना महत्व है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक खनिज सामग्रियां उपलब्ध हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में उद्योग स्थापित करने हेतु वांछनीय सुविधाएं एवं साधन भी उपलब्ध हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार अजमेर जिले के औद्योगिक विकास को मद्देनजर रखते हुए इसे शीघ्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या अजमेर जिले में कोई भारी उद्योग लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वो कौन सी योजना है तथा उसकी क्रियान्विति कब तक संभव है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी हां ।

(2) अजमेर जिले में एसबस्टस, फलस्पार, केलसाइट, डोलोमाइट, एमेबसड गारनेट

(श्री नन्दलाल मीणा)
क्वार्टज, सोप स्टोन, सैण्ड स्टोन, चूना पत्थर व मारबल आदि खनिजों के भंडार हैं।

(3) पानी को छोड़कर उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक लगभग सभी वांछनीय सुविधाएं वर्तमान में अजमेर में उपलब्ध हैं।

(4) भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारों के अनुसार पिछड़े जिले भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। अजमेर जिला उक्त आधारों पर इस श्रेणी में नहीं आया था। फिर भी राज्य सरकार ने भारत सरकार को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश घोषित करने हेतु सिफारिश की है।

(5) अजमेर जिले (ब्यावर) में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा यथाशीघ्र 600 तकुओं का मिल संयुक्त क्षेत्र में लगाया जा रहा है तथा एच. एम. टी. की तकनीकी सहायता से निगम द्वारा घड़ी बनाने का एक उद्योग लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

श्री करतारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के प्रति इतनी उपेक्षा क्यों बरती जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार कर लिया है।

श्री करतार सिंह : औद्योगिक दृष्टि से अजमेर को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने के लिए बराबर कहा जाता रहा है। भारत सरकार और योजना आयोग की बात कह कर इस प्रश्न को टाला जा रहा है। क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि अजमेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या ब्यावर में सीमेण्ट उद्योग लगाने के लिए अनुज्ञा–पत्र मिल चुका है या नहीं ?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा...

श्री उगमराज मेहता : मैं मंत्री महोदय से...

श्री भंवर लाल ऐरन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि घड़ियों के कारखाने के बारे में जिक्र आया है। शायद मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है कि अजमेर में घड़ियों का कारखाना लगेगा। फिर विचार करने की बात है।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो 6 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं, उनको राज्य सरकार क्या सुविधाएं दे रही है ?

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): क्या राज्य सरकार को यह ज्ञात है कि ब्यावर के आस-पास चूना पत्थर ऐसा है कि जिससे सीमेंट बनता है ? वहां उसके भण्डार हैं जिससे सवाई माधोपुर जैसी फैक्ट्री 100 वर्ष तक काम कर सकती है ? तो क्या ब्यावर में

(मेजर श्री फतहसिंह)
सरकार सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की शीघ्र स्वीकृति देगी ?

श्री नूरा (मसूदा) : क्या यह सही है कि बिड़ला को सीमेंट फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस दिया गया था ? क्या उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय उत्तर देंगे ?

श्री कल्याणसिंह सांखला : कृपया मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री नन्दलाल मीणा : भारत सरकार की ओर से जो 6 जिले घोषित किये गये हैं, केन्द्रीय अनुदान हेतु वह हैं—अलवर, जोधपुर, चूरू, उदयपुर, भीलवाड़ा और नागौर। इसके अतिरिक्त बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, सीकर झुन्झुनू झालावाड़, टौंक, जालौर को 15% अनुदान देंगे। पूंजी नियोजन 10 लाख रुपये से अधिक न हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री पूछिये।

श्री नूरा : मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया है।

मेजर श्री फतह सिंह : ब्यावर के आस-पास चूना पत्थर मिलता है जिससे सीमेन्ट बनता है। सवाई माधोपुर जैसी फैक्ट्री 100 वर्ष तक काम कर सकती है।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी मंगवा ली जायेगी।

मेजर श्री फतहसिंह : Are you not prepared ?

श्री मूलचन्द डागा : आपको मालूम नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जब से राजस्थान में मिला है, उसकी उपेक्षा हुई है। कांग्रेस राज में भी उपेक्षा हुई है और अब जनता सरकार में भी उपेक्षा हो रही है। कृपया अजमेर के साथ न्याय करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैंने एक प्रश्न पूछा था।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में जहां तक कच्चे माल की बात है, वह भरतपुर में नहीं है। भरतपुर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना चाहिए। एक ओर उसके आगरा है, दूसरी ओर अलवर है, तीसरी तरफ मथुरा है। ये सारे लगते हुए इलाके पिछड़े हुए माने गये है। फिर भरतपुर को पिछड़ा हुआ क्यों नहीं घोषित किया जाता है ?

श्री मूलचन्द डागा : वाह, वाह।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नूरा : मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। उसका जवाब नहीं आया है।

श्री कल्याण सिंह सांखला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई जवाब मन्त्री महोदय ने नहीं दिया है।

श्री नूरा : मैंने प्रश्न पूछा था, क्या बिड़ला को सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस दिया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया है, वह पर्याप्त है ।

श्री नूरा : लाइसेंस दिया गया था या नहीं ? इसका जवाब नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी मंत्री महोदय से सम्बन्धित नहीं है । नया प्रश्न पूछ रहे हैं आप ?

श्री करतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह आवश्यक नहीं समझता हूं ।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है, इसको स्थगित किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नया प्रश्न पूछ सकते हैं ।

नैक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 153

श्री बाल चन्द्र आर्य ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री कमलेन्द्र सिंह ।

दरोली (जि. उदयपुर) के सरपंच को अलाट की गई भूमि

154. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरपंच, दरोली (जि. उदयपुर) को सन् 1957 से 1969 तक कब कितनी कितनी सरकारी जमीन अलाट की गई ?

(2) सरपंच, दरोली ने सन् 1957 से 1969 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कितनी जमीन कब कब अपने नाम पर खाते करवायी है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, आप विराज जायें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : हरिदेव जोशी के दिनों से अजमेर की उपेक्षा की गई ।

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में 1957 से 69 तक की जानकारी चाही गई है । वह आई नहीं है । इसको स्थगित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कारण है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : 12 साल की जानकारी चाहते हैं ।

श्री ईश्वरचन्द्र : हर जगह सरपंचों ने घोटाले किये हैं ।

Page No. 18

(18)

श्री मूलचन्द डागा : वेरी आयोग बैठा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मूल्यांकन कराना जरूरी है। सही आदमियों को जमीन मिली है या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आप भी बैठो वेरी आयोग में।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत समिति सूरतगढ़ में पक्के खाले बनाने के लिए ऋण

155. **श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1972-73 में पंचायत समिति, सूरतगढ़ द्वारा खाले पक्के बनाने हेतु सब्सिडी या ऋण स्वीकृत किया गया था? अगर हां, तो किन किन काश्तकारों को कितना कितना ऋण या सब्सिडी दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण या सब्सिडी से पक्के खालों का निर्माण हुआ? अगर नहीं, तो क्यों और उस ऋण या सब्सिडी का क्या हुआ?

पंचायत मन्त्री **(श्री कैलाश मेघवाल) :** (1) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) सन् 1972-73 में किसी को भी पक्के खालों के लिए ऋण या अनुदान स्वीकृत नहीं किये जाने से उनके निर्माण किये जाने अथवा नहीं किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री हरचन्द सिंह : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रेश प्रोग्राम 1973-74 में इस पंचायत समिति को सब्सिडी या ऋण दिया गया है या नहीं?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन में 72-73 के बारे में कहा गया है। लेकिन माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न में 73-74 के बारे में जानकारी चाही है। तो मैं निवेदन कर देता हूं। सूरतगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम अमरपुरा चक 31 एस. टी. जी. में 16 मुरब्बा क्षेत्रफल में खालों को पक्का बनाने की योजना जिलाधीश, गंगानगर द्वारा उनके आदेश संख्या 2795 दि. 15-4-72 से स्वीकृत की गई थी। इस योजना के अनुसार लेबर कम्पोनेण्ट 26,960 रु. एवं मैटीरियल कम्पोनेण्ट में 37,040 रु. का अनुमानित व्यय अंकित किया गया था।

जिसमें से 6740/- राजकीय अंशदान एवं 30,300 रु. का जन सहयोग से अपेक्षित था। उपरोक्त 16 मुरब्बे लम्बाई वाले खालों को पक्का बनाने के लिये मैटीरियल कम्पोनेन्ट के लिये पंचायत समिति ने अपने दिनांक 30-4-73 की बैठक में 10,500 की धनराशि निम्नांकित आदमियों के नाम पर अनुदान स्वरूप स्वीकृत की थी। उसका भुगतान इन व्यक्तियों को दिनांक 5-4-74 को चैक द्वारा किया गया था:—

1	श्री गुरुदेवसिंह	1500
2	श्री बीरबल	1500
3.	श्री राजेन्द्रसिंह	1500
4.	श्री पृथ्वीसिंह	1500
5.	श्री मनफूलसिंह	1500
6.	श्री श्रीचन्द	1500
7	श्री ईमीलाल	1500
	कुल राशि	10,500

(श्री कलाश मेघवाल)

उपरोक्त 16 मुरब्बे लम्बाई वाले खालों की क्रेश योजना के लिये पंचायत समिति की 33,700 की धनराशि जिलाधीश गंगानगर द्वारा प्राप्त हुई थी। यह धनराशि लेकर कम्पोनेन्ट पर खर्च की जानी थी। उक्त धनराशि में से 14,733 की राशि ही खर्च हुई एवं शेष 18,968 की राशि चालान नं. 134 दिनांक 25-1-74 एवं चालान नं. 154 दिनांक 27-2-74 द्वारा राजकीय कोष में वापस जमा कर दी गई थी। 16 मुरब्बे लम्बाई के खालों के बजाय साढ़े आठ मुरब्बे लम्बाई में ही खाले पक्के बनाये गये थे।

पंचायत समिति द्वारा 10,500 का अनुदान उपरोक्त व्यक्तियों से मैटीरियल कम्पोनेन्ट के लिये अपेक्षित जनसहयोग की पूर्ति के लिये दिया गया था। निम्नांकित व्यक्तियों ने उनके सामने अंकित धनराशि मैटीरियल कम्पोनेन्ट के पेटे जन सहयोग के रूप में पंचायत समिति को जमा कराई थी जिसमें पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत उपरोक्त अनुदान की राशि भी सम्मिलित होना बतलाया गया है :–

1.	श्री दिलीपसिंह	4600
2.	श्री श्रीचन्द	2100
3.	श्री बलवन्तसिंह	500
4.	श्री साहबराम	500
5.	श्री राधेश्याम	500
6.	श्री पृथ्वीराज	2000
7.	श्री गुरुदेवसिंह	1500
8.	श्री मनफूलसिंह	1500
9.	श्री ईमीलाल	1500

उपरोक्त कार्य के लिये श्री वीरबलसिंह एवं श्री राजेन्द्रसिंह की एक लाख ईंटें 7,490 की मैटीरियल कम्पोनेन्ट के रूप में इस कार्य पर उपयोग में लेना बतलाया गया है। इस प्रकार कुल 22,190 की राशि मैटीरियल कम्पोनेन्ट के लिये उपलब्ध हुई थी। उपरोक्त क्रेश योजना के अधीन लिये गये 16 मुरब्बे लम्बाई वाले खालों का पक्का बनाने का कार्य सिंचाई विभाग की देखरेख में होना बतलाया गया है किन्तु कार्य स्वीकृति के अनुसार तो 16 मुरब्बे लम्बाई का होना था किन्तु वास्तव में साढ़े आठ मुरब्बा लम्बाई का ही कार्य होना बतलाया गया है। अभी तक अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये गये हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्य वास्तव में कितने रुपयों का हुआ है। पंचायत समिति के रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त कार्य पर 36,923 खर्च होना प्रकट होता है। जब कि साढ़े आठ मुरब्बा लम्बाई में ही पक्के खाले बने हैं जब कि कुल 16 मुरब्बा लम्बाई के खालों को पक्का करने के लिये कुल अनुमान 64,000 का आंका गया था।

श्री हरचन्द सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मनफूलसिंह भूतपूर्व राज्य मन्त्री हैं और वीरबल उनका छोटा भाई है, श्री चन्द उनका भतीजा और राजेन्द्रपाल बूआ का लड़का है तथा पृथ्वी सिंह भी उनका भतीजा है ? क्या यह सब एक ही परिवार के आदमियों को दिया गया है ?

श्री कलाश मेघवाल : मैंने 73–74 के बारे में निवेदन किया है, उनकी विस्तार से क्या रिश्तेदारी है इस बात की मुझको जान-

Page No. 20

20

(श्री कैलाश मेघवाल)
कारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनको उपलब्ध करा दी जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री आलमअली खां।

श्री हरचन्द सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मनफूलसिंह वही व्यक्ति है जो पहले भूतपूर्व मंत्री थे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह अलग से सवाल पूछिये।

(व्यवधान)

फतहपुर निर्वाचन क्षेत्र में वूलन फैक्ट्री लगाने की योजना

156 श्री आलम अली खां (फतेहपुर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या राज्य सरकार वहां वूलन फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री नन्दलाल मीणा) : ऐसा कोई प्रस्ताव हाल में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री आलम अली खां : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जिस जगह पर भेड़ें पाली जाती हैं और ऊन होता है उस एरिया में फैक्ट्री नहीं खोलें, इसका क्या कारण है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या सरकार केवल जोइन्ट सैक्टर में ही खोलेगी ?

श्री नंदलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर सीकर जिले का ही एक अंग है। सीकर जिले की बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से सीकर में निम्न उद्योग स्थापित करने के लिये वूलन (स्पिण्डल्स) तकुओं की सिफारिश की गई है :—

1 मैसर्स त्रिलोक स्पिनिंग मिल्स, सीकर को 300 ऊनी तकुए की स्वीकृति टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई द्वारा दिनांक 22-10-77 को मिली है।

2 मैसर्स मित्तल वूलन मिल्स, नया शहर सीकर में 1200 ऊनी तकुए लगाने हेतु मूल प्रार्थना-पत्र दिनांक 15–9–77 को टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई को मय सिफारिश भेजा जा चुका है लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है।

3 मैसर्स स्वास्तिक वूल इण्डस्ट्रीज, सीकर 600 ऊनी तकुए सीकर में लगाने बाबत मूल प्रार्थना-पत्र दि. 12-10-77 को मय सिफारिश स्वीकृति हेतु टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई को भेजा जा चुका है लेकिन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं यह जानकारी के लिए कहूंगा कि राज्य सरकार की यह घोषणा है कि और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर नहीं खोले जायेंगे और आप बता रहे हैं कि सीकर में खोले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री नन्दलाल मीणा : सीकर जिले में खोले जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फतेहपुर में खोलेंगे या नहीं ? भेड़ें वहां पर हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

एक माननीय सदस्य : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्थगित किया गया।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुल मोहम्मद।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. में अधिकारियों की नियुक्ति

157. श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) आपातकाल के दौरान राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. (अपेक्स बैंक) द्वारा किन किन अधिकारियों की सीधी भर्ती की गई ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. में आपातकाल के दौरान लागू किये गये मेरिट फार्मूले का गलत ढंग से प्रयोग कर सिफारिशों के आधार पर प्रमोशन किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि 7 साल से 12 साल तक के सेवारत अवार्ड स्टाफ में से सभी को प्रमोशन्स मिल चुके हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) आपातकाल के दौरान राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा जिन-जिन अधिकारियों की सीधी भर्ती की गई, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैंक में 1964 से जो लोग सेवारत हैं उनके अन्दर से 50 प्रतिशत नियुक्ति मेरिट-कम-सीनियारिटी के आधार पर होनी चाहिए। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह सीधी भर्ती किस हिसाब से की गई ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन पदों पर सीधी भर्ती करने एवं प्रमोशन द्वारा ये पद नहीं भरे जाने का औचित्य निम्नलिखित कारणों से था:--

(क) इस बैंक के दो उप व्यवस्थापकों के सेवा निवृत्त हो जाने से एवं ट्रेनिंग का पृथक प्रकोष्ठ चालू करने की योजना की वजह से इस बैंक को तीन उप व्यवस्थापकों की आवश्यकता थी। उप व्यवस्थापक पद के लिए शीर्ष बैंक सीनियर अधिकारियों एवं सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों के व्यवस्थापक/उप व्यवस्थापक स्तर के अधिकारियों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे। आवेदनकर्त्ताओं का इस बैंक के संचालक मंडल द्वारा गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया, तत्पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों का चयन हुआ:--

1. श्री नरोत्तमलाल शर्मा राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के ही अधिकारी थे।

2. श्री हनुमानसिंह।

3. श्री पी. सी. गोधा, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक सवाई माधोपुर के व्यवस्थापक थे।

डिप्टी मैनेजर पद क्योंकि बहुत सीनियर पद है एवं इसके लिए संचालक मण्डल द्वारा

Page No. 22

(22)

(श्री कैलाश मेघवाल)
निर्धारित योग्यता एवं अनुभव धारक इस बैंक के एवं सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के सीनियर अधिकारी ही आवेदन कर सकते थे अतः सभी को मौका दिया गया एवं चयन के फलस्वरूप जिनकी नियुक्ति की गई उनमें से दो इस बैंक के सीनियर अधिकारी थे एवं एक सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के व्यवस्थापक थे।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री महोदय यह समझ नहीं पाये हैं कि मैंने क्या प्रश्न पूछा था।

एक माननीय सदस्य : वह तो जेल में थे 19 महीने।

श्री गुल मोहम्मद : सीधी भर्ती वहां किस रूल के आधार पर की गई ? यह बताने की कृपा करें कि रूल्स को बलाए ताक रख कर सीधी भर्ती की गई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गवर्नमेन्ट के रूल्स वहां लागू नहीं होते होंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीमनाथवाला अपेक्स बैंक के प्रबन्ध संचालक थे, उन्होंने क्राइटेरिया को और मानदण्ड को ताक में रखकर सीधी नियुक्तियां कीं ? यदि हां, तो क्या उनको रद्द करके क्राइटेरिया के मुताबिक नियुक्तियां करेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, ऐसे रूल्स हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कानसिंह आयोग के पास जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्रीजी का उत्तर आने दें।

श्री कैलाश मेघवाल : सीधी भर्ती के लिए जो चयन समिति बनी थी उसमें थे: अध्यक्ष, शीर्ष, सहकारी बैंक, आयुक्त एवं सचिव तथा पदेन रजिस्ट्रार सहकारी विभाग व प्रबंध संचालक, शीर्ष सहकारी बैंक।

श्री गुल मोहम्मद : मैं बैंक व अधिकारियों के नाम नहीं पूछ रहा हूं, मुझे तो केवल यह बता दें कि सीधी भर्ती किस नियम के तहत की गई ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय, जब तक प्रश्न की आत्मा में नहीं घुसेंगे तब तक हमें संतोष नहीं होगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि पिछले सैशन में भीमनाथवाला की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी आदमी का सरकार ने डेपूटेशन का समय बढ़ा दिया, इसका क्या कारण है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : श्री भटनागर ने कहा कि मंत्री महोदय गहरे घुसेंगे तभी काम होगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा।

श्री गुल मोहम्मद: हां ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य की सूचना गलत है। मैं उनकी सूचना के लिए निवेदन करूं कि

(श्री कैलाश मेघवाल)
श्री भीमनाथवाला के डेपूटेशन को राज्य सरकार अधिक नहीं बढ़ा रही है, यह निर्णय लिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मेरे प्रश्न का जबाब अभी तक नहीं आया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर सीधी भर्ती की गई है, नियम बता दीजिए ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : संचालक मंडल ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक किया है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : श्री भीमनाथवाला की नियुक्ति 7 सितम्बर से बढ़ा कर 21 मार्च तक की है, क्या यह सही है ?

श्री दुलाराम : मंत्री महोदय ने उस अधिकारी के साथ अपना प्रेम बना लिया है, इसलिए उसका समय बढ़ाया है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : सीधी भर्ती किन नियमों के आधार पर की गई है ? यदि नियमों के आधार पर नहीं की गई तो जिन अधिकारियों ने गलत कार्यवाही की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : संचालक मंडल के निर्णय के अनुसार भर्ती की गई है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मंत्री महोदय क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री गुल मोहम्मद : सवाल बहुत ही इम्पार्टेंट है, इसको स्थगित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आवश्यक नहीं समझता।

श्री गुल मोहम्मद : इसमें बहुत घोटाला है, जबाब नहीं दिलवायेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलत अधिकारियों को प्रोटेक्शन मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्रीजी, आपने उस अधिकारी से समझौता कर लिया क्या ?

श्री गुल मोहम्मद : अगर मेरे सवाल का उत्तर नहीं आता है, तो मैं इस सदन में बैठने के काबिल नहीं रहा। क्योंकि मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जिन अधिकारियों ने आपातकाल के दौरान जुल्म व ज्यादती की हैं व नियमों की अवहेलना की है ऐसे अधिकारियों को मंत्री महोदय संरक्षण दे रहे हैं जो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही है तो मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं। हम प्रश्न देते हैं, उसको तैयार करते हैं और सारे दस्तावेज इकट्ठे करते हैं फिर भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिले, टालमटोल का मिले ऐसी परिस्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मंत्री महोदय को पाबन्द करना चाहिये कि प्रश्नों का सही जवाब दें। यह टालना चाहते हैं; जवाब देना नहीं चाहते इसलिए सदन से मैं बाहर जा रहा हूं।

(बहिर्गमन)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : इस प्रश्न को स्थगित रखा जाए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदस्यों की भावनाओं को मत दबाइये।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सहायता नहीं कर सकता बहिर्गमन को रोकने में।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : इस तरह से सदस्यों की भावनाओं को दबाना अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिए।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : यह सदन का अपमान है। माननीय सदस्य ने तो केवल पूछा था कि किस कानून के तहत यह सीधी भर्ती की गई।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना है और मन्त्री महोदय के उत्तर को भी ध्यानपूर्वक सुना है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप सदस्यों को दबाने की कोशिश करेंगे तो यह उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदन सिंह दांता : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को सुन चुका हूं, आप बिराजिए।

श्री मदन सिंह दांता : नहीं तो हमें भी बाहर जाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : शासन की तरफ से मंत्री महोदय को अनड्यू प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यदि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो यह सदन के समय की बरबादी है, पैसे की बरबादी है और सदन का मखौल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकृष्ण दासजी, आप बिराजिए।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए, सदस्यों को संतुष्ट करना चाहिए। एक प्रश्न पर 10 रुपए खर्च होते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंग लाल जी, कृपया बिराजिए।

(व्यवधान)

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या किसी मंत्री को लगातार गैर जिम्मेदाराना तरीके से उत्तर देने का हक है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। मुझे उत्तर देने दें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : आपकी अनुमति हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों के लिए जो नियम हैं उनके अनुसार किसी भी प्रश्न पर पांच से अधिक सप्लीमेण्ट्री प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । मैं इस मामले में उदार रहा हूं । इस तरह से यदि अधिक सप्लीमेण्ट्री पूछे जायेंगे तो नियमों की पालना नहीं हो सकेगी, प्रश्न का औचित्य भी नहीं रहेगा । बहुत से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं । अगर कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहां उसका उत्तर नहीं आ सकता है तो मैं नहीं चाहूंगा कि उत्तर नहीं आए । आप नियमों के अनुसार मेरा ध्यान आकर्षित करें । अगर यहां इस समय वह नहीं आ सकता तो और तरीके से लाकर डिस्कस कर सकते हैं लेकिन रूल्स के अनुसार हो । माननीय सदस्य गुल मोहम्मद ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया ।

कई माननीय सदस्य : नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न का जवाब पूरा दिया है ।

श्री मदन सिंह दांता : नहीं दिया है, स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया है । जिन लोगों का प्रमोशन किया है वह किन नियमों के आधार पर किया है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर स्पष्ट किया है लेकिन फिर भी किसी माननीय सदस्य का यह विचार हो कि उनके प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं आया है तो इसके लिये वह अलग से हाफ एन आवर डिस्कशन के लिये इस सदन में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिये मेरे से अनुमति ले सकते हैं । उन्होंने वैसे अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि आपातकाल के दौरान राजस्थान कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में जिन अधिकारियों की सीधी भर्ती की गयी थी वह संचालक मण्डल की अनुमति से की गयी थी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

एक माननीय सदस्य : यह किन नियमों के अन्तर्गत की गई थी ? कौनसे बाईलाज के अन्तर्गत की गई थी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये । पांच से ज्यादा सप्लीमेण्ट्री नहीं पूछे जा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आप कह रहे हैं कि पांच से ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हैं, यह कहां लिखा हुआ है ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनको नियमों का पता नहीं है तो राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन संबंधी नियम देख लें । आप विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम पढ़े हैं। उनका हवाला देते हुए ही यह निवेदन कर रहा हूं कि वह इस बारे में मौन हैं कि कितने सप्लीमेण्ट्री पूछ सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप चाहें तो इसके लिये आधे घन्टे की चर्चा उठा सकते हैं पर आप पांच से अधिक सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हैं। अब काफी चर्चा हो गयी है। आप विराजिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पाइन्ट आफ आर्डर का जवाब नहीं आया। मेरा प्रश्न तो बहुत ही स्पष्ट और स्पेसिफिक था। मैंने तो एक ही प्रश्न पूछा था कि क्या कोई भी मंत्री किसी भी प्रश्न का गैर जिम्मेदाराना तरीके से उत्तर दे सकता है ? क्या वह किसी प्रश्न का वेग उत्तर दे सकता है ?

(व्यवधान)

अगर किसी भी प्रश्न का गैर जिम्मेदाराना उत्तर मंत्री देता है चाहे उस प्रश्न को नहीं समझे हों या कोआपरेटिव विभाग के मंत्री होते हुए भी कोआपरेटिव रूल्स, रेगुलेशन नहीं समझते हों तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन मंत्री महोदय को यह आदेश दें कि वह कोई दूसरा विभाग सम्भाल लें। कोआपरेटिव बैंक, जो

(व्यवधान)

अपेक्स बैंक है, के द्वारा कई प्रकार के लोन बांटे जाते हैं, राजस्थान में कृषि के लिये, स्माल स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लोन अपेक्स बैंक के द्वारा बांटे जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बैंक्स से लोन दिये जाते हैं। इसलिये वहां पर ऐसे अधिकारियों को रखा जाता है जिससे कि वह लोगों को ओबलाइज कर सकें।

(व्यवधान)

अब इन अधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है वह किन नियमों के अन्तर्गत हुई है ? अगर उन नियमों की जानकारी मंत्री महोदय को नहीं है, तो सहकारिता मंत्री को आप दूसरा विभाग दिलाने की व्यवस्था करावें जैसे खादी-वादी विभाग, जिसमें कि काफी भ्रष्टाचार है। कम से कम कोआपरेटिव जैसे विभाग के प्रश्नों का गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कृपया शान्ति रखें। आप विराजिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने माननीय सदस्य गुल मोहम्मद जी ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब पूरा और सही तथा जिम्मेदाराना तरीके

(श्री उपाध्यक्ष)

दिया है। इसमें गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हां।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

झामर कोटड़ा के माल का वेरिफिकेशन

145. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर के झामर कोटड़ा में गत दो वर्षों में कितना उत्पादन हुआ ?

(2) उसमें से कितना माल बेचा गया और कितना पड़ा रहा ?

(3) क्या बचे हुए माल के स्टाक का वेरिफिकेशन हुआ ? यदि हां, तो कब तथा किसने किया ? वेरिफिकेशन रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) उदयपुर की झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खान में विगत दो वर्षों में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा निम्न मात्रा में रॉक फास्फेट का उत्पादन किया गया:–

वर्ष	उत्पादन की मात्रा (मै. टनों में)
1975–76	3,51,198
1976–77	5,00,340

(2) विगत दो वर्षों में निम्न प्रकार से माल बेचा गया। शेष रहे माल की मात्रा लोसेज को निकालने के पश्चात् निम्न प्रकार रही:–

वर्ष	विक्रय मात्रा (मै. टनों में)		वर्ष के अन्त में अवशेष मात्रा (मै. टनों में)
1975–76	2,60,748	(इसमें 2.18 लाख टन, जो 14-4-75 का ओपनिंग बेलेन्स था, भी शामिल है)।	3,08,457
1976–77	5,88,973	(इसमें 3,08,457 टन वर्ष का बेलेन्स, जो 1-4-76 का था, शामिल है)।	1,87,368

(3) वित्तीय वर्ष सन् 1975–76 एवं सन 1976–77 के अन्त में अवशेष रहे रॉक फास्फेट का भौतिक सत्यापन सर्टिफाइड सर्वेयर से अप्रेल सन 1976 में व अप्रेल सन 1977 में किया। दोनों प्रतिवेदन प्रतियां अनुसूची 'क' व 'ख' में संलग्न है।

(अनुसूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजगढ़ में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की योजना

1.49. श्री समरथलाल (राजगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट्स स्थापित करने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो राजगढ़ अलवर में औद्योगिक सम्पन्नता की दृष्टि से क्या मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। किन्तु राजगढ़ (जिला अलवर) में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

अदालतों द्वारा गवाहों को दिया जाने वाला खर्चा

153. श्री बालचन्द आर्य (डग): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गवाहों को अदालतों द्वारा दिये जाने वाला खर्चा समय पर नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार ऐसे नियम बनाने का विचार रखती है जिससे न्यायालय शीघ्र गवाहों को खर्चा दे सकें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) साधारणतया साक्षयगण को खर्चा तत्काल ही दिया जाता है किन्तु अग्रिम राशि कम पड़ने की स्थिति में कई बार गवाहों को खर्चा देने में देरी हो जाती है। खर्चा देने में देरी न हो इस संबंध में राज्य सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है और इस संबंध में उच्च न्यायालय से विचार विमर्श कर इस दिक्कत को दूर करने में यथासभव कोशिश की जावेगी।

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्नोत्तर पर अनुपूरक प्रश्नों की सीमा

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि एक प्रश्न पर पांच से अधिक सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछे जा सकते हैं। कौन से नियमों के अन्तर्गत यह फर्माया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कौनसा नियम पढ़ा है ? जरा पढ़ कर बताइये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल 46 है जिसमें लिखा है, "कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर किसी ऐसे तथ्य विषय के अग्रेतर स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिये, जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा।" इसमें पांच सवाल पूछने के बारे में कुछ नहीं लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पेज 34 पर यह दिया है, "एक प्रश्न पर

(श्री उपाध्यक्ष)
पांच से अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछे जायं एवं अनुपूरक प्रश्न सीधा व स्पष्ट होना चाहिये।"

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष पद से जो डिसीजन्स दिये गये हैं वह उनकी राय है और इस हाउस पर बाइंडिंग नहीं है। पांच प्रश्न ही पूछे जायं यह कोई फिक्स काइटेरिया नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रश्न पर आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर मैंने मेरी व्यवस्था दे दी है। इसके आगे भी अगर आपको इस रूल से कोई प्रतिरोध हो तो आप इस प्रश्न को रूल्स कमेटी में देकर नियमों में संशोधन करा सकते हैं तो करा लें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह कोई आथोरिटी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये। गुप्ताजी, आप को मैंने पहले निवेदन कर दिया है कि अध्यक्षीय व्यवस्था, रूल्स के इन्टरप्रिटेशन के बारे में रूल्स में कोई संशोधन कराना चाहें तो आपको रूल्स कमेटी के मार्फत संशोधन कराना पड़ेगा।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भीलवाड़ा के में ....

(व्यवधान)

गलत उत्तर दिया है। मन्त्रीजी....

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप जाकर चेम्बर में मिलें। यहां क्यों उठा रहे हैं इस प्रश्न को।

श्री उपाध्यक्ष : अगर मन्त्री महोदय ने आपको गलत उत्तर दिया है तो आप इस गलत उत्तर दिये जाने के बारे में हाउस में उस मन्त्री महोदय के खिलाफ प्रिविलेज का मोशन मूव कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां एक प्रश्न उठाया

(व्यवधान)

हम यहां पर संविधान के अन्तर्गत आकर बैठते हैं और संविधान के अन्तर्गत ही सदन की कार्यवाही चलती है। मान्यवर, अभी चार दिन पहले हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने सिक्किम के स्वेच्छिक विलय के निर्णय की संवैधानिक पुष्टि के बारे में जो भ्रांति उत्पन्न की और अमेरिकन पत्रकार को साक्षात्कार में जो अपनी राय जाहिर की है उससे देश के दुश्मनों को मदद मिली है, देश की प्रतिष्ठा को विश्व में आघात पहुंचा है, इससे राजस्थान....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपया विराजिये। आप तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। इस बारे में तो आपका एडजोर्नमेंट मोशन है। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष)
इसके बारे में यही व्यवस्था है मेरी कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है जिस पर कि व्यवस्था दी जाय।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस संविधान की हमने और आपने भी शपथ ली है।

(व्यवधान)

ट्रेजरी बैंचेज में जो लोग बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय इनको यही पता नहीं है कि कौनसा प्रश्न व्यवस्था का होता है और कौनसा नहीं। यह तो पहले भूतपूर्व मन्त्री भी रह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, वर्माजी। माननीय सदस्य, आप शान्त रहें।

श्री माधो सिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भूतपूर्व मन्त्री रह चुके हैं। इन्हें यह भी पता नहीं है कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री दुलाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में कपास के भाव अत्यधिक गिर जाने से किसानों को हो रही क्षति के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले में धनाभाव के कारण अकाल राहत कार्यों को बन्द कर दिये जाने के विषय में,

(3) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में गन्ने के निर्धारित मूल्य से कम कीमत किसानों को दी जा रही है, इस विषय में।

इन दोनों प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा सिक्किम के भारत में विलय के सम्बन्ध में दिये गये कथित वक्तव्य के विषय में।

यह केन्द्र सरकार का विषय है और इस विधान सभा के कार्य क्षेत्र से बाहर है एवं अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कृपा की है। मुझे दुःख

(श्री रामनारायण चौधरी)
है, मान्यवर, जहां उधर बैठने वाले माननीय सदस्य.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि स्थगन प्रस्तावों की सूची के अनुसार जिनका नाम पहले है उन्हीं को पहले बोलने की इजाजत दे सकूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उधर से स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। मैं खड़ा हो गया हूं, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। I am in possession of the floor. दो मिनट कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जिस क्रम से नाम बोलूं उसी क्रम से वक्ता महोदय बोलें। आपको भी मौका मिल जावेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है कोई। माननीय सदस्य सहमत हैं कि मैं बोलूं।

कई माननीय सदस्य No ! No !

श्री उपाध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों का नाम मैं बोलूं यदि वे कुछ नहीं कहना चाहेंगे तो आपको मौका दे दूंगा।

माननीय श्री दुलाराम।

श्री दूलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में कपास और नरमे की फैक्ट्रियां हैं। कपास और नरमे के भाव इतने गिर गये हैं कि वे बन्द हो गयी हैं। किसान बड़ा परेशान हो गया है और एक प्रकार से लुट गया है। जहां कुछ दिन पहले कपास के भाव 350 से 385 रुपये तक थे वहां कपास के भाव, देशी कपास के भाव भी 275 से 300 रुपये तक रह गये हैं, किसान को सिंचाई, आबयाना आदि का खर्च निकालने के बाद इससे नुकसान रहता है। इसी प्रकार से अमेरिकन रूई है उसके भाव पहले 400 रु. से लेकर 475 रुपये तक थे मगर उसके भी भाव गिर गये हैं। आज गंगानगर का किसान आपकी कृपा से बुरी तरह लुट रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन कर दूं कि गंगानगर के किसान को एक बीघा पर 560 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और उसको औसतन दो क्विंटल, ढाई क्विंटल कपास प्रति बीघा के हिसाब से मिलती है। जो कपास के भाव हैं वह 200 रु. 260 रु. तक हैं, इस प्रकार 500 रु. प्रति बीघा के हिसाब से उसको आमदनी हो रही है। इसका मतलब है कि 60 रुपये प्रति बीघा उसको घाटा हो रहा है। इसके साथ साथ आप सिंचाई, खाद आदि का भी खर्चा लगाइये। इस प्रकार हिसाब लगाने से हर प्रकार से किसान लुट रहा है और उसको मकान आदि गिरवी रख कर भी सरकार का आबयाना आदि चुकाना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाव गिरने के भी कई कारण हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सरकार भी दोषी है और सरकारी अधिकारी भी दोषी हैं। जब कपास और नरमा का सीजन चल रहा था उस समय केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की थी कि कपास सी. सी आई. खरीदेगा। इस

Page No. 32

(32)

(श्री दुलाराम)

घोषणा से कपास के 400 रु., 450 रु., और 485 रु. तक भाव चले गये थे। उस समय किसान बड़ा खुश हुआ कि उसको उसकी कमाई का ठीक पैसा मिलेगा। वह यह सोच रहा था कि उसको एक बीघा के पीछे 300 रुपया मिल जावेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है किसान को।

इतनी जल्दी आप घंटी न बजाइये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री दुलाराम : किसान के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है। उसके सामने बड़े संघर्ष का प्रश्न है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान बड़े संघर्ष की स्थिति में है क्योंकि किसान को बड़ा घाटा हो रहा है। गंगानगर के किसानों को दस पन्द्रह करोड़ का इस कारण से घाटा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके प्रस्ताव को जानकारी के लिए भेजा गया है। उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है।

श्री दुलाराम : तो मैं निवेदन कर रहा था किसान बड़ा खुश हुआ। लेकिन आपने एकदम ब्रेक लगा दिया इससे कपास और रुई के जो भाव उस किसान को मिलने चाहिये वे टूट गये और किसान को बहुत बड़ा घाटा हुआ। किसान मुख्य मंत्रीजी से मिले, हमारे जिले के जो माननीय मंत्रीजी हैं उनसे मिले होंगे और कहा होगा कि सी. सी. आई. को खरीदने को कहिये। खरीददारी आप चालू करवाइये ताकि भाव बढ़ें। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सी.सी.आई और व्यापारियों ने मिल कर किसान को लूटना शुरू कर दिया और अभी भी लूटे जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, स्वयं आप गंगानगर जिले के माननीय मंत्रीजी से पूछ लीजिये। सी. सी. आई. बम्बई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, कई व्यापारियों को भी इससे नुकसान हुआ। जो व्यापारी सी. सी. आई. के अधिकारी को कमीशन नहीं देते उनसे वे बात नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन कर दूं कि गंगानगर का जो व्यापारी सी.सी.आई. के अधिकारी से बात नहीं करता है तो सी.सी.आई के अधिकारी मौन हो जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले चुके हैं। दो मिनट आप बोल सकते है। डिमाण्ड पर रख दीजियेगा।

श्री दुलाराम : किसानों को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह चुके हैं। कोई नयी बात कहनी हो तो वह कहें।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) इन्दिरा कांग्रेस के उपनेता हैं।

श्री दुलाराम : किसान को 60 रुपया प्रति बीघा का लॉस हो रहा है। व्यापारी सी.सी.आई. से नहीं मिलता है और किसान उसके पास नहीं जाता है तो उसको कपास बेचने में नुकसान होता है। इसलिये मजबूर होकर उसको सी.सी.आई के पास जाना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह किसान की सरकार है, मुख्य मंत्री जी किसान है और हमारे दूसरे सदस्य भी किसान हैं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया भाषण मत दीजिए। संक्षेप में समाप्त कीजिए।

श्री दुलाराम : मेरा भाषण नहीं है। दुःखी की गाथा है। मैं वह बता रहा हूं। व्यापारियों के साथ जुल्म हो रहा है उसको बता रहा हूं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसको सामने ला रहा हूं। एक सरकार की मैं पोल खोल रहा हूं। तथ्य आपके समक्ष ला रहा हूं। अधिकारी जुल्म कर रहे हैं उसको सामने ला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री परसराम मोरदिया !

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि...

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कल आप इस प्रश्न को उठा चुके हैं, दो मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री परसराम मोरदिया : जनता पार्टी की सरकार घोषणायें करने में और आयोग बैठाने में बहुत ही माहिर साबित हुई है। बहुत ही दुःख की बात है कि घोषणायें करते हैं कि हम राहत दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सब जगह घोषणायें कर देते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में एक सड़क का काम चालू किया है वहां फसल बरबाद हुई, बहुत सारे गरीब बेरोजगार बैठे हैं। उस सड़क पर काम बन्द हो गया है और गरीब मजदूरों को खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही हैं। उस सड़क पर सुबह से शाम तक काम करके मजदूर रोटी खाते थे, आज वह बेकार बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लक्ष्मणगढ़ तहसील है वह काफी बैकवर्ड और गरीब तहसील है। वहां काफी ज्यादा फसल नष्ट हुई है। लक्ष्मणगढ़ से सालासर रोड का काम शुरू किया गया उस काम को बन्द कर दिया गया और जब जिलाधीश महोदय के पास गये तो कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ तो कहते हैं बजट में कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ बजट में पैसा नहीं होने की बात कह कर उस सड़क के काम को बन्द कर दिया गया। जो मजदूर उस जगह काम कर रहे थे वह भूखों मर रहे हैं। वह इस बात की राह देख रहे हैं कि कब काम चालू होने के सरकार के आदेश आयें और हम काम पर जायें। वह दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। बड़ी दुविधा में लोग पड़े हुए हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त ही जिलाधीश महोदय को आदेश दें कि वह काम पुनः चालू किया जाये।

(श्री परसराम भोरदिया)

इसके अलावा यहां काम कर रहे मजदूरों को अधिक वेतन दिलाया जाये, उन मजदूरों की रेट बढ़ाई जाये। आज महंगाई के जमाने में तीन रुपये से क्या होता है। इसके अलावा राहत कामों में लोगों को लगाया जाता है, जिस परिवार में 5-7 आदमी होते हैं उनमें से एक आदमी को काम पर लगाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह भी नहीं होना चाहिए कि जो आदमी गेहूं नहीं ले उसको गेहूं ही दिया जाये। वह चाहे तो उसको पैसा दिया जाये।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त जिलाधीश महोदय को आदेश दें कि तुरन्त काम चालू कराया जाये।

जय हिन्द !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कपास की खरीद में लूट हो रही है किसानों की 1450 रुपये के भाव से सी.सी.आई. ने खरीदना शुरू किया अब 250 रुपये पर आ गए। सी.सी. आई. ने अपने हाथ खींच लिए। इस साल बम्पर क्राप कपास की गंगानगर में हुई थी। इसका इतना उल्टा असर होगा कि अगले साल लोग कपास बोने से बिलकुल ही अलग हो जायेंगे। इससे फिर प्राब्लम आयेगी। फिर ज्यादा महंगा कपास बिकेगा। जब किसान पैदा करता है तो खरीदा नहीं जाता है, सस्ते भाव पर खरीदा जाता है और जब फसल कम होती है तो महंगाई से मुकाबला किया जाता है। यह सारी सिचुएशन राजस्थान में होती है जब कि पड़ौस के राज्य में किसान को सही दाम दिया जाता है। पंजाब, हरियाणा की सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी माकूल व्यवस्था की है। दो महीने पहले जिस किसान ने अपनी कपास और नरमा बेचा उसको तो वही 450 रुपये का भाव मिल गया। दो महीने बाद कपास अब कोई बेच रहा है या उस समय किसी कारण से नहीं बेच सका उसको 250 रुपये मिल रहे हैं। यह कहां का न्याय है ?

कपास की तरह ही गन्ने का काश्तकार आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा परेशान है। संगठन बने हुए हैं यू. पी., पंजाब, हरियाणा में लेकिन हमारे राजस्थान की बदनसीबी है कि यहां गन्ने के किसान का कोई सगठन नहीं है और उसकी कोई आवाज नहीं है। आज गन्ने के काश्तकारों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। उनकी बड़ी बुरी हालत हो रही है। आप बूंदी, कोटा, चित्तौड़ में जायें और दूसरे इलाके में जायें और देखें कि जिस किसान के पास गन्ना है उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। उसका रुपया बकाया रहता है मिलों में और दूसरी खण्डसारी मिलों में। उनको मौके पर भुगतान नहीं होता। महीनों से लाखों और करोड़ों रुपया उनके अन्दर बकाया है। किसान को गन्ने की सही कीमत मिल मालिकों और खण्डसारी मिलों के मालिकों से दिलाने की हमारी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उस किसान के गन्ने को खरीदने का कोई तरीका नहीं है। मन चाहे जिसके पास ट्रक भेजें तो गन्ना या

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

जायेगा। जो एप्रोच करेगा उसका गन्ना बिक जायेगा और जिसके पास एप्रोच नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है उनका गन्ना नहीं बिकेगा। आज गन्ना खेतों में खड़ा है क्योंकि गन्ने की कीमत कम दी जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने चीनी के भाव बढ़ा दिये 15 पैसे प्रति किलोग्राम, इसके बावजूद भी आज किसान को सही पैसा नहीं मिल रहा है। किस मन्शा से बढ़ाये गये यह भाव? राज्य सरकार को या संबंधित मंत्री या हमारे मुख्य मंत्री को इस बात का अहसास होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार ने क्यों भाव बढ़ाये? केन्द्रीय सरकार के सामने जब यह सवाल उठाया गया और पार्लियामेन्ट में सवाल उठा कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं तो यह कहा गया कि किसानों को माकूल पैसा मिले इसलिये चीनी की कीमत बढ़ाई है लेकिन राजस्थान के अन्दर कोई पूछने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां का किसान बिलकुल लावारिस है। यहां के किसान को कोई पूछने वाला नहीं है। सब अपने अपने धड़ों में फंसे हुए हैं। आज जनता पार्टी की शक्ल यह है कि वह अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। किसी को जनसंघ की फिक्र है और किसी को बी. के. डी. की फिक्र है। किन्तु सबको न पार्टी की फिक्र है और न किसान की फिक्र है।

श्री श्रवणलाल : यह गलत कह रहे हैं। कोई घटकवाद नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मोरारजी भाई ने आज सुबह ही कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मान्यवर, मैंने स्थगन प्रस्ताव आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया था उस पर आपने बड़ी नाराजगी जाहिर की और उसको अस्वीकार कर दिया। मान्यवर, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। भारत के संविधान के अन्दर वह भारत का एक हिस्सा है। आज से चार पांच दिन पहले देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अमेरिकन न्यूज एजेन्सी के कारस्पोन्डेन्ट को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने सिक्किम को हड़प लिया था। अंग्रेजी में कहा, Sikkim was annexed to the territory of India उसके लिए कहा कि मैंने 'मर्जर' शब्द का यूज किया था। मर्जर और अनेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्जर का भी यही तात्पर्य है कि कोई दूसरी चीज है उसको मर्ज कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिक्किम भारत का अंग है, भारत की देखरेख में है और भारत का हिस्सा है। यदि नहीं था, यदि भारत की जिम्मेदारी सिक्किम में नहीं थी तो मना कर दें। उस समय क्या हुआ था, मान्यवर, स्टेटस सिर्फ चेन्ज किया गया था। स्टेटस चेन्ज कर के सिक्किम को भारत का 22 वां राज्य बनाया गया था। संविधान में संशोधन किया गया था और इस सदन ने उसकी पुष्टि की थी। मोरारजी का अब यह कहना इस सदन का अपमान करना है। यह कहना इस सदन का घोर अपमान है कि सिक्किम को गैर वाजिब तरीके से हड़पा गया। यह उस वक्त कहा गया जिस वक्त चाइना की टीम

(श्री रामनारायण चौधरी)

भारत के अन्दर आई हुई थी। मान्यवर, यह उनको राजी करने के लिये कहा गया। यह इसलिये कहा गया ताकि अमेरिका को प्रसन्न किया जाये, चाइना को राजी किया जाये और तत्कालीन सरकार के प्रधान मंत्री की इमेज को धूमिल किया जाये। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया क्या यह भारत के इतिहास में एक महान क्रांति नहीं हुई? इस पर कोई भी सदस्य अपनी राय दे सकता है लेकिन आज भारत के प्रधान मंत्री यह कहें कि वह मेरी निजी राय थी तो किसी भी देश का प्रधान मंत्री हो, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, उसकी राय निजी नहीं हो सकती। प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है। प्रधान मंत्री जो भी है वह जो कुछ बोलता है वह प्रधान मंत्री बोलता है। प्रधान मंत्री ने एक और रहस्य का उद्घाटन किया कि 1962 के अन्दर तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने गोवा को भारत का हिस्सा बनाया था, उसको शामिल किया था और उसको जिस तरीके से लिया था उसका मैंने भी विरोध किया था। मान्यवर, मैं मान सकता हूं कि पेशाब पीने से तन्दरुस्ती ठीक हो सकती है लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि पेशाब पीने वालों की ××× होती है। आज हमारे प्रधान मंत्री की 82 वीं वर्ष गांठ मनाई गई। मंदिरों में सभायें की गईं, गुरुद्वारों में दुआयें मांगी गईं, उनके दीर्घायु होने की कामना की गई लेकिन उन्होंने भारत की अखण्डता, इस देश की अखण्डता को चोट पहुंचाई, संसद, इस सदन की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई ....

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बात शर्मनाक है, खेदजनक है और यह सदन उसकी घोर निन्दा करता है। मान्यवर ट्रेजरी बैंचेज से हम मांग करते हैं कि वे खेद व्यक्त करें और माननीय प्रधान मंत्री तक सदन की यह भावना पहुंचायें कि यह शर्मनाक बात है, आपको इस बात से शेमफुल होना चाहिये। इन शब्दों के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी भावनाओं को सदन के नेता तक पहुंचाने के लिए मंत्री महोदय से कहें, वे हमारी भावनाओं को प्रधान मंत्री तक पहुंचाये और हमें आश्वासन दें कि हमारी भावनाओं को पहुंचा देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मोरारजी भाई ने जो बात कही है जब सिक्किम लिया गया, पार्लियामेंट में यह प्रश्न आया ....

श्री केदारनाथ (यातायात मंत्री) : चर्चा किस बात की है?

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनियेगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष। माननीय डागा जी, संक्षेप में कह दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : जब पार्लियामेंट में यह चर्चा आई और कानून बना उस समय माननीय मोरारजी भाई भी मेम्बर थे। मैं कहना चाहता हूं कि संसद द्वारा एक राय से यह कानून पारित किया गया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस बारे में माननीय केदारजी कुछ कहना चाहते थे।

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन कर दूं तो इसके ऊपर अधिक बहस नहीं होगी। मान्यवर ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसके बारे में हमारे विचार भी सुन लें, उसके बाद मंत्री महोदय कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री केदारनाथ : इस पर विचार हाउस में आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आप कृपया विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं चाहूंगा कि दो मिनट हम बोल लें।

श्री केदारनाथ : यह कोई डिबेट का विषय नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : खेद प्रकट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री केदारनाथ : अभी माननीय सदस्यों ने जो सिक्किम के बारे में विचार प्रकट किये और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो संसद के नेता हैं उनके बारे में चर्चा की। सिक्किम पहले क्या था ? जब आजादी मिली, इसके एसोसियेट स्टेटस के बारे में अलग अलग राय थी····

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या बात करना चाहते हैं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर देने का अधिकार है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सिक्किम के बारे में जो गलती····

श्री केदारनाथ : इण्डिपेंडेंट स्टेटस था या एसोसियेट स्टेटस था····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मंत्री महोदय, काश्मीर के लिए क्या कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय को कहने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

आप विराजिए कृपया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया सुनिये तो सही।

श्री मदनसिंह दांता : बंगला देश के समय मैंने आपत्ति की थी। मैं चाहूंगा कि यह पत्रों में प्रकाशित न हो, रेडियो पर नहीं आना चाहिए····

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय के भाषण को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये ताकि इसका उपयोग हमारे देश के खिलाफ न हो।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष जी····

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं। आप विराजिए।

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह था इन्डीपेन्डेंट स्टेटस था या एसोसियेट स्टेटस।

(श्री केदारनाथ)

यह चर्चा पहले थी। पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद यह चर्चा बन्द हो गई।

(व्यवधान)

ग्राप बात सुन लीजिये। मैम्बर्स की उसमें ग्रलग ग्रलग राय थी। कोई चीन का हिस्सा कहता था, कोई भारत का। ग्रलग ग्रलग चर्चा चली थी। लोक सभा में मर्जर कानून बनने के बाद चर्चा समाप्त हो गई।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं, मोरारजी ने वापस शुरू कर दी।

श्री केदारनाथ : इसलिए ग्राज यह कहना कि चाइना को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया, यह कतई गलत है। चाइना के बारे में हमारी फारिन पालिसी स्पष्ट है। हम चाइना से डाइलाग करना चाहते हैं। मेज पर बैठकर जो बाउन्ड्रीज के डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में हर कन्ट्री के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसलिए जो ग्राज प्रधान मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है वह चाइना को खुश करने के लिये नहीं दिया है। राज्य सभा में चर्चा हो गई, वहां इस मसले को स्पष्ट कर दिया। मर्जर कैसे हुग्रा ग्रब उस विषय में मेरे ख्याल से सदन में चर्चा करें, खेद प्रकट करने की बात करें तो मैं समझता हूं यह ग्राउट ग्राफ पाइन्ट ग्राउट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री मूलचन्द डागा : जो मोरारजी भाई ने शब्द कहे हैं, वे ग्रच्छे नहीं कहे।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री सत्थी सिंह : हम इनको नहीं बोलने देंगे।

श्री मदन सिंह दांता : इस देश के लिये··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा·

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह देश की ग्रखण्डता का प्रश्न है। हम भी ग्रापको नहीं बोलने देंगे।

श्री नत्थी सिंह : चार चार बोल रहे हैं एक साथ, यह कोई बात है।

श्री मदन सिंह दांता : बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिव चरणजी, ग्राप विराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ग्राप विराजिये। ग्राप सुनिये। माननीय सदस्य, मुझे कुछ कहने दीजिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पर ज्यादा विस्तार से मत कहिये। संक्षेप में अपने विचार प्रकट करिये।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। ग्राप बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : देश का अपमान है....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसको वापस लेना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायं...

(व्यवधान)

हम राजाओं के दलाल नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : ये धाभाई रहे हैं इसलिये कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय शिवचरणजी, आप विराजिये।

(व्यवधान)

मुझे खेद है, मैं चाहूंगा.....

श्री नवरंग सिंह : पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से या विरोधी पक्ष की तरफ से कोई भी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हैं तो कोई भी माननीय सदस्य बीच बीच में ग्राक्षेप न करें।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : यह बहुत गंभीर विषय है। मोरारजी भाई प्रधान मंत्री हैं, वे जनता पार्टी के भी हैं, हमारे भी हैं। देश उनका भी है, हमारा भी है। संविधान की सेंक्टिटी को ग्रौर नेशन की इन्टेग्रिटी को कायम रखने की ग्रोथ लेकर हम भी इस सदन में बैठे हैं। मोरारजी भाई ने जो इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं कि जिस ढंग से सिक्किम का भारत में मर्जर किया गया है वे उस प्रक्रिया के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन पर विचार कर उसे स्वीकार किया है ग्रौर हमने रेटिफाई किया है। क्या इस सारे को वे गलत समझते हैं? जो ग्राज उच्च पद पर बैठे हुये हैं उनका इस तरह का कहना उचित नहीं है। तिब्बत, भूटान ग्रौर सिक्किम ऐसी बोर्डर स्टेट्स हैं जो चाइना ग्रौर हिन्दुस्तान के बीच में हैं। हमारी इच्छा थी, तिब्बत, भूटान ग्रौर सिक्किम भारत में मिलें। तिब्बत किन्हीं कारणों से हमारे हाथ से निकल गया। जब दलाई लामा ने यहां शरण ली तो चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सिक्किम ने जन ग्रान्दोलन करके भारत में मिलना तय किया ग्रौर हमारी पार्लियामेण्ट ने उसे मिलाया तो हमें इस सम्बन्ध में पार्टी लेवल से ऊंचा उठना चाहिये। इन्दिरा गांधी का इस सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है, जो कांग्रेस के दो टुकड़े कर सकती है उस इन्दिरा सरकार ने भी सिक्किम को भारत में मिला दिया है तो हमें उससे सहमति प्रकट करनी चाहिये। चाइना ने भारत में सिक्किम के विलय को गलत माना है, वह कहता है, सिक्किम का मर्जर भारत में गलत हुग्रा है। ग्रगर मोरारजी भी इस वाक्य का प्रयोग करते हैं तो ग्रगले साल यू. एन. ग्रो. में इस क्वेश्चन को उठाया जायेगा ग्रौर प्रधान मंत्री के शब्दों को उद्धृत किया जायगा कि भारत के प्रधान मंत्री भी गलत मानते हैं। यह मसला ऐसा है, भारत सरकार द्वारा सिक्किम के भारत में विलय के बारे में जो

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

कार्यवाही हुई है, उसमें हमने भी भाग लिया है। चाहे इन्दिरा गान्धी प्रधान मंत्री थी या प्रधान मंत्री मोरारजी हों, मेरा निवेदन है कि उनके व्यक्तिगत झगड़ों को हम इस हद तक छूट नहीं दे सकते हैं। मैं इस हाउस से पुरजोर मांग करना चाहूंगा कि इस हाउस का प्रधान मंत्री द्वारा अपमान किया गया है। अगर अमेरिका के लोग राष्ट्रपति को वाटर गेट काण्ड के मसले में गद्दी से उतार सकते हैं तो जो हमारे संविधान के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दण्ड मिलना चाहिये। आज पाकिस्तान को मिलाने की बात करते हैं और अगर सिक्किम मिल गया तो···

(व्यवधान)

कौनसा अनर्थ हुआ है। मोरारजी ने जो कहा है उसके लिये वे खेद प्रकट करें। इस हाउस की उनसे विपरीत राय है। हम सिक्किम को उसी तरह मानते हैं जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा को मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो विषय कार्य सूची में है, अब उसको लेना चाहिये।

(व्यवधान)

मैं किसी को अब इजाजत नहीं दूंगा

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मदनसिंह दांता : जो वयोवृद्ध हैं उनको···

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बार बार कह दिया है आप भाषण के जरिये कुछ न कहें। प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय नवरंग जी का पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने 'दलाल' शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग जिस भावना से किया है वह अन-पार्लियामेन्ट्री है और अशोभनीय है। मैं आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहूंगा कि इसको कार्यवाही से निकालना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग देखूंगा, क्या यह शब्द आया है और किस रेफरेन्स में आया है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : आधे मिनट में कह कर समाप्त कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : खुद, इन्दिरा ने...

श्री रामकृष्ण दासगुप्ता : हमारा इन्दिरा गांधी के साथ विरोध हो सकता है लेकिन हमारा भारत के साथ विरोध नहीं है । You may hang Indira Gandhi, but you can not hang the India.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज आइये ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह प्रस्ताव सिक्किम की जनता की तरफ से आया था । सिक्किम की विधान सभा ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया था । उस प्रस्ताव के आधार पर संसद ने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था और हमारी विधान सभा ने भी सर्व सम्मति से स्वीकार किया था । अब मोरारजी भाई देश के प्रधान मंत्री की इस प्रकार की टिप्पणी को मैं सम्पूर्ण देश का अपमान मानता हूं । यह देश का अपमान है, यह संसद का अपमान है, यह इस विधान सभा का अपमान है, यह देश के संविधान का अपमान है और इसके लिए, मान्यवर, सदन के नेता की अनुपस्थिति में केदार साहब को खेद व्यक्त करना चाहिए था, हमारी भावनाओं को प्रधान मंत्री तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने इससे इन्कार किया है, इससे हमें बड़ी वेदना है । मान्यवर, जिस तरह से माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, जो सदस्य अखण्ड भारत की बात करने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां गया आपका अखण्ड भारत ? आज देश के खिलाफ अमेरिका से मिल कर साजिश कर रहे हैं, जो तत्व देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आज चोग्याल, वहां के भूतपूर्व राजा इस देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उसमें हमारे देश के प्रधान मंत्री भी शामिल हो रहे हैं । इस साजिश में देश के प्रधान मंत्री शामिल हो गये हैं, इसका, मान्यवर हमको बहुत दुःख है । इस दुःख को उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना इन्होंने अस्वीकार कर दिया है जिसकी हमें बड़ी वेदना है । इसलिए हम हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सदन से बाहर जाते हैं ।

(बहिर्गमन)

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल की भावना मैं आपके समक्ष निवेदन कर चुका हूं । श्रीमान्, यह मामूली बात नहीं है, भारत की अखण्डता के खिलाफ प्रधान मंत्री ने बात कही है, इसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए । हम जानते हैं कि हाउस की जो भावना है, उसे आपके माध्यम से या यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों की तरफ से मंत्री महोदय प्रधान मंत्री तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि उन्होंने हमारी भावनाओं को पहुंचाने में असमर्थता प्रगट की है । अभी भी वे इसका विरोध कर रहे हैं इसलिए हमको मजबूर होकर सदन से बहिर्गमन करना पड़ेगा ।

(बहिर्गमन)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंजाब सरकार द्वारा भाखरा प्रबन्ध बोर्ड के सामुहिक नियंत्रण का विरोध

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा, पंजाब सरकार भाखरा प्रबन्ध बोर्ड के सामुहिक नियन्त्रण का विरोध करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री ईश्वरचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव सूची में नहीं है। मेरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा प्रस्ताव भी था इस पर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव मेरे पास नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने भी इसी प्रश्न पर प्रस्ताव दिया था..

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसकी जानकारी ले रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत पंजाब सरकार द्वारा भाखरा प्रबन्ध बोर्ड के सामुहिक नियंत्रण का विरोध करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री केदारनाथ (मंत्री राजस्थान नहर): मान्यवर, रोपड़, हरीके तथा फीरोजपुर हैड वर्क्स का नियंत्रण अभी तक पंजाब के पास है। हरियाणा राज्य के बनने के बाद पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 79(1) के अनुसार रोपड़, हरीके व फिरोजपुर हैड वर्क्स के रखरखाव व नियंत्रण का कार्य भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को स्थानान्तरण किया जाना था मगर पंजाब सरकार ने इन हैड वर्क्स का नियन्त्रण अभी तक भाखरा/व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित नहीं किया है, जिसके कारण राजस्थान को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

विभिन्न अन्तर्राज्यीय समझौतों के अनुसार रावी, व्यास व सतलज नदी के पानी में पंजाब, राजस्थान व हरियाणा का भाग है। रावी व व्यास नदियों के पानी में भाग केन्द्रीय सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा तथा सतलज नदी के पानी में भाग भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाता है। यह भाग इन नदियों पर विभिन्न बिन्दुओं पर पानी का भाव के अनुसार किया जाता है।

सतलज नदी के पानी का बंटवारा रोपड़ हैड वर्क्स के ऊपर पानी की मात्रा के अनुसार किया जाता है तथा रावी व्यास के पानी का बंटवारा फीरोजपुर व हरीके पर उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार किया जाता है। इन हैड वर्क्स का नियंत्रण भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास नहीं होने से व पंजाब द्वारा बोर्ड के अधिकारियों को इन हैड वर्क्स तथा इनसे निकलने वाली नहरों पर डिस्चार्ज नहीं नापने देने से

Page No. 43

43

(श्री केदार नाथ)
पानी का बंटवारा उचित रूप से नहीं हो पाता।

इसके अतिरिक्त इन हैड वर्क्स का नियंत्रण एक केन्द्रीय संस्थान के पास न होकर एक राज्य के पास होने से एक कठिनाई यह भी है कि कभी कभी पंजाब द्वारा इन हैड वर्क्स से नहरों में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा राज्यों के निर्धारित भाग व इन्डेन्ट के अनुसार नहीं होती। राजस्थान राज्य इन सभी नहरों के अन्तिम भाग में होने के कारण सबसे अधिक हानि राजस्थान की ही होती है। राजस्थान की नहरों में प्राय: जिस समय फसलों को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है उस समय पूरा पानी नहीं मिल पाता।

इस मामले को राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। इस सम्बन्ध में 1968 में केन्द्र सरकार को निवेदन किया गया था। 1972 में इस सम्बन्ध में पंजाब व राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी विचार विमर्श हुआ। इसके पश्चात् राजस्थान सरकार ने इस मामले को नोर्थ जोन कौंसिल में रखा परन्तु उसमें भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

इस मामले को राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा, प्रधान मन्त्री द्वारा दिनांक 3-10-1977 को थीन बांध के सम्बन्ध में हुई बैठक में भी उठाया गया। इस बैठक में प्रधान मंत्री ने यह निर्णय लिया था कि इस सम्बन्ध में पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 के इस प्रावधान को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिये, परन्तु पंजाब ने अभी तक इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक एक खड़े होकर अपनी बात कहें ताकि हमें भी जानकारी मिले और उनको भी जवाब मिल सके।

श्री मूलचन्द डागा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि जो आपने मेहनत की है और जो सदन में जवाब दिया है उसके कारण माननीय सदस्य मेजें थपथपायेंगे लेकिन मुझे दु:ख है कि आपके जवाब से हमें संतोष नहीं मिला। आपने बहुत बड़ी मेहनत की, सारा इतिहास लिख दिया। मेहरबानी करके यह बतलाइये कि क्या आप इस विषय पर सदन को कांफिडेंस में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? एक तरफ पंजाब धमकी भरी हुई बातें करता है दूसरी तरफ आन्दोलनों और आत्म दाह की बातें करता है। 3-10-1977 आपने बैठक की तारीख बताई, मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि थीन बांध के सम्बन्ध में जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या आपने अजेण्डे में यह पाइन्ट रखा था या नहीं रखा था? या आपका पासिंग रेफरेंस था? सारे अखबारों की कटिंग्स में यह बतलाया गया है कि जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन इस पोइन्ट को, जो अजेण्डे में नहीं था, केवल राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कह दिया था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप के पास उस प्रश्न का उत्तर लिखित में आ गया है या उसकी प्रोसीडिंग्स आपके पास आई हैं और आई हैं तो क्या आप उसको सदन की मेज पर रखेंगे? तीसरी बात यह कि बार बार

(श्री मूलचन्द डागा)

-आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि राजस्थान को समय समय पर पानी नहीं मिलता, काश्तकारों को उनकी मेहरबानी पर जिन्दा रहना पड़ता है। ग्यारह साल तक राजस्थान की सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाये हैं, जो भी गलती की, 1966 के जो आपने पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 79 (1) का हवाला दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार सरकार ने प्रोटेस्ट लेटर भेजे ? आपने क्या कम्पेन्सेशन मांगा कि आपके पानी नहीं देने से हमारे राजस्थान की इतने लाखों की फसल नष्ट हो गई और हम कम्पेन्सेशन क्लेम करते हैं ? क्या आपके काल में वह क्लेम पंजाब से स्टेंड करता है या नहीं करता ? यह मैं जानना चाहता हूं। चौथी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब सरकार को आपने जो यह बात कही तो क्या आपका फर्ज नहीं था, श्रीमान्, आप हमारे सांसदों को कान्फिडेन्स में लेते ? हमारी विधान सभा में आकर के स्वयं स्टेटमेंट देते ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह राजस्थान की जनता का सवाल है, तीन करोड़ जनता का सवाल है, इसको सदन में उठाने की आपने अनुमति दी। पंजाब 11 साल तक अपनी ताकत के बल पर, हिंसा के बल पर, कानून को तोड़ कर, कानून को बलाए ताक रखकर हमारा पानी लेता रहा, अब हमें पानी नहीं लेने देता है। वह भाखरा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड को इन्तजाम नहीं सौंपता है, तो आपने क्या विचार किया ? क्या कहना चाहते हैं ? यह अनेक सांसदों ने कहा है, पंजाब सरकार द्वारा कड़ा रूख अपनाया गया। मैं यह जानना चाहता हूं हमारे संसद सदस्यों को इस बारे में आपने जानकारी दी है ? संसद सदस्यों को जानकारी न देने के अभाव में उन्हें विशेष दिक्कत हुई है। उस जानकारी के अभाव में हमारे संसद सदस्य संसद में राजस्थान का पक्ष पूरी तरह से नहीं रख सके। जगदीश माथुर, संसद सदस्य, जो आपकी जनता पार्टी के सदस्य हैं, ने यह प्रश्न उठाया है। आपका फर्ज होता है, मंत्री राजस्थान नहर वहां जाकर, सारे संसद सदस्यों की मीटिंग बुला कर उनको कहते। आपकी सरकार इस बात के लिए जिम्मेवार है। कितनी बार आपने मीटिंग की अपनी बात को फोर्स करने के लिए ? आपको कुछ पता नहीं है। क्या यह बात सही है, चंडीगढ़ के अखबारों में यह बात निकली है और उन्होंने यह कहा है कि उस बैठक के अन्दर बादल ने मना कर दिया कि हम इस बात को नहीं मानेंगे। संत सेवादास को आप कहला दीजिए। संत सेवा दास की धमकी है, रेवेन्यू मिनिस्टर की धमकी है परन्तु उनकी धमकियों के बावजूद भी राजस्थान चुप रहने वाला नहीं है। राजस्थान ने जिस तरफ कदम बढ़ाए हैं, वहां से वह पीछे नहीं हटा है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का मैदान इसके उदाहरण हैं। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है। यह पंजाब वालों की धमकी से डरने वाला नहीं है। आपके मुख्य मंत्री ने पत्र लिखा, जवाब क्या आया ? मुख्य मंत्री ने बात करने से मना कर दिया, यह एलीगेशन अखबारों में आया है। आप क्षमा करें, मैं अखबारों की कटिंग के आधार पर कहना चाहता हूं कि आपके मुख्य मंत्री ने सत्य के सिद्धांतों और न्याय के प्रश्नों पर समझौते और संतुलन का रवैया तो नहीं अख्तियार किया है

(श्री मूलचन्द डागा)

ताकि आपकी जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार चलती रहे ? यह न्याय की लड़ाई है; आप बादल साहब को कह दीजिए, बादल बरसते हैं तो ठीक है, नहीं तो बादल को बरसना होगा। हम किसी से पीछे नहीं हैं। एक दो अखबारों की कटिंग है यह पड़ी हुई है। आपने अपनी किस मीटिंग में यह कहा ? यह कह दिया, प्रधान मंत्री ने डाइरेक्शन दे दिया। प्रधान मंत्री द्वारा डाइरेक्शन देने के बाद, उनको जो पत्र लिखा उसका जवाब क्या मिला ? अगर आज प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने यह आज्ञा दे दी कि पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 की धारा 79 (1) के नीचे तीनों हैड वर्क्स का नियंत्रण भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को देना होगा, उसको यह सारी व्यवस्था सुपुर्द करनी होगी। अगर वह नहीं करते हैं तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके नेता महोदय का यह सारा सदन, सम्पूर्ण राजस्थान साथ देगा। सम्पूर्ण राजस्थान पंजाब की हठधर्मी के विरुद्ध बन्द रहेगा, राजस्थान बन्द रहेगा। सारा राजस्थान आपके नेता के साथ रहेगा और यह बात उठायेगा। हम उसे आगाह करना चाहते हैं कि हमारा पानी दे दो। अगर उसने यह व्यवस्था नहीं की तो आपने क्या कार्यवाही की ? कितने पत्र लिखे ? उन सब की प्रतिलिपि इस सदन की मेज पर रखी जावे। सदन में मैंने इस समस्या पर काम अटेन्शन मोशन दिया, उस पर आपका यह जवाब आया कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक बैठक में यह बात कह दी। परन्तु उसके बाद आपने क्या किया ? आगे की बात कहिये किस दिशा में आप आगे जाना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे दुःख है, कि मन्त्री द्वारा यह जो प्रतिवेदन निकाला गया है, यह प्रतिवेदन निकला है 1977–78 का, उसकी प्रतिलिपि कल ही मिली है इसमें कहीं पर भी इसका रेफरेन्स नहीं है। क्या मन्त्री महोदय मुझे यह बतायेंगे कि यह इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों कर इस लिट्रेचर में नहीं है ? इसका जिक्र इस प्रगति विवरण में क्यों नहीं किया गया है ? यह सिंचाई विभाग का प्रगति विवरण है, उसमें जिक्र आना चाहिये था। यह दुःख की बात है कि आपका सिंचाई विभाग किसी प्रकार से भी इस ज्वलन्त प्रश्न पर जागरूक नहीं है। मैं पुनः, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रीगण हमारे प्रश्नों का उत्तर संतोषप्रद दें और मंत्रीगण बतावें कि अगला कदम क्या होगा और राजस्थान किस प्रकार न्याय को पा सकेगा ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय. . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं। काफी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं एक नया सवाल उठा रहा हूं। यह एक गम्भीर सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन यह है कि इस जनता सरकार को मुल्जिम के कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब से आने वाले पानी में राजस्थान का हिस्सा सदैव से रहा है। इसके बारे में राजस्थान सरकार की ओर से हमेशा भूल होती रही है। चंडीगढ़ में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक्स.ई.एन. वगैरह अपाइन्ट किये हुए हैं। राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि उस पानी का उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में उपयोग हो। हमेशा हम हमारे हक से वंचित रहे हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री ने इस सवाल को उठाया है, चाहे अजेन्डा में हो या नहीं, यह सवाल आया है। प्रधान मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि तीनों हैड वर्क्स का कन्ट्रोल भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को करने का अधिकार है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने यह सलाह दी है और पंजाब सरकार इन तीनों हैड वर्क्स को भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को नहीं देती है तो क्या आज्ञा की पालना के लिये इस मसले को, इस झगड़े को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ले जायेगी? यदि कोई इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट होता है तो वह डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इसके एक्जीक्यूशन के लिये हमारी सरकार कितने समय में सुप्रीम कोर्ट में जायेगी ? कितने समय तक वह वेट करेगी और कब सुप्रीम कोर्ट में मसला ले जायेगी ? जब तक इन तीनों हैड वर्क्स का कन्ट्रोल भाखरा व्यास मैनेजमेंट को नहीं मिलता है तब तक राजस्थान सरकार ने क्या इस प्रकार का रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था की है कि कितना पानी हमें इन तीनों हैड वर्क्स से कम मिल रहा है ताकि समय आने पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाने पर हम इसका कम्पेनसेशन फाइल कर सकें ? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमें पार्टी लेवल से इस मसले को नहीं सोचना है। हमारे मंत्री महोदय अगर आज इस मसले पर जवाब देने की तैयारी में नहीं हैं, उन्हें मुख्य मंत्री से और सलाह लेनी है, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को ले जाना है या नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं। उन्हीं बातों को मत दोहराइये। सदन का समय कीमती है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : समय कीमती है। परन्तु उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के करोड़ों लाखों किसानों के लिये पानी की एक एक बूंद इस सदन की एक मिनट से अधिक कीमती है इसलिये यदि इस बात में अधिक समय लगे तो हमें लगाना चाहिये।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है या नहीं लिया है ? इस एक्ट को एक्जीक्यूट कराने के लिये राजस्थान सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? अगर नहीं लिया है तो क्या ऐसा निर्णय करने का इरादा है ? इस बारे में जानकारी नहीं है तो मंत्री महोदय बाद में भी इसका जवाब सदन को दे सकते हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य रामकृष्ण दास ने अभी इन्टर स्टेट डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। कांग्रेस सरकार ने ही इसकी टाइम लिमिट निकाल दी है। माननीय सदस्य अगर उस एक्ट को

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

देखेंगे तो वे स्वयं ही महसूस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय तो स्वयं कांग्रेस सरकार समाप्त कर चुकी है। अब काम की बात तो यह है कि राजस्थान को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार पुरजोर तरीके से चेष्टा कर रही है। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है जो कुछ हो सकता है राजस्थान के हित के लिए वह करने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री शोपतसिंह मक्कासर : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत साफ है। अगर वह टाइम लिमिट चली गई तो कांग्रेस को सजा मिल गई उसके लिये आप के खिलाफ जनता पार्टी के खिलाफ हमारी शिकायत बरकरार है। आठ-नौ महीने हो गये लेकिन आज तक यह मसला तय नहीं किया है। अब यह मसला कब तय किया जायगा? तीनों हैड वर्क्स का कंट्रोल भाखरा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का न होने से कितना नुकसान राजस्थान को हो रहा है? हैड वर्क्स के पंजाब में रहने से हमारे हिस्से का पानी चोरी हो रहा है। एक लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज तो हमको बताया गया है तो 90 हजार क्यूसेक आ रहा है। सवाल यह है कि एक तो हैड वर्क्स पर भाखरा व्यास मैनेजमेंट के कंट्रोल का मामला तय हो, दूसरे हमारा जो शेयर है, वह मिलता है या नहीं, तीसरे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह अलग तो हो।

श्री शोपतसिंह मक्कासर : सवाल यह है कि जो हमारा पानी का शेयर है, वह हम को मिलता नहीं है। हमारा जो हिस्से का पानी है, वह नहीं मिलता है तो हम उस सम्बन्ध में क्या करेंगे? दोनों पार्टियों ने कुछ भी विचार किया होगा। सवाल यह है कि हैड वर्क्स से पंजाब पानी चुराकर ले जाता है। पानी में जो हमारा हिस्सा है, वह मिलना चाहिये। अगर वह हम को दे दिया जाये तो उससे राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, नेशनल बात है। मैं चाहूंगा कि जनता पार्टी का मन्त्रिमण्डल इसको संजीदा ढंग से ले। इसको मन्त्री महोदय पर नहीं छोड़े। यह तो बेचारे भोलानाथ हैं। इनको कुछ पता नहीं है। इस मसले को जल्दी से जल्दी तय किया जाये क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों में भयंकर रिजेन्टमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामकृष्ण गुप्ता, आप विराजें।

श्री केदारनाथ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 है उसकी धारा 79 (1) है–

"The Central Government shall constitute a Board as Bhakhra Management Board for the administration and management of the following works:

(a) Bhakhra Dam and other works appertaining thereto.

(b) Nagal Dam......

(c) Irrigation headworks of Ropar Harika and Pherozpur,

इसलिये इस सम्बन्ध में डिस्ट्यूब नहीं रहा है। पार्लियामेन्ट ने इस कानून को पास

(श्री केदार नाथ)

किया है। अब इसको रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले सालों इस एक्ट का एक्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, न दो स्टेट के डिस्प्यूट की तरह की बात है। थीन बांध के सम्बन्ध में हुई बैठक मे यह प्रश्न उठाया था, उसका अजेण्डा गया था। बोर्ड के अलावा इसके अन्दर 3 स्टेट्स हिस्सा लेने वाली थीं। इस एक्ट की धारा, जो मैंने सुनाई, के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उसका एक हफ्ते भी पालन नहीं हुआ है। इसके बाद पंजाब सरकार पर इसके बारे में पोलिटिकल प्रेशर डाला गया है कि यह नहीं होना चाहिये। स्टेट्स ने अपने अपने स्टेटमेण्ट्स दिये। मैं समझता हूं कि जब स्टेटमेण्ट्स पेश किये गये तो मिनिस्टर ने बुलाया और बात की। हम कहते हैं कि जो सोइंग सीजन होता है उस सीजन में भी पानी देना उनके हाथ में है। रावी, व्यास और सतलज के पानी में हमारा शेयर है मगर हैड वर्क्स का फिजिकल कन्ट्रोल पंजाब के हाथ में है। यह उसके हाथ में है कि पानी कब मिले। हालत यह है जब जरूरत होती है तब पानी नहीं मिलता है, पानी तब मिलता है जब सीजन निकल जाता है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो गंग कैनाल है, उसमें पानी तभी आता है जब पानी छोड़ते हैं। उसमें भी हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता है। भाखरा में जो पानी मिलेगा है, वह 76.0 लाख एकड़ फीट पानी निर्धारित किया गया है। भाखरा के सिवाय राजस्थान कैनाल में शेयर है।

(व्यवधान)

8 मिली मीटर पानी है। हमारे हिस्से का पानी वह नहीं देते हैं। इसके अलावा कोई कण्ट्रोवर्सी नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इसके बारे में हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम प्राइम मिनिस्टर के पास जायें। प्राइम मिनिस्टर के पास हम गये हुए हैं और हमने बताया है कितने लासेस हमारे हुए है, कितना पानी हमारे हिस्से का है। मान्यवर, 15 प्वाइण्ट . . . भाखरा में, व्यास, रावी में है। लेकिन हैड वर्क्स को हैण्डिल करने का काम पंजाब के हाथ में है। हमने अपना पूरा शेयर इस समय तक नहीं लिया लेकिन जब भी मौका मिला है, हम कांशस हुए हैं। हमने अपना व्यू पाइण्ट रखा है। माननीय सदस्यों ने काफी विचार रखें हैं। मैं कह सकता हूं कि आप सहयोग देंगे और उसके आधार पर यह मसला हल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद विवाद प्रारम्भ होगा। उससे पूर्व श्री अमृत लाल जी . . .

एक माननीय सदस्य : है ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : हैं, हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह अपना कल का शेष भाषण समाप्त करेंगे।

आय-व्ययक 1978-79 पर अग्रेतर सामान्य वाद–विवाद

श्री अमृत लाल परमार (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल कुछ बातें कही थीं। कुछ और निवेदन करूंगा।

खास तौर से राजस्थान के अन्दर शराब खोरी का रोग है उसको दूर करने के लिए मैं पुरजोर शब्दों के साथ निवेदन करना चाहूंगा। इस समय हमारे वित्त मन्त्री जी नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से

(श्री अमृत लाल परमार)

सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है कि दारू बन्दी करने से बड़ी भारी हानि होती हो पर उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं तो दारू की लहर जो अभी चल रही है उससे भी अधिक चलेगी। इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है।

डूंगरपुर के अन्दर 80 प्रतिशत सोप स्टोन गांवों से निकलता है और अच्छी मात्रा में निकलता है। डूंगरपुर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो वहां पर जो गरीब आदिवासी लोग हैं, जो मजदूरी के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं उनको वहां पर काम मिलेगा। वहां पर पत्थर बड़ी मात्रा में पीसा जा सकता है और उसको काम में लिया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री महोदय, अभी मौजूद नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय, जो बिराजे हुए हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर के अन्दर सोप स्टोन पीसने के लिए बड़ा उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई जावे।

दूसरी बात यह है कि समग्र ग्रामोदय योजना में पूरे गांव के विकास के लिए आपने 500 से अधिक की जनसंख्या निर्धारित की है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर गरीब जनता अधिकतर 200 की जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनके अन्दर रहती है। बड़े-बड़े जो गांव हैं उनमें तो अच्छी आर्थिक दृष्टि वाले लोग हैं। जो गरीब से गरीब तबके के छोटे-छोटे लोग हैं वे छोटी आबादी वाले गांवों में रहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि दो सौ की जनसंख्या वाले गांवों को भी इसमें शुमार किया जावे तो यह उनके समग्र विकास के लिए उपयुक्त होगा, गरीबों के गांवों में होकर बड़े गांव के विकास के लिए एक रास्ता मिलेगा और उस गांव · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में रहने वाले पिछड़े लोगों का आर्थिक धरातल ऊंचा उठाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, उनकी माली हालत को सुधारने के लिए और दशा सुधारने के लिए भी यह उचित होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि 200 की जनसंख्या वाले गांव भी इसमें शुमार किये जायं।

दूसरी बात यह है कि · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज राजस्थान स्वायत्त शासन के अधीनस्थ जो सेवा आयोग बनाया हुआ है वह सेवा आयोग आज अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ पक्षपात करता है। इण्टरव्यू लैटर उनको समय पर नहीं भेजता है। जब तक इण्टरव्यू लैटर मिलते हैं तब तक इण्टरव्यू की डेट निकल जाती है। इस प्रकार के कई मामले और किस्से मेरे सामने आये हैं। इस प्रकार से आदिवासियों को नौकरी से वंचित किया जाता है। आदिवासियों को इण्टरव्यू काल समय पर नहीं भेजे जाते हैं, मैं इसका उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक आदिवासी जिला उदयपुर का है, दो साल से वह अध्यापक के पद पर कार्यरत है। उसने समय-समय पर नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

(श्री अमृतलाल परमार)
भी दिया लेकिन उसको कह दिया गया कि आपके पास अमुक सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कोई और गलती निकाल दी गई और उसको वापस भेज दिया गया। उसको जिलाधीश, उदयपुर ने भी जाति का प्रमाण-पत्र दिया लेकिन उसको भी नहीं माना गया। फिर से उसको पत्र लिखा है वह पत्र····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बतलाऊं कि अब आगा है। वह सेवा आयोग के पास जायेगा और मार खाकर वापस आयेगा। इस प्रकार से सेवा आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, जो चैयरमेन साहब बैठे हुए हैं वे अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ में, आदिवासियों के साथ में पक्षपात करते हैं और अपने रिश्तेदारों और अड़ौस-पड़ौस के लोगों को ही लेते हैं। इस प्रकार अनुसूचित जन जाति के लोगों को, योग्य होते हुए भी, वंचित किया जाता है। आज राजस्थान में और खास तौर से उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में एस. टी. सी. और बी. एड के काफी व्यक्ति घूम रहे हैं लेकिन उनको इण्टरव्यू के लिये भी नहीं बुलाया जाता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत समय ले लिया है। कृपया समाप्त करें।

श्री अमृतलाल परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट और लूंगा।

खास बात तो यह है उनको समय पर इण्टरव्यू लैटर नहीं भेजते हैं। उनको यह नोटिस दिया जाता है कि अगर एक सप्ताह में आपका प्रमाण-पत्र नहीं आया तो उसके अभाव में आपको अवसर नहीं दिया जायगा। इस प्रकार से उनको सेवा से वंचित किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि आदिवासी लोग पहाड़ों में रहते हैं, डाक वहां पर बहुत देर से पहुंचती है। उनको इस प्रकार से एक सप्ताह का नोटिस देकर सेवा से वंचित करते हैं। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो कार्यवाही चल रही है उसको रोकने के लिए सतर्कता बरती जाय और आयन्दा के लिए उचित कार्यवाही की जावे। इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां हो रही हैं मैं इतना ही कहकर माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया उसका अनुमोदन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा बजट भाषण पढ़ा है, देखा है, इसमें तलाश किया है उस दिशा को जो दौराने चुनाव जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में दी थी, जो बातें दौराने चुनाव जनता पार्टी के नेताओं ने उस घोषणा-पत्र में दर्शायी थीं, लेकिन वह बात इस बजट में कहीं भी दिखाई नहीं दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चश्मा लगाइये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जी हां, चश्मा लगाकर पढ़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हंसी इस बात पर आई कि दारूबन्दी का शोर किया गया, उसको बन्द करने का प्रचार किया

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
गया। लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिये फिर उसी दारू की शरण में गये हैं। आपको और कोई जगह नहीं मिली, आप उस शराब की शरण में जाकर 6 करोड़ की वसूली कर रहे हैं। यह तो उसी तरह की बात है जैसे एक महिला को उसके पति ने पहले डाइवोर्स दे दिया और बाद में उसी से निकाह की बात शुरू कर दी। यानी एक तरफ तो···

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी सम्प्रदाय विशेष पर इस तरह का कोई रिमार्क नहीं कसा जाना चाहिए। इससे उन लोगों को चोट पहुंचेगी। यह गलत है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री बजरंगलाल शर्मा : डाइवोर्स करने के बाद गहने कपड़े छोड़ रखे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : डाइवोर्स करने के बाद निकाह की बात की है। उसके बाद कुछ होता तो बात समझ में आती। शराब बन्द करने का खूब प्रचार किया गया और सहारा ले रहे हैं उस पर टैक्स लगा कर, इसलिए मुझे आपकी नीयत में शक है। आपने बात कही शराब बन्दी की लेकिन इस तरह से लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं। मैं जानता था, वित्त मंत्री जी, आप शराब बन्दी नहीं कर सकते। यह आपके बस की बात नहीं है, आप लोगों की नीयत और है। आपने प्रचार तो किया लेकिन नीयत खराब है।

श्री ओंकार लाल चौहान : बाकी की नीयत क्या है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप भी हमारे साथ हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं तो पीता नहीं हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ महीने के पीरियड में यह बात कही कि हम दस साल के बाद बेरोजगारी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो दस साल तक आपका इन्तजार करेंगे इनमें से जो लोग ओवर एज होंगे उनको आप किस प्रकार से नौकरी दिलायेंगे? जो नौजवान दस साल के पीरियड में ओवर एज हो जायेंगे, उस उम्र के जायेंगे जिस उम्र के बाद नौकरी नहीं मिल सकती, उनके लिये क्या व्यवस्था करेंगे? क्या आप उनको प्रिफरेन्स देंगे? क्या कोई नीति इस प्रकार की निर्धारित की है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, एक्सपायर हो रही है उनको प्रिफरेन्स दिया जायेगा। आपने कोई नीति निर्धारित नहीं की। आपने सिर्फ 10 साल की बात कह दी। इस साल में जिसकी डेट एक्सपायर हो रही है 1978 में, उसके लिए आपने क्या किया? कहीं अक्ल नहीं लगाई। आप समझते हैं लोग पागल हैं, भरोसा कर लेंगे। आप ऐसे लोगों के बारे में तय करें, या उम्र बढ़ायें, अन्यथा उनको भत्ता दें। जब तक नौकरी न दें उनको भत्ता दें। आपने यह तो नहीं किया, आपने धक्के दिए, नौजवानों को नौकरी नहीं दी है। अगर दी है तो बतावें कितने लोगों को नौकरी दी गई? 13 तारीख को जब जवाब दें तो बतायें कि कितने पढ़े-लिखे नौजवानों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, ग्रेजुएट्स को

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

नौकरी दीं ? एक को भी आपने नौकरी नहीं दी। जो वर्क चार्ज एडहाक बेसिस पर रखे जाते थे, वे भी आगे से बंद हो गए। बेरोजगार आपसे परेशान हैं।

अभी जो आपने यह घाटे का बजट पेश किया, 30 करोड़ का घाटा है और 14 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट ले रखा है तो इतना बड़ा भारी घाटा बजट में फिर भी आपने अपने भाषण में कहा कि 5 करोड़ की बचत है। दरअसल बात यह है कि बचत आपने कहीं नहीं की है, यह तो खर्चा नहीं हुआ। मुझे इत्तिफाक हुआ इरिगेशन के दफ्तर में जाने का। इरिगेशन के महकमे में। 27 फरवरी को गया। मैंने अधिकारियों की भीड़ देखी। मैंने पूछा, यह मेला किसका लगा हुआ है ? किस बात का झगड़ा हो रहा है ? अधिकारी कह रहे थे कि तुम यह रुपया खर्च करो। 31 तारीख से पहले-पहले खर्च करो। नीचे के अधिकारी बोले, हम खर्च नहीं कर सकते। ऊपर वाले बोले, नहीं तो सी. आर. बिगड़ जाएगी। यह पैसा 31 मार्च से पहले खर्च हो जाय। नीचे वाले बोले, हम मजबूर हैं। मजदूर नहीं मिलते हैं। बोले, नहीं खर्च करो। राजस्थान कैनाल में किस तरह से खर्च कर रहे हैं, राजस्थान कैनाल के अधिकारियों ने बगावत की थी कि हम काम रोक देंगे क्योंकि एकाउंटिंग सिस्टम चालू कर दिया था। हम एक तरफ जलील से जलील हरकतें कर रहे हैं। ईरान के शाह तानाशाह के आगमन पर हमने कितनी आवभगत नीचे दर्जे पर जाकर की। अपने बच्चों को पीटना पड़ा कर्जे के लिए। राजस्थान कैनाल के लिए जो पैसा रखा, वह काम पर नहीं लगा, लैप्स हो गया। यह सब झूठी बात है कि हमने खर्च कर दिया। राज्य सरकार योग्य नहीं है खर्च करने में। दूसरी तरफ, इस तरह से उधार मांगने के लिए हम ईरान के शाह से मिन्नतें कर रहे हैं।

वित्त मंत्रीजी, आप तो गांधीवादी हैं, महान् हैं, सर्वोदयी हैं, आपके प्रति हमारे दिल में इज्जत है। मोरारजी भाई ने भी परसों कहा था कि हमारी पार्टी तो गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाली है। मुंह से तो कह दिया कि गांधीवादी हैं लेकिन आपके कारनामे क्या हैं ? एक भी काम आपका है जिसमें गांधीवाद का दर्शन हो ? लंगोटी धारण करते, कम से कम कमीज छोड़ देते, पैदल चलते तो हम मानते कि आप बाबा गांधी की तस्वीर हैं। इंदिरा भी गांधी का नाम लेकर बेड़ा पार कर रही थी। जब मुसीबत में होते हो तो गांधी याद आ जाते हैं। इसी तरह से आप मखौल उड़ा रहे हैं। आपकी असली गांधीवाद की तस्वीर सेक्रेटेरियट में मिलेगी। आप कभी गए सेक्रेटेरियट में। हिन्दुस्तान का कोई भी सेक्रेटेरियट ऐसा नहीं है जैसा राजस्थान का सेक्रेटेरियट है। बेमिसाल, किस में ? ठंडा व गर्म करने के लिए 50 लाख रुपए सेक्रेटेरियट में खर्च किए गये। क्या असेम्बली में कर्मचारी बैठकर मर जायेंगे जहां ठंडा गर्म की मशीन नहीं लगी हुई है···

श्री नवनीत पालीवाल : यहां भी वह मशीन लगी हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब लगी होगी।

(व्यवधान)

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
आप सुन लीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके पड़ोसियों ने लगवाई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भार्गव साहब, मुझे अफसोस है, इन्होंने हुक्म दिया और आप लगा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उस समय से काम हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब काम चल रहा है। यदि थोड़ी भी समझ होती, थोड़ी भी गांधीवाद की बात होती तो मुख्य मंत्री को उसी समय रोक देना चाहिये था। मैं मंत्रिमण्डल के गठन के बाद विधान सभा सत्र के दौरान सेक्रेटेरियट गया तो वहां पर पीपे पहुंचे थे। जब दुबारा गया तो पीपे कपास में लिपटे हुए थे। पास उन्होंने किया, खर्चा आपने किया। इसमें आप सबसे ज्यादा गुनहगार हैं। उनको तो सजा मिल गई, क्या आप भी तैयार हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्यों नहीं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : 5 साल तो बीतने दें। आप शायद खुदकशी करना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। आपकी हरकतें ऐसी हैं जैसे कि खुदकशी करने जा रहे हैं।

वित्त मंत्री जी, मैं कान्क्रीट एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हनुमानगढ़ में थे, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर। उन्होंने हनुमानगढ़ में ऐसा पागलपन किया है कि 50 लाख रुपये के मकानात बनवा लिए, कोठियां बनाई, स्टाफ क्वार्टर्स बनवाए, दफ्तर बनवाए और फिर वही प्रोजेक्ट डाइरेक्टर अपना सारा स्टाफ बीकानेर ले गये। उस समय कृषि मंत्री सम्पतराम थे, कृषि सचिव हूजा साहब थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हो रहा है? अभी तो आपने उसमें दफ्तर लगाया नहीं, उसमें मेज नहीं रखी, कुर्सी नहीं रखी। अब लास्ट स्टेज काम की बनने से पहले ही दफ्तर उठा रहे हैं तो फिर खर्चा क्यों किया? डाइरेक्टर साहब पास में थे। मंत्री महोदय ने पूछा तो कहा, हमको तो मालूम नहीं, हूजा साहब से पूछा। उन्होंने कहा, हमको मालूम नहीं। तुमको मालूम नहीं, इनको मालूम नहीं तो 50 लाख रुपये कैसे लगा दिये। साहब की मर्जी हो गई कि दफ्तर बीकानेर लगाओ। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उस साहब की बच्ची कालेज में पढ़ने लायक हो गई है, हनुमानगढ़ में कालेज था नहीं इसलिए दफ्तर ही बदल दिया। मैंने कहा, अगर डवलपमेंट की बात है तो बीकानेर क्यों ले जा रहे हैं? राजस्थान कैनाल ले जाओ। कहां बीकानेर कहां राजस्थान कैनाल का एरिया? हनुमानगढ़ दफ्तर रखने में कोई तुक नहीं था। कोई एग्रीकल्चरल डवलपमेंट की बात होती तो दफ्तर ले जाना चाहिए था घड़साना में।

गंगानगर शुगर मिल का आफिस यहां जयपुर में है। क्यों? कारखाना वहां पर, दफ्तर यहां पर। बड़े साहब यहां, छोटे साहब वहां। यह क्यों खर्चा किया जा रहा है? तो फिर रोकिये इस फालतू खर्चे को। अगर आप सही मायने में बचत करना चाहते हैं, अगर आप गान्धीवादी बनना चाहते हैं तो आप इस प्रकार फालतू खर्च को रोकिये। आज जो गंगानगर शुगर मिल का दफ्तर जयपुर में है उस हैड आफिस को आप गंगानगर ले जाइये ताकि बचत हो। उपाध्यक्ष

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में राजस्थान की प्रगति करना चाहते हैं तो राजस्थान में और अपने देश में समाजवाद और गान्धीवाद के जो आदर्श आज जनता में दोहरा रहे हैं उनको खुदा के लिये बन्द कर दो। बन्द कर दो इन डाक बंगलों और सर्किट हाउसेज को। इन पर पैसा खर्च करना बन्द कर दो। इन डाक बंगलों में और सर्किट हाउसेज में क्या क्या हुआ है, यह आप लोगों से छुपा नहीं है। इन पर पैसा मत लगाइये। अगर आपको पैसा लगाना ही है तो मैं बताता हूं आपको कहां पैसा लगाना है। पैसा लगाओ आप गरीब मजदूरों की कॉलोनीज बनाने में, उनके मकान बनाने में। आज आपने कितनी मजदूरों की कॉलोनीज बनाईं ? मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मन्त्रीजी, आप से कितने मजदूरों को आपने मकान बना कर दिये हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तीन लाख।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गलत है। आज सारी की सारी आपकी योजनाएं ग्रामोदय की योजना, समग्र ग्राम विकास की योजना दिखने में अच्छी दिखती है। आपने अन्त्योदय की योजना चालू की, अच्छा किया। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आपने परिवार तो छांट लिये 1 लाख 65 हजार पर उन लोगों को बैंक लोन नहीं देता। जमीन आपने बांटी वह जमीन भी नहीं मिली। न पैसा मिला उन गरीबों को न ही जमीन मिली जिससे कि खेती कर सकें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : श्योपतसिंहजी, प्रेस गेलेरी पूरी खाली पड़ी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पड़ी रहने दो उसका मुझे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वह तो आप ध्यान रखें। आपके मतलब की बात है, उससे मेरा मतलब नहीं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी की सारी गलत स्कीमें हैं चाहे ग्रामोदय की हैं, चाहे समग्र ग्राम विकास की योजना है, चाहे अन्त्योदय योजना है सभी फेल होंगी। अगर आपको, वित्त मन्त्रीजी, ग्रामोदय की योजना को देखना है तो देखिये पंजाब की ग्रामोदय की योजना। देखिये हरियाणा की ग्रामोदय की योजना। यह सब चौधरियों के लिये है, बड़े बड़े लोगों के लिये है। हमारे देश की गरीब जनता तो झोंपड़ों के झुन्डों में रहती है आप उनके लिये व्यवस्था करें।

एक माननीय सदस्य : यह पंजाब और हरियाणा की दलाली कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं किसी की दलाली नहीं करता।

श्रीमती उजला अरोडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह 'दलाली' शब्द असंसदीय है इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीब लोग हैं वह तो झुन्ड में रहते हैं। आप उनके लिये कॉलोनीज बनाइये। आप उनके लिये धर्मशालायें बनायें। मेरा यह तजुर्बा है कि गरीब लोग हमेशा झुण्ड में रहते हैं। अगर आप उनके लिये उनके मौहल्लों में धर्मशालायें बनायें तो उनकी बरात वगैरह जो आती हैं वह वहां पर ठहर सकेंगी।

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं राज्य सरकार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा। वित्त मन्त्री जी राजस्थान कैनाल एरिया के क्षेत्र में गंगानगर से लेकर जैसलमेर तक वाया पदमपुर, अनोपगढ़ होती हुई एक बड़ी रेलवे लाइन बनावें नहीं तो पांच साल बाद या दस साल बाद जब राजस्थान कैनाल के कमान्ड एरिया में पैदावार होगी, उपाध्यक्ष महोदय, लाखों टन पैदावार होगी उसको लाने व ले जाने का क्या साधन होगा ? यह बतावें। इसके लिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, वह केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले कि राजस्थान कैनाल के कमान्ड एरिया में गंगानगर से जैसलमेर के एरिया तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनायी जावे तो वह रेलवे लाइन आपके दो पर्पज हल करेगी, पहला राजस्थान कैनाल कमान्ड एरिया की पैदावार लाने ले जाने में काम आयेगी दूसरे वह आपके डिफेन्स पर्पजेज के लिये बहुत ही मददगार होगी। उसकी बड़ी महत्ता है।

इसके साथ साथ मैं वित्त मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान कैनाल एरिया में जो जमीन दी उसकी कीमत 31 हजार रुपये तय थी। पहले उसकी कीमत 17 हजार रुपये थी। पर वह कीमत इमर्जेन्सी में 17 हजार रुपये से 31 हजार हो गई थी। इसको आप कम कीजिये। बाकी इमर्जेन्सी के फैसले जब आप उल्टे कर रहे हैं तो आप इस फैसले को भी उल्टा करिये। यह भी तो इमर्जेंसी में कांग्रेसी हुकमरानों ने 17 हजार रुपये से 31 हजार किये हैं। यह जमीन भूमिहीन व गरीब हरिजनों को दी गई है। उसके पास कहां है 31 हजार रुपया। आप 17 हजार रुपये उसकी कीमत कर दो और उसकी लम्बी लम्बी किश्तें कर दो ताकि गरीब उसको दे सके। नहीं तो यह मैं आपको निश्चित रूप से कह देता हूं कि उनके पास जमीन नहीं रहेगी। यह श्रीमती इन्दिरा गान्धी का तमाशा है जिसने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों के मन को मोह लिया, जिसने गरीबों के दिल में जगह कर ली। उसने कई करिश्मे दिखाये थे। उसने गरीबों की हमदर्द बनने के लिये सोना जवाहरात पर छापा मारकर महारानी गायत्री देवी को अन्दर रख दिया था। इससे गरीबों के मन में बहुत असर पड़ा था। इसलिये यदि आप चाहते हैं सही मायने में गरीब की मदद करना, उसे ऊपर उठाना तो आपको भी इसी प्रकार करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। आपको अपने इरादे मजबूत रखने पड़ेंगे। आज हजारों एकड़ जमीन इन बड़े बड़े शहरों में बेकार पड़ी है, लोगों ने बहुत जमीनें घेर रखी हैं जहां पर मकानात बन सकते हैं। आज जयपुर के आसपास ही आपके शहर में लोगों के बड़े बड़े बंगलों के चारों तरफ 20-20 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सी.पी. एम. वालों को 15 मिनट का समय दिया गया था। माननीय सदस्य को आधे घन्टे से अधिक समय हो गया है बोलते हुए।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घन्टा नहीं हुआ। इन्होंने 1 बज कर 38 मिनट पर बोलना

(श्री उपाध्यक्ष)

शुरू किया था। मुझे समय का पूरा ध्यान है।

श्री ईश्वर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है। वही पुराने पोइन्ट बोल रहे हैं। शोर ज्यादा कर रहे हैं बात मतलब की कम कह रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान सरकार ने किसानों की पैदावार पर चुंगी लगा रखी है जो कि गलत है। यह चुंगी क्यों लगी ? यह चुंगी, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय लगी थी जब सुखाड़िया जी यहां पर मुख्य मन्त्री थे और मैं उन दिनों में विपक्ष में बैठता था। बहुत सालों तक

(व्यवधान)

विपक्ष में इस सदन में बैठा हूं। कांग्रेस की हुकूमत थी, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चुंगी के मामलों को लेकर काफी बहस चली पर सुखाड़ियाजी ने वह चुंगी किसानों पर लागू कर ही दी। सन् 1962 में ज्यों ही चुनाव आने वाले थे कि सुखाड़ियाजी ने वोट लेने के लिये किसानों से चुंगी लेने के कानून को रद्द कर दिया। पर ज्यों ही चुनाव जीत कर वापस आये कि उन्होंने चुंगी वापस किसानों की पैदावार पर लगा दी। यह चुंगी, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही खराब बात है। चुंगी देने वाले किसानों की बेइज्जती होती है। जब किसान अपना गाड़ा अनाज का लेकर आता है तब उसके पास पैसा नहीं होता है और वह जब अपनी पैदावार बेचने के लिये आता है तब उसके पास पैसा नहीं होने के कारण चुंगी वाले उसका साफा उतार लेते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं। आप अगर सही मायने में किसानों के हमदर्द हैं तो आप बन्द कर दो किसानों से चुंगी लेना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार किसानों का पूरी तरह से शोषण कर रही है। आज हमारा किसान दूध का उत्पादन करता है पर दूध उत्पादन को हमारी सरकार डेयरी के नाम····

(2.00 म.प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

किसानों से अस्सी पैसे व एक रुपया किलो के भाव से दूध लेती है और उसी दूध को दिल्ली ले जाकर डेयरी के माध्यम से 5 रुपये 20 पैसे और 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से बेचती है। दूध उत्पादन पर मेहनत करे हमारा किसान और उस पर मुनाफा एक रुपया और सवा रुपया कमाये आपकी सरकार। यह शोषण नहीं है तो क्या है ? आप देखिये लूट मचा दी है। रोकिये इस शोषण को। मेहरबानी करके इस प्रकार का अन्याय तो किसानों पर मत करिये। आप रोकिये इस लूट को।

आखिर में एक बात और कह कर मैं सभापति महोदय, अपनी बात खत्म करूंगा।

कृषि उपज मंडी के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसमें आपने कृषि मंडियों के लिये प्रावधान किये हैं। हमारी राय है कि जितने भी कृषि मंडी के कार्य

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

होते हैं, बिल्डिंग्स, शेड्स हों, और कोई भी निर्माण के कार्य हो वे सब पी.डब्ल्यू.डी. की मार्फत होने चाहिये । कृषि विपणन मण्डल में इन्जीनियर्स की आवश्यकता नहीं है । आपने लाखों रुपया इन पर खर्च किया है । कानून भी हैं आपके पास लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है इसलिये कानूनों का पूरा इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये । अलग से इन्जीनियर्स नहीं रखकर आप सब काम के लिये पी. डब्ल्यू. डी. के महकमे को ही जिम्मेदार करिये । कृषि विपणन बोर्ड में आप भर्ती करने जा रहे हैं लेकिन इन्जीनियर्स की कोई जरूरत नहीं है । आप उनको वापस बुला लीजिये । करोड़ों के काम होते हैं वे सब पी. डब्ल्यू. डी. के पास ही होने चाहिये जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और मजबूत काम हों । मेरा तजुर्बा है कि पहले निर्माण कार्य बहुत ही निकम्मे हुये हैं, इसलिये इसको पी.डब्ल्यू.डी. को सुपुर्द कर दें ।

आखिर में एक बात निवेदन करना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लास्ट ।

मैं जनता पार्टी के सब ही साथियों से एक बात कहूंगा । जयप्रकाश बाबू ने वर्ग संघर्ष की एक बात कही है । पहले उन्होंने वर्ग सहयोग की बात कही थी लेकिन वर्ग संघर्ष की बात आज फिर उन्होंने कही है । इसका मतलब कुछ भी निकाले । वर्ग संघर्ष का एक ही मतलब होता है जो मार्क्स ने बताया । आप कुछ भी मतलब निकालें, जयप्रकाशजी ने कहा कि वर्ग संघर्ष अवश्यम्भावी है । अनिवार्य है । आपने अपना मतलब निकालना शुरू कर दिया । कृपलानी जी बोले, इसका यह मतलब नहीं है । मोरारजी भाई बोले, यह मतलब नहीं है । आपको करिश्मे दिखाने होंगे कि आपने कितनी कोठियां जब्त की, कितने बंगले जब्त किये । आपने सिर्फ शराब पर टैक्स लगाया । हिम्मत पैदा करो अपने आप में आप । मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूं कि बिलकुल टैक्स न लगे । लगाओ । टैक्स नहीं लगाओगे तो कहां से लाओगे पैसा । जितने भी लग्जुरियस आइटम्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं जायदादें पड़ी हैं उन पर टैक्स लगाइये । किस तरह से आप बेहबूदी करेंगे ? राजस्थान के सामने बेशुमार समस्यायें हैं । पीने के पानी की समस्या से लेकर अनेक समस्यायें हैं । उन पर आप टैक्स लगायें जिनके पास कारें हैं, जिनके पास कोठियां हैं व टैक्स से रुपया वसूल करें ।

श्री सुरेश कुमार : जब मैंने यह बात कही तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया ।

श्री सभापति : No interruption please.

श्री नवनीत पालीवाल : मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं, सभापति महोदय । चेम्बर में भी निवेदन किया है । इस तरफ बैठने वालों को तो समय ही नहीं मिलता है । कम से कम तीन सदस्य इधर से बोलने वाले हों और उधर से एक, तो ठीक रहेगा और इधर के माननीय सदस्यों को समय मिल सकेगा ।

श्री सभापति : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।

श्री नूरा : बड़ी पार्टी शासन में बैठी है उसके सदस्य बोलें और छोटी छोटी पार्टीज को लास्ट में लाकर खड़ा कर दें तो क्या यह न्याय होगा ?

एक माननीय सदस्य : बड़ी में आ जाओ।

श्री सभापति : श्री हनवन्तसिंह । Very sorry.

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कुछ भी कहा, मैं समझती हूं कि बजट के द्वारा ग्रामों की ओर जाने की बात कही वह अच्छी है व इसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

मान्यवर, मैं समझ नहीं पायी कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने जो कर प्रस्तावों के बावजूद भी 34.22 करोड़ का घाटा रखा है वह क्या केन्द्रीय अनुसरण में आदर्श उपस्थित किया है ? मैं कहना चाहूंगी कि किसी तरह का कोई संकेत घाटे की पूर्ति के लिये नहीं किया है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने ग्रामीण ऋण और राज्य बीमा योजना की ओर संकेत किया है लेकिन यह संकेत नहीं किया है कि इससे 34 22 करोड़ का घाटा पूरा हो जावेगा। माननीय वित्त मंत्रीजी अपने उत्तर में स्पष्टीकरण करे कि किस तरह से इस घाटे की पूर्ति वे करना चाहेंगे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यदि वित्त मंत्रीजी ने हमारे खनिजों के दोहन के विचार को आगे लिया होता तो पैसा मिलता, वन संरक्षण का आयोजन करते तो पैसा मिलता। कुटीर उद्योगों को पनपाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पन्ने का उद्योग है। आज वह विदेशों में पनप रहा है। 3 बिन्दु पर टैक्स लगा कर इस कुटीर उद्योग को घाटा ही पहुंचाया। कोलम्बियन और इजराइली पन्ना देश विदेश की मंडियों में पहुंच गया और उससे हमारे यहां के कुटीर उद्योग को घाटा पहुंच रहा है। गुजरात में टैक्स समाप्त कर दिया है, इसलिये लोग उस तरफ जा रहे हैं। जयपुर का जौहरी बाजार इसकी बहुत बड़ी मण्डी है, इस बात को वित्त मंत्रीजी को ध्यान में रखना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत है। इसको एक स्वायत्तशासी निगम बनाया जाना चाहिये। देशी और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र राजस्थान है लेकिन यहां की संस्थाओं को संरक्षण नहीं मिलता है और बाहर की पार्टीज मुनाफा उठाती हैं। यदि निगम हो जाय तो सारी आय हमारे यहां खपेगी। उससे हम अधिक साधन जुटा सकेंगे।

मान्यवर, मैं वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहती हूं और मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने अन्त्योदय और ग्रामोदय योजनाओं को हाथ में लिया। 8 महीने में 45 हजार लोगों को आत्म-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निर्भर बनाने का संकेत दिया है, वह एक अच्छा संकेत है। विपक्ष के लोग बार बार यह दिखाते हैं कि बजट में कोई दिशा नहीं है या राज्यपाल के अभिभाषण में कोई दिशा नहीं है। वे समझते नहीं हैं कि इनमें दिशा का संकेत नहीं है तो क्या है ? यह अन्त्योदय और ग्रामोदय योजना है, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि इनको लागू करने में सावधानी बरतनी चाहिये। कहीं हम मशीनरी के कारण इनमें असफल न हो जायं, यह सावधानी जरूर रखनी चाहिये और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं का इसमें समावेश करना चाहिये।

इसी तरह से पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक जन प्रतिनिधियों को उसमें लगाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मान्यवर, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, अर्थ विशारद हैं, बाहर विदेश के नहीं अपने ही देश के, उनको लगाकर इसकी क्रियान्विति की योजना बनानी चाहिए। इससे मैं समझती हूं कि निश्चित रूप से अन्त्योदय योजना सफल होगी। एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो कि उपेक्षित रहा है। कांग्रेस ने केवल गरीबी मिटाने का नाम लिया, लेकिन गरीबों को और गरीब बनाया है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस अन्त्योदय योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा, लोग नीचे से ऊपर की ओर उठेंगे और उनमें समता की भावना आयेगी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि 64.40 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा खर्च के लिए रखा गया है यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार और वित्त मंत्री जी गांवों का विकास करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गांवों में सड़कें दूर दूर तक टूटी पड़ी हैं और कहीं हैं ही नहीं। छोटे छोटे बांध हैं जो कि गांवों में खेती को सिंचित करते हैं, जो कि पशुओं को पीने के लिए पानी देते हैं, उनमें और गांवों में स्कूल और औषधालयों में इस पैसे का समायोजन किया जाना चाहिए।

मेरे बन्धु पता नहीं कैसे कहते हैं कि यह बजट दिशाहीन बजट है, यह बजट ग्रामोन्मुख बजट नहीं है। मुझे दुःख है कि वह थोथे नारों और थोथे विचारों से इस तरह की बातें किया करते हैं। आंकड़े स्पष्ट हैं 1977–78 में 280.25 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए रखा था और चालू वर्ष में 370.97 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है। इससे गांवों का विकास होगा। माननीय सभापति जी, इससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने ग्रामीण विकास के समुचित उपाय किये हैं।

साथ ही जो इन्होंने सभी प्रकार की शराब पर 30 प्रतिशत बिक्री कर लगाने की घोषणा की है उससे हमारी आय बढ़ेगी। ईसको मैं सही तरह की आय नहीं मानती। यह उस बात का द्योतक नहीं है जो कि हम चाहते हैं। हमारे घोषणा-पत्र और हमारी नीतियों में यह है कि हम शराबबन्दी करेंगे और यही बात अपने भाषणों में भी कहते रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लाटरी की आय जूए की आय है, खराब आय है और शराब की आय भी खराब आय है। शराब की खराब आय बढ़ाकर आप क्या करना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि यह क्रमशः क्रमशः चलने का क्या तरीका है । मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि यह गलत है। अगर लत छूटती है तो एक साथ छूटती है। जब कोई शराब पीने वाला संकल्प ले लेता है कि कल से नहीं पीयेगा तो नहीं पीयेगा। हां, वह सोचेगा कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, इस लत को आप एकदम छुड़ा दीजिये। शराब के लिए सोचते हैं कि शनैः शनैः बन्द करेंगे इसके बजाय आप इसी बजट में घोषणा करें कि हम इसको तुरन्त बन्द करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि केन्द्र से जितना पैसा मिले उसके अनुसार योजना बनाई जानी चाहिए। माननीय सभापतिजी हमारी योजनायें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर बनानी चाहिए लेकिन इस ढंग से योजना न बनाने के कारण और देरी से पैसा मिलने के कारण या बाद में कोई व्यवधान होने के कारण हमारी घोषणायें और हमारी योजनायें पूरी नहीं होतीं और हमारे काम अधूरे रह जाते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आपकी घंटी बार बार बजेगी तो बैठ जाऊंगी. . . . .

श्री सभापति : यह वार्निंग बेल थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका आदेश मानने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगी।

माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि खनिज सम्पदा के दोहन के लिए, वन सम्पदा के संरक्षण के लिए और कच्चे माल के उपयोग के लिए योजना बनाई जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि लोगों में बड़ा असन्तोष है। हमने अपने घोषणा–पत्र में साफ साफ लिखा था कि हम उत्पादन कर लगायेंगे। उत्पादन कर के अभाव में तरह तरह के कर हमने लगा दिये। लोगों को उनके कारण काफी भ्रम है। सूती साड़ी पर कोई कर, दूसरी तरह की साड़ी पर कोई कर और तीसरी तरह की साड़ी पर और कोई कर। इस प्रकार से कपड़ों पर करों के अंक हैं उनको समझने में लोगों को बड़ी दुविधा होती है। मैं कहूंगी कि उत्पादन कर लगाया जाये। जहां सामान पैदा होता है वहां कर लगाया जाये। जैसे कि बाटा का जूता कलकत्ता से लेकर बाड़मेर तक एक ही पैसे में बिकता है, तो हमारी सरकार इसके बारे में यह व्यवस्था क्यों नहीं करती?

श्री मूलचन्द डागा : चीजों पर नहीं जो आदमी पहनता है उस पर लगना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : डागा जी जरा समझें।

माननीय सभापति जी, अनुसूचित जाति और आदिवासियों के विकास के कार्यों के लिए ज्यादा प्रावधान रखना चाहिए या उन क्षेत्रों के लिये जहां कोई काम ही नहीं हुआ है। पिछली सरकार भरे में भरने वाली नीति से चलती थी। जहां रोशनी का एक खम्भा है तो चार और लगा दिये। इस तरह से काम नहीं चलेगा। पिछड़ी जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोग आशा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगाये बैठे हैं इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं संकेत मात्र में निवेदन करना चाहूंगी कि उस क्षेत्र में छात्रों के लिए तो छात्रावास खोल दिये लेकिन छात्राओं के लिए कोई छात्रावास नहीं है। इसी तरह से मैं संकेत देना चाहूंगी कि जो रोजगार के लिए शहरों में बहनें आती हैं उनके लिए कोई आवास गृहों की व्यवस्था नहीं है और वह किराये पर इधर-उधर रहती हैं। इसी कारण से वह गांवों से शहर और शहर से गांव नहीं जाना चाहती हैं। इसलिए उनके लिए आवास गृहों का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, बजाय इसके कि हम लोग एन्क्रोचमैंट को प्रोत्साहन दें जिस तरह से पिछली सरकार देती रही है हम आवासगृहों की व्यवस्था क्यों नहीं करते? यदि आवासगृहों की व्यवस्था करते हैं तो उससे हमें भूमि कर मिलेगा, गृह कर मिलेगा और उनके अलाटमेन्ट से पैसा मिलेगा। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है जो दिया जाना चाहिए। शहरों में एन्क्रोचमेन्ट इसीलिये बढ़ रहे हैं। एक नीति बनाई जानी चाहिए और शहर के जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं या गांव के जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनके लिए मकान की व्यवस्था की जानी चाहिए। भूमि आवंटन की जायेगी लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं है। इस कारण लोग भूमि हड़पने के लिए गलत ढंग से काम करते जा रहे हैं और गलत ढंग से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आवास की समस्या का समाधान करने के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

सभापति जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं वित्त मंत्री जी को कि इन्होंने पैन्शन का पैसा बढ़ाया। पैन्शन के नियमों में सरलीकरण किया। लेकिन मुझे बहुत दुःख है कि बहुत सी ऐसी विधवा बहिनें हैं जो कि 30–35 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाती हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं होता, जिनका कोई सम्बल नहीं होता उनके बारे में मैंने मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया, वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन किया। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी 28 जनवरी के दिन जो भाषण हुआ राज्यपाल महोदय का, उसमें उन्होंने कहा कि जो निराश्रित हैं उनका सहारा सरकार है। उन निराश्रित बहिनों के लिये हमारी सरकार पैन्शन लागू करेगी। जो बड़े बड़े लखपतियों की बीवियां हैं मुझे उनके लिये नहीं कहना है। मुझे उनके लिए कहना है जिनका कोई आश्रय नहीं है। यह भी सम्भव है कि लोग उनके चरित्र पर अंगुली उठायें, उनको बर्तन मांझने के लिये मजबूर होना पड़े। ऐसी स्थिति में ऐसी बहिनों के लिये सरकार पैन्शन का प्रावधान करे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी निराश्रित बहिनों को ध्यान में रखें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि 1974 में भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में जो आन्दोलन हुआ था उसके फलस्वरूप 4 मार्च को एक मीटिंग में माननीय श्री हरिदेव जोशी ने घोषणा की थी कि सब्जी पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा। सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहूंगी कि यदि पालक, गाजर, मूली पर भी हमारी सरकार टैक्स लगायेगी तो यह चीजें महंगी उपलब्ध होंगी। महंगी ही नहीं, मैं कहना चाहूंगी, इसका कैसे हिसाब किताब रखा जायेगा। सुबह पालक का भाव 8 आने होता है। अगर नहीं बिकता है तो शाम को गाय को खिलाना पड़ता है। बिना पढ़ी-लिखी बहिनें रोजगार कमा रही हैं, वे कैसे हिसाब किताब रखेंगी और कैसे वे बेचेंगी। उनको काफी परेशानी होगी। मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी, वित्त मंत्री जी से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कहना चाहूंगी कि सब्जी पर लगने वाला टैक्स कृपया समाप्त करें। इसमें और भी कई दिक्कतें हैं। यहां तुलारे पर भी टैक्स है, बोझे पर भी टैक्स है। माननीय सभापति जी, तुलारा जो तोलता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। कितनी जगह टैक्स लगेगा। माननीय सभापति जी, बहिनें किस तरह से हिसाब रखेंगी। यही सोचा है सरकार ने बहिनों के लिये ? सारी बहिनें मिलकर बार बार बोल रही हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं सब्जी पर से टैक्स हटा देना चाहिये। मुझे आशा है मेरी सरकार, मेरी इस बात को मानेगी····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट और कहने का समय दे दें।

सभापति जी, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, चिकित्सा मंत्री जी ने सभी मन्त्रियों ने कहा है कि लोग गांवों में जाना पसन्द नहीं करते। मेरा एक सुझाव है कि ऐसे लोगों को ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिये। चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह चिकित्सक हो, शहर में रहने वालों को शहरी भत्ता भी उपलब्ध है फिर वह यहां से जायें क्यों ? अगर ग्रामीण भत्ते का प्रावधान किया जायेगा तो निश्चित रूप से लोग जायेंगे।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगी, वहां कोई चिकित्सा के साधन उपलब्ध नहीं हैं। प्रसूति के समय में अनेक बहिनों को तड़फ-तड़फ कर मरते देखा है। मैं कहना चाहूंगी वित्त मंत्री जी से, जैसा श्योपतसिंह जी ने कहा, मैं भी कहना चाहूंगी गांवों में सड़कों का निर्माण किया जाये गांवों में चिकित्सालयों का निर्माण किया जाये तो लोग वहां जायेंगे। वहां सुविधाओं के साधन तो दीजिये। गांवों में आप उद्योग खोलिये, लोग शहरों की तरफ आना बन्द हो जायेंगे और राज्य में उद्योग धन्धे पनपेंगे। इन बातों की ओर यदि सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से हमारे शहरों की, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हनवन्त सिंह।

श्री हनवन्त सिंह (बाली) : सभापति महोदय, सबसे पहले राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बाली जिले को पूर्ण नशाबन्दी क्षेत्र घोषित कर दिया। मगर मुझे डर इस बात का है कि इसको लागू किस तरह से करेंगे ? मेरी तहसील में नशाबन्दी लागू करने के लिये ठिकले-

(श्री हनवन्त सिंह)

पर किया था लेकिन आज भी अधिक कीमत देने पर चाहे जितनी शराब मिल सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जिले में अगर पूर्ण नशाबन्दी डिक्लेयर कर दी गई है तो इसको सख्ती के साथ लागू किया जाये।

इस बात के लिये राजस्थान की सरकार धन्यवाद की पात्र है कि अब के बजट में अधिकतम खर्च ग्रामोन्मुख करने का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बिना किसी राजनैतिक आधार के ग्रामीण विकास के आधार को माना है। जनसंख्या के आधार को प्राथमिकता दी है। शिक्षण संस्थायें जनसंख्या के आधार पर खोलने और सड़कें जनसंख्या के आधार पर बनाने का निश्चय किया है। मैं आपके द्वारा पुनः उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस निश्चय को कृपया पहले पलटें नहीं क्योंकि मैं स्वयं इस बात का भुक्त भोगी हूं। मेरे क्षेत्र में पिछली बार बजट में ढेर सारे स्कूल खोलने का निश्चय किया गया था। उस समय मेरे क्षेत्र में 4-5 गांवों में बीजापुर, बीसलपुर, लूणावास आदि गांवों में स्कूल खुलने वाले थे। उनको बिना किसी आधार के नहीं खोला गया। सभी न्यायोचित कारण मौजूद होते हुए भी मेरे क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी का और राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस बार कहीं ऐसा न हो कि मेरे क्षेत्र को उपेक्षित रखा जाये।

वास्तव में सरकार ने इन 8 महीनों में कई कार्य किये हैं जो कि पिछली सरकार कई सालों तक नहीं कर पाई। केवल गरीबी हटाओ के नारे के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने जो कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, उसमें अन्त्योदय योजना, ग्रामोदय योजना, राजस्व अभियान से गरीबों को अधिकाधिक राहत मिल सकती है, इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना किये बिना मैं नहीं रह सकता।

जिस तरह से हमारी सरकार ने घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि हम लोकतन्त्र को कायम रखेंगे, उसके अनुसार पिछले 13 सालों से जो पंचायतें चल रही थीं उन पंचायतों को हटाकर जो चुनाव कराये यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मगर जिला परिषदों और पंचायत समितियों को इसके साथ नहीं जोड़ा गया, अधरझूल में लटका दिया है। इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार नीति को स्पष्ट करे और इस बात की घोषणा करे कि चुनाव प्रक्रिया क्या होगी और उनको गाइड करने में सुप्रीम आथोरिटी क्या होगी ?

मैं आपके द्वारा सरकार से यह और निवेदन करना चाहूंगा, आपने पेय जल की समस्या को प्राथमिकता दी है और इसको द्रुत गति से निपटाने का जो संकल्प किया है, वह सराहनीय कदम है। मेरा निवेदन है जिस तरह जनसंख्या के आधार पर प्रायोरिटी रखी है उसी तरह पानी की किस्म को देखकर भी प्रायोरिटी रखनी चाहिये। मैं श्रीमन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं कई गांव ऐसे हैं जिनका पानी खारा ही नहीं है बल्कि उसे कुछ समय तक पीते रहने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, कुबड़-पन आ सकता है। तो सरकार का यह

(श्री हनवन्त सिंह)
नैतिक दायित्व हो जाता है कि ऐसे गांव में पेय जल की समस्या को निपटाने के लिये प्राथमिकता के इस आधार को भी रखा जाय।

समाज कल्याण का जिस तरह कदम उठाया गया, है वह भी एक सराहनीय कदम है। छात्रावासों की जिस तरह संख्या बढ़ाई जा रही है, इसके साथ मैं निवेदन करूंगा इसमें फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को दूर करने के लिये अगर सरकार ने बहुत गहराई के साथ चिन्तन नहीं किया तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि यह सारी व्यवस्था फेल हो सकती है। मेरे क्षेत्र में 2--4 होस्टल हैं जहां कई सालों से एक-एक ही आदमी बैठे हैं, उनका अपना वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होता है। कई तरह से छात्रों को आर्थिक हानि देने का विचार रखते हैं तथा राजनैतिक दलगत कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं पर्टीक्यूलर नाम लेकर नहीं कहता मगर इस तरह की अव्यवस्था को दूर करने के लिये समाज कल्याण विभाग गहराई से सोचे, मेरी इस तरह की मांग है।

मेरा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है। मैं यह सोचता हूं कि राजस्थान का कोई क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित नहीं है लेकिन मेरा क्षेत्र पूर्णतया उपेक्षित है। इसलिये इस क्षेत्र को ग्राम विकास योजना में जोड़ने का सरकार से आग्रह करूंगा।

इसी तरह पशुपालन और डेयरी के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनके समाधान के लिये इस बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। मेरा निवेदन कि हमारे क्षेत्र की मांग को देखते हुये उसे इस सम्बन्ध में उपेक्षित नहीं रखा जाय और स्पेसिफिकली इस क्षेत्र का नाम जोड़ा जाय। मैं पुनः निवेदन करूंगा, पशुधन की बहुतायत होते हुए भी वहां पर अधिक संख्या में पशु चिकित्सालय नहीं हैं तथा डेयरी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, डेयरी की कोई मोटर नही आती है और डेयरी की मोटर नहीं आने में काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये सरकार मेरी इस मांग पर भी विचार करे।

हांलाकि वाली क्षेत्र ग्रामीण विद्युतीकरण में जोड़ा गया है लेकिन वहां 25 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर्स लगाये गये हैं वे काफी कम हैं। उनके स्थान पर 100–100 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर्स की मांग है। जो मांग है उसके अनुसार ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। 100 हार्स पावर की जगह 25 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर लगा दिये गये हैं। उनकी जगह अब 100 हार्स पावर के ट्रांसफार्मर्स की डिमाण्ड है, उसको पूरा किया जाय। अगर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम यह तो करिये कि आधे इस साल और आधे अगली साल लगाने की व्यवस्था करें। इस तरह की व्यवस्था करने के लिये सरकार से मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा।

इसी तरह से सिंचाई की व्यवस्था भी मेरे क्षेत्र में, मान्यवर, ठीक नहीं है। जल का स्तर बहुत नीचा है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं चाहूंगा छोटे छोटे बांध बना कर...

एक माननीय सदस्य : जवाई बांध...

श्री हनवन्त सिंह : जबाई मेरे क्षेत्र में नहीं है।

सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं जिससे छोटे लघु-सीमान्त काश्तकारों को फायदा हो सके तथा जिनके कुए हैं, उनका भी जल स्तर ऊंचा आ सके।

मेरे इन सुझावों के साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इससे ज्यादा अच्छा बजट नहीं हो सकता है। इसके लिये मैं सरकार को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री सभापति : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति जी, किसानों के विकास के नाम से कांग्रेस सरकार ने भी 30 साल तक वोट लिये। 30 साल बाद चुनाव होने के बाद जनता पार्टी को देश में सत्ता में इसलिये बैठाया कि यह 'जनता' के नाम की पार्टी है। शायद जनता के प्रति अच्छे विचार लेकर यह पार्टी आई है इसलिये देश की जनता ने केन्द्र में और राजस्थान में भी जनता पार्टी को हुकूमत में लाकर बिठाया। किन्तु उसके बाद जनता ने जो देखा इससे उसको निराशा हुई। जनता पार्टी ने जो पहले अल्प समय के लिये बजट रखा था, उस बजट को भी जनता ने सुना और देखा और असली रूप में उस बजट को नाप तोल कर देखा। उसके बाद जो यह बजट पेश किया गया है इसमें कांग्रेस की पुरानी योजना के नाम बदल कर नये नाम रख दिये हैं। इसमें नयापन लाते तो शायद लोग ज्यादा दिन तक इन्तजार करते। अब जनता अच्छी तरह से जनता पार्टी को समझ गई है। कांग्रेस ने आदर्श ग्राम योजना के नाम से एक योजना शुरू की थी। अब जनता पार्टी ने उसका सम्मिलित नाम 'ग्रामोदय योजना' रख कर गांव का पूरा विकास करने की बात कही है। परिवार नियोजन के नाम से जनता नाराज हो गई तो आपने उसका नाम परिवार कल्याण रख कर उसी योजना को शुरू किया है। आप सोचते हैं ऐसा करने से जनता भूल जायेगी कि इस नाम के पीछे काम क्या है। इतने भोले लोग अब नहीं रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप परिवार नियोजन की खिलाफत नहीं करते थे, उसके नाम से डरते थे, इसलिये आप उसको परिवार कल्याण नाम रख कर सामने लाये हैं। क्या आप इस नारे से और इस बजट से यह आशा करते हैं कि देश की गरीबी दूर होगी? ऐसी आशा कभी नहीं की जा सकती है। क्या यह आशा की जा सकती कि इससे राजस्थान की समस्याएं हल होंगी? ऐसा लगता है कांग्रेस ने 30 साल पूरे किये लेकिन जनता पार्टी के लोग अभी से महसूस करने लगे हैं कि जिन नारों की वजह से जनता ने हमको शासन का अधिकार दिया है, क्या हम इस अधिकार को बरकरार रख पायेंगे। भले ही आप न कहें लेकिन आपका दिल जानता है। आपको यह डर लगता है कि जनता इस बात से नाराज हो जायगी। मैं चाहता हूं जनता को आप पर विश्वास रहे लेकिन जरूरत इस बात की है कि जनता के विकास की बात सामने लाकर आप किसी काम को हाथ में लें तो जरूर जनता विश्वास कर सकती है।

अन्त्योदय योजना का बहुत बड़ा नारा दिया है, बहुत बड़ा काम भी उसका

(श्री तूरा)

कहा जा सकता है लेकिन आपने साल भर के लिये दो करोड़ रुपये रखे हैं। हो सकता है, और डिपार्टमेंट से भी इसमें मदद मिले। लेकिन दो करोड़ को राजस्थान के गांवों में बांटा जाय तो आप देख लीजिये, कितना पैसा गांव वालों के पास पहुंचेगा? इस पैसे से यह अन्त्योदय योजना आगे कैसे बढ़ेगी और कैसे इसको सफलता मिलेगी? यह खुद इस योजना को पेश करने वाली पार्टी विचार करे कि यह अन्त्योदय योजना कहां तक आपको सफलता देगी?

अन्त्योदय योजना के अन्दर अपाहिज लोगों को पैंशन देने की बात कही गई है। ऐसे व्यक्तियों को पैंशन देने का कानून पहले भी था लेकिन अब अन्त्योदय योजना के माध्यम से एक अभियान के रूप में मनाया जाकर नामान्तरण करने और चालीस रुपये माहवार पैंशन गांव गांव जाकर देने की बात की है। मैं कहता हूं कि अभियान चलाने की क्या जरूरत है जब कि पहले से कानून है। आपको सख्ती से आदेश जारी करना चाहिए कि कोई अभियान नहीं चलेगा। कोई भी नामान्तरण का मामला हो, उसका तुरन्त निपटारा किया जावे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सेवक गांव गांव में मौजूद हैं। उनको आप आदेश दें कि वे गांव में ढूंढ-ढूंढ कर ऐसे लोगों को निकालें जिनको पैंशन मिलनी चाहिए। जिन्हें अविलम्ब सहायता पहुंचानी है उनको नार्मली तुरन्त सहायता देने की बात आपको कहनी चाहिए। आप चालीस रुपये पैंशन की बात तो करते हैं लेकिन लोग आज भी पैसे के लिए इन्तजार कर रहे हैं। आज गांव में एक आदमी ने फार्म तो भर दिया लेकिन उसके पास पैसा नहीं पहुंचा है। सरकार के पास भी पैसा नहीं है उनको देने के लिए। अभियान कब चला था? पैसे के लिए इन्तजार काश्तकार आज भी कर रहा है।

आज के समय में कहीं चोरी हो जाय तो पुलिस चोर पकड़ने के लिए गरीब के घर में जायेगी। वहां चोर नहीं हो तो भी जायगी। उसका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह गरीब है। इसलिए उस पर शक किया जाता है कि यह चोर है, इसको पकड़ा जाना चाहिए। कल ही गृह मंत्रीजी ने यहां पर भाषण दिया था, अजमेर में मीणा जाति के लोगों को ठोका गया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जो बड़े बड़े टैक्स चोर हैं, बड़े बड़े महल वाले लोग हैं, वह काफी टैक्स दबाये बैठे हैं। क्यों आपकी पुलिस दौड़ कर उनके पास नहीं जाती है? क्या यह आपकी आमदनी बढ़ाने का तरीका नहीं है?

कितने अपराध आज हो रहे हैं? यहां पर चर्चा होती है कि फलां सरपंच की नाक काट ली, विधायक के यहां पर चोरी हो गई। क्यों ये अपराध बढ़ रहे हैं? इन अपराधों को रोकने के लिए जनता पार्टी के पास कोई उपाय नहीं है? आज शराब को बन्द करने की बात कही जाती है। कई देश ऐसे हैं जिनमें शराब चलती है। वे ठण्डे देश हैं इसलिए वहां पर शराब चलती है लेकिन शराब के द्वारा जो फैल होते हैं, जो नुकसान

(श्री नूरा)

होता है, जो अपराध पैदा होते हैं, उन्होंने उन सब पर कण्ट्रोल किया है न कि शराब पर कण्ट्रोल किया है। वहां शराब बिकती है लेकिन अपराध करने वालों को सजा मिलती है। आज जनता पार्टी के कुछ विधायक इस बात को कहते हैं कि इसको सख्ती से रोक दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या प्रचार के द्वारा, लोगों के बीच में बैठ कर, जम कर इसको बन्द करने की आपकी हिम्मत नहीं है? आप उनको रोक नहीं सकते? यह नहीं कह सकते कि शराब मत पीओ, यह नुकसान करती है? शराब पीने के कारण जो अपराध होते हैं, उनको रोकने की व्यवस्था नहीं है। आप शराब बन्द कर दीजिए लेकिन आज शराब अवैध रूप से बनती है, घर में बैठी हुई किसी आदमी की बीबी सुबह से लेकर शाम तक शराब तैयार करती है और खाने के साथ शराब पीने के लिए घर में शराब बना कर देती है। राजस्थान में शराब अवैध रूप से काफी बनती है। मेरे साथ बैठने वाले विधायक, जो मकराना से आते हैं, यहां पर बतला चुके हैं कि उनके यहां पर बहुत ज्यादा अवैध शराब बनती है। सभी विधायक महोदय इस बात को जानते हैं कि उनके इलाके में अवैध रूप से कितनी शराब बनती है। अवैध शराब पर कानूनी पाबन्दी है उसके बाद भी यह अवैध शराब क्यों बनती है? जब कानून में यह प्रावधान है कि अवैध शराब नहीं बनेगी तो आप उसको क्यों रोक नहीं सकते? अब फिर शराब बन्दी कर अवैध रूप से शराब बनाने, लोगों को चोर डकैत बनने का और अपराध बढ़ाने का मौका और देंगे। आज एक एक जिले में शराब बन्दी की बात कही जाती है। कई जिलों को खुला छोड़ रखा है। एक जिले में शराब बन्दी है और पड़ौस के जिले खुले हैं तो वहां से बराबर अवैध शराब आएगी। इसलिए शराब बन्द करने की बात को कह कर एक हव्वा खड़ा किया जाता है। इस तरह से शराब को बन्द करने से समस्या हल नहीं होगी। शराब पीने के बाद जो फैल होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको रोकने से समस्या हल होगी। अगर खाली शराब बन्द करने की बात बार बार कही जाती है और अपराध रोकने की बात नहीं करते हैं तो इससे समस्या का हल नहीं होगा, इससे उत्पन्न होने वाले अपराधों का अन्त नहीं होगा।

साथ ही बार बार राजस्थान में अकाल की छाया पड़ती है और लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हमारी राजस्थान सरकार केन्द्र से लाती है, बाहर से लाती है और अकाल राहत कार्यों पर लगाती है। इस बजट में कोई भी योजना, अकाल और बाढ़ को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए एक भी परिपक्व योजना हाथ में लेते तो हमारा एक कार्य पूरा हो जाता। राजस्थान को पानी मिलता और वह पानी विकास के काम में आता। कहीं पानी बहा जा रहा है, कहीं पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, कहीं पीने को पानी नहीं है, इस तरह की समस्यायें है। मेरा सुझाव है कि जो नदियां राजस्थान में बहती हैं उनका पानी नहरों से पहुंचाया जाय। उनका पानी दूसरे इलाकों में मोड़ दिया जावे, लिफ्ट से पहुंचाया जाय। अतिवृष्टि के समय फाटक खोल दिये जावें तो बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाके बचेंगे और जहां पानी नहीं है वहां पानी जाकर हमारे विकास के काम में मदद करेगा।

(श्री नूरा)

यह काम सरकार हाथ में लेती तो कई सूखे इलाकों को फायदा होता। इज्राइल में खारे समुद्री पानी को मीठा कर रेगिस्तान में अंगूर पैदा किया गया है लेकिन हमारे राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसको लोगों ने आकर भी देखा है, वहां पर राजस्थान नहर गुजरती है और अनेक प्रकार की लड़ाइयां होती हैं। इसका कारण यह है कि जरूरतमन्दों को पानी नहीं मिलता और जो जबरदस्त लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वे पानी ले जाते है। उन इलाकों में आज भी पूरा पानी नहीं मिल पाता है।

गांवों में जाने की बात जरूर करते हैं लेकिन अभावग्रस्त गांवों को घोषित किए दो-दो, तीन-तीन महीने हो गए परन्तु अभी तक वहां पर राहत कार्य शुरू नहीं किए गए, किसान लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई। अब आप यह कहते हैं कि हमें फाइनेंस विभाग की मंजूरी नहीं मिली है। एक गरीब जो भूखा है उसको कब तक कहते रहेंगे कि तू भूखा है तू हिम्मत रखना अभी मरना मत क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी नहीं मिली है। शायद मौत उसको नहीं छोड़ेगी। अगर ये ही सारी नीतियां आपकी हैं जो पहले कांग्रेस की थीं तो मैं यह कहने को तैयार हूं कि जनता सरकार भी उसी का अनुकरण कर रही है। उसका अनुकरण करना छोड़ दे। उसी तरह से आज भी बातें चलती हैं, उसी तरह से आज भी फाइलें चलती हैं और जब बरसात आ जाएगी तब काम शुरू होगा।

ओलावृष्टि से फसल चौपट हो गई। उसकी सूचना तार, चिट्ठियों से दी, मुख्य मंत्री को सूचना दी कि गरीब किसानों की फसल चौपट हो गई है लेकिन फिर वही रोना धोना शुरू हो गया। उनको कोई सहारा नहीं है। उनके कागज का जवाब तक नहीं दे सकते, राहत देना तो दूर रहा। यह जवाब तक नहीं दे सकते कि आपको सहायता मिलेगी। सरकारी कार्यवाही कर रहे हैं, यह जवाब तक उनको नहीं मिला है। आज भी वही फेमिन एक्ट है। कांग्रेस के जमाने में मैं विधान सभा में नहीं था, लेकिन मैं सुनता हूं कि कांग्रेस के टाइम में विरोधी पक्ष में बैठने वाले आज के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी यह कहते थे कि इस फेमिन एक्ट को फाड़ कर फेंक दो, रद्दी की टोकरी में डाल दो। आज जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद भी, कांग्रेस के समय विरोधी पक्ष में बैठने वाले भैरोंसिंह जी, जो आज जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, भी आज उसी फेमिन एक्ट का अनुसरण कर रहे हैं। आज लाखों रुपयों की मिट्टी डाली जाएगी, फेमिन में राहत कार्य शुरू करवाये जायेंगे, सड़कों और तालाबों पर मिट्टी डाली जाएगी और जब बरसात आएगी तो लाखों रुपया बह कर चला जाएगा। क्या ये ही हमारे स्थायी काम हैं ? इसलिए इस फेमिन एक्ट को बदलना चाहिए यह मेरा अर्ज करना है। अगर इस फेमिन एक्ट को नहीं बदला गया तो लाखों रुपया वेस्ट चला जाएगा, करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा। इसको बदलना बहुत जरूरी है।

रोजगार के बारे में जो प्लान है, जो आइटम बजट में गिनाये गये हैं, उनके बारे में मैं अर्ज करूंगा। इसमें 3 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है।

(व्यवधान)

कुछ और भी बातें बताई हैं। मैं आपको अर्ज करूं, सभापति महोदय, पशु चिकित्सकों

(श्री नूरा)

के लिए 85, डाक्टरों के लिए 120 और इस तरह से बहुत से आइटम गिनाए हैं, मैं उनको गिनाने में सदन का समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि सभी विधायक सदस्यों ने पढा है, इस तरह से रोजगार देने से क्या आप समझते हैं कि इतने ही डाक्टर और दूसरे लोग पढ़ कर बाहर आते हैं ? क्या इसी आधार पर ये आंकड़े तैयार किए हैं ? इस बीच में कितने ही लोग शिक्षा प्राप्त करके, ट्रेनिंग पा करके बाहर आ जायेंगे। इस तरह से समस्या का हल नहीं होगा। आज राजस्थान में ढेर सारी जमीनें पड़ी हैं। ढेर सारे राजा-महाराजा हैं उनमें से कई राजा-महाराजा ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जमीनें छोड़ दीं, सरकार को दे दीं या अपने लोगों में बांट दीं लेकिन अभी भी ढेर सारे राजा-महाराजा ऐसे हैं जिनके पास ढेर सारी जमीनें हैं जिनमें से आधी में वे काश्त करते हैं और आधी खाली पड़ी रहती हैं। राजा-महाराजा ही नहीं बल्कि बड़े पूंजीपति हैं, दस-दस, बीस-बीस बंगले हैं जिनसे वे किराया कमाते हैं। उनके ऊपर भवन और भूमि कर कांग्रेस के टाइम में लगाया गया था। उसको भी आपने ठण्डा कर दिया, आप उसको भूल गए। मेरा तो यह कहना है कि जो फालतू जमीनें हैं, जो उनकी जरूरत पूरी करने के बाद जमीन बचती है जो उनकी जरूरत पूरी करने के बाद मकान बचते हैं वे मकान बिना पैसा दिए अपने कब्जे में लेकर उन गरीबों को दिए जा सकते हैं जो आसमान की छत के नीचे सोते हैं। वह जमीन उनको दी जा सकती है जो जमीन के लिए तरस रहे हैं। जमीन काश्त के लिए तरस रही है और काश्तकार जमीन के लिए तरस रहा है। मकान रहने वालों के लिए तरस रहे हैं और रहने वाले मकान के लिए तरस रहे हैं। आपमें यदि हिम्मत है तो आप इन्हें लेकर गरीब को दे दें। लेकिन, सभापति महोदय, मैं इस विधान सभा के सेशन में जनता पार्टी को यह कहना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी ने इस ओर कदम नहीं उठाया तो याद रखें, ये गरीब किसान, मजदूर ही हैं जिनके बलबूते पर आप जीत कर आए हैं, जिन लोगों ने आपको चुना है, यहां भेजा है उनके वोट से कांग्रेस तीस साल में गई तो आप भी पांच साल बाद इस हाल में नहीं आने वाले हैं। इस पार्टी के नाम से नहीं आने वाले हैं, यह निश्चित है क्योंकि 8–9 महीनों में जो हालत आपने कर दी है, उस हालत से आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। लोग काम चाहते हैं। लोग भाषण नहीं चाहते हैं, वह आंकड़े नहीं चाहते हैं, काम चाहते हैं। यह बजट वही पुरानी कथा कहता है। इसमें वही पुराना रवैया है। इस बजट में गरीबों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, मजदूर और किसान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसकी गरीबी की समस्या को हल करने के लिए केवल यह किताब है। जो बातें पहले कांग्रेस लिखती आ रही थी वह अब आप भी लिखने लगे हैं। कांग्रेस का अनुकरण ही आप कर रहे हैं तो आपको जाने में भी उसका अनुकरण करना पड़ेगा। इस बात के साथ, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बजट पर वित्त मंत्री महोदय पुन: विचार करके देखें। यह गरीबों, मेहनत करने वाले किसानों और मजदूरों के हित का बजट नहीं है बल्कि पूंजीवाद को मदद करने

Page No. 70

(70)

(श्री तुरा)

वाला बजट है। पूंजीवाद के हितों का है। गरीब किसान, मजदूर के हित का बजट नहीं होने से मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं निवेदन करूंगा कि आप पुनः इस पर विचार करें और इसको किसानों और गरीबों के हित का बना कर रखें। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

एक निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है परन्तु चूंकि जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य, काफी तादाद में सूची में हैं, इसलिए अगर समय कम लें तो मैं समझता हूं कि सभी के हित में होगा और सभी माननीय सदस्य बहस में भाग ले सकेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह तो उन्हीं का बजट है। क्या उन्हीं को मौका दिया जाएगा ?

श्री सभापति : आप भी अनुभव कर रहे हैं। आपको भी मौका दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, क्रमवार सूची आप बता दें।

श्री सभापति : यह आप अपने सचेतक महोदय से बात करें।

श्री रामकृण दास गुप्ता : यह सदन की परम्परा के विपरीत है।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) ; सभापति महोदय, सब को अपने बच्चे प्रिय होते हैं। बजट हमारा है, जैसा भी है, खोटा, खरा, अच्छा, बुरा, सभापति महोदय, बजट हमारा है इसलिए अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही नहीं है बल्कि यह बजट एक चमत्कारी बजट है। इसके चमत्कार क्या हैं ? इसकी बानगी श्योपतसिंह जी साहब, तुरा साहब, ठाकुर साहब, सब लोग देखें। मैं तो सिर्फ दिखाने का काम करूंगा, ठाकुर साहब।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उनको नहीं सुना तो कहेंगे, बहरा है। इसलिए सुनना पड़ेगा। सत्ता दल का सदस्य हूं, सुनना होगा, वरना काम नहीं चलेगा।

तो, सभापति महोदय, इस बजट के चमत्कार मैं आपको निवेदन करता हूं। राज्य के दो धर्म हैं। एक धर्म है सुरक्षा, जो प्राइमरी ड्यूटी है। दूसरा धर्म है विकास। वेलफेयर स्टेट का यह माडर्न कन्सेप्ट है। इसके तहत आते हैं स्कूल, सड़क, अस्पताल इत्यादि इत्यादि।

पहली ड्यूटी, पहला कर्तव्य जिस काम को करने का है, वह है सुरक्षा। मनुष्य अपनी आजादी को किस हद तक सुरक्षित रख पाए, इसकी सुरक्षा का पहला कर्तव्य है। यद्यपि माननीय गृह मंत्री महोदय यहां पर मौजूद नहीं हैं, परन्तु फिर भी कहीं न कहीं कान लगाकर सुन रहे होंगे। इसलिए मैं पहली बात जो निवेदन करता हूं, वह यह है कि इस बजट में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई सन्तोषजनक बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेलफेयर स्टेट का

7

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
कन्सेप्ट लागू करने के लिए जो पुरानी सरकार थी, जो आज की सरकार है और और इससे पहले की जो सरकार थी, वे सब सरकारें उलझती गईं और वेलफेयर की बात में, विकास की बात करने में सरकार ने सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह है कि राज्य अपनी प्राइमरी ड्यूटी को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाया, कमजोर सिद्ध हुआ। इसलिए आज हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह सुरक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं अभी यही निवेदन करना चाहूंगा। सुरक्षा वाले इस पहलू पर जिस दिन पुलिस विभाग की डिमान्ड होगी, उस दिन अधिक निवेदन करूंगा। इस पक्ष, को उस दिन रखना कहीं अधिक मुनासिब होगा।

सभापति महोदय, विकास की बात को लीजिए। सारे बजट के दौरान विकास विकास विकास की बात कही गयी है। विकास की बात अधिक दृढ़ता के साथ कही गयी है, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण के पैरा ग्राफ 43 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पैराग्राफ 43 में यह कहा गया है 1977-78 में परिवर्तित बजट में विकास व्यय राज्य के कुल व्यय का 69.40 प्रतिशत था जो कि 1978-79 के बजट अनुमानों में बढ कर 70.04 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर विकास भिन्न व्यय जो कि 1977-78 के परिवर्तित अनुमानों में 30.60 प्रतिशत था, घट कर अगले साल के बजट अनुमानों में 29.96 प्रतिशत ही रह गया है। सभापति महोदय, इस पैराग्राफ को मैं इस सारे बजट का निचोड़ मानता हूं। इसके अनुसार विकास की गति को हमारे राज्य में 0.64 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। इतनी लम्बी चौडी बातें, इतनी जोरदार दलीलें, इतनी तकरीरें और उन सब के बावजूद यह जो बजट हम पास कर रहे हैं, उससे विकास की दर 0.64 प्रतिशत बढ़ेगी, यानि आधे पैसे के करीब। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। नौकरशाही ने जो कुछ बना कर उन्हें दे दिया, केवल उसकी सूचना देना ही जनता सरकार के मंत्रियों का धर्म नहीं होना चाहिए···

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह बात वे मन्जूर नहीं करेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा: मन्जूर करेंगे। हमारा बजट है। इसमें जो गलतियां हैं उन्हें हम लोग ही बताएंगे और उसमें सुधार करने के लिए तैयार होंगे·····

श्री नूरा: तो अन्दर समझाइये नहीं तो बाहर आ जाइये इधर।

श्री बजरंग लाल शर्मा: सभापति महोदय, यह बीच बीच में टीका टिप्पणी से समय जो निकल जाता है, वह तो आप एडजस्ट करेंगे।

श्री सभापति: आगे चलिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा: मैं विकास की गति के बारे में आपको निवेदन कर रहा था, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमारे राज्य के विकास की गति 0.64 प्रतिशत बढ़ेगी, रुपये में आधे पैसे से कुछ अधिक। अन्दाज कीजिए जब घोषणा पत्र जारी किया गया जिस समय जनता पार्टी को लोगों ने

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

वोट दिए, जनता पार्टी की सरकार बनी तब लोगों को क्या अपेक्षा थी? तब शत-प्रतिशत विकास की बात थी। इस गति से शायद दो सौ वर्षों तक जनता को इन्तजार करना होगा तो, क्या जनता पार्टी दो सौ वर्षों तक इन्तजार कर सकेगी, प्रतीक्षा कर सकेगी। पिछले तीस वर्षों में जो कुछ हुआ उसे भुला कर क्या वह दो सौ वर्ष प्रतीक्षा करेगी। दूसरी तरफ, सभापति महोदय, इसमें जो व्यय है, जो विकास भिन्न व्यय है, उसमें कमी हुई है। यह 30.60 प्रतिशत से घट कर 29.96 प्रतिशत इस वर्ष रह जाएगी। इसमें भी आधे पैसे से कुछ अधिक कमी हुई है। जहां सौ पैसे खर्च करते थे वहां साढे निन्यानवे के करीब खर्च होंगे। तो इस बजट से क्या वह सपना जो हमने देखा, दिखाया, जो घोषणा हमने की, जनता की वह आकांक्षा क्या इस प्रकार से बजट से पूरी हो सकेगी? इसलिए, सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे इस बजट को जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने की चेष्टा करें। यदि विकास की यही गति रही तो सम्पूर्ण विकास में 200 वर्ष लगेंगे। न इतना जनता इन्तजार करेगी और न वक्त इन्तजार करेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करे।

मैं निवेदन करूं कि यह आधा पैसा, आधा पर्सेन्ट योजना भिन्न व्यय में कम किया है फिर भी यह प्रशासनिक बजट शराब बन्दी को आगे बढाने वाला बजट है। बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि शराबबन्दी में हमारा दृष्टिकोण यह है कि अपने लक्ष्य को निकट भविष्य में ही प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य तो शराबबन्दी है। लेकिन जो प्रस्ताव रख रहे हैं, उससे शराब कब खतम होगी? 6 करोड से अधिक आय होगी पाली, जोधपुर व बीकानेर जिले शराबबन्दी में आ जायेंगे। 9 दिन के बजाय 73 दिन शराबबन्दी राजस्थान में रहेगी। इस प्रकार शराबबन्दी करने को हमारे वित्त मन्त्री जी कहते है इसलिये मैं कहूंगा कि यह चमत्कारिक बजट है, मिराकुलस बजट है, इसलिये वित्त मंत्री जी को अपने इरादों, अपने मंसूबों का भरोसा दिलाना है तो यह स्पष्ट करें कि इसकी खपत कैसे कम करेंगे? खपत घटती नहीं जायेगी तो शराबबन्दी के लक्ष्य को नहीं पहुंच सकते हैं। मैंने पहले भी, सभापति महोदय, निवेदन किया था, शराबबन्दी आप कहां कर रहे हैं। जयपुर जिला नहीं लिया गया है जो कि शराबबन्दी के लिये इफेक्टिव है। बांसवाडा लिया गया है जहां रात को पव्वा चढा कर पीते हैं। मैं शराबबन्दी के बारे में मोरारजी भाई की एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि शराब से होने वाली आय से राज्य चले या जनता का विकास किया जाये तो वह आय मुझे नहीं चाहिये। वित्त मंत्री का इसमें मिराकल यह है कि रेवेन्यू जुटाने का साधन आबकारी माना है। शराब की लाइसेंस की फीस में बढोत्तरी करके रेवेन्यू जुटाने का साधन माना है। आज जो विकास का माहौल खडा किया जा रहा है यह शराब की आय से किया जा रहा है। डेमोक्रेसी अगर कोई अर्थ रखती है तो इसका निर्माण नींव से होता है, उसका देश के अन्दर एक अर्थ होना चाहिये। डेमोक्रेसी सही मायने में, सही मार्ग से, सही रास्ते पर चलकर लायें, तभी यह कहा जा सकता है कि हमारा लोकतन्त्र दिखावा नहीं है। इस तरह से विकास के साधन शराब की

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

आय के माध्यम से जुटायेंगे तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह कल्याणकारी बजट है।

सभापति महोदय, प्रशासन पक्ष में जो व्यय कम करने की बात कही गई है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा; जब पहले विधान सभा में भाषण हुए थे तो यह कहा गया था, देश में ऐसा एक परिवर्तन आया है, जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। 22 जनवरी को जनता पार्टी की एडहाक कमेटी बनी। उसके बाद प्रधान मन्त्री पद की शपथ जिस दिन ली उस दिन जनता पार्टी बने 62 दिन हुए थे। इतिहास साक्षी है कहीं दुनियां में कोई मिसाल नहीं मिलती है किसी पोलिटिकल पार्टी की एक नई पार्टी के मुकाबले में वह भी ताकत हो और वह नयी पार्टी इस तरह जीती हो। कांग्रेस 1887 में बनी। इतने वर्ष की कांग्रेस के मुकाबले में 62 दिन पहले बनी जनता पार्टी की सरकार बनी। तो यह मानना पड़ेगा कि जनता का कितना बल था और जनता पार्टी को कितना समर्थन था। जनता ने चाहा था, जनता ने सोचा था कि इन्कलाब आयेगा। ऐसा परिवर्तन आयेगा कि सारे दुखों को सुख में बदल देगा। आज क्या हुआ? जयपुर में एक कवि सम्मेलन हुआ। उसमें बालकवि बैरागी ने एक कविता सुनाई है। उन्होंने कहा, "रीति वही, नीति वही, मन्तव्य वही, लो यह पीढ़ी भी हार गयी।" लोगों को मानना पड़ेगा। वही रीति है, वही नीति है, वही नौकरशाही की मशीन है, वही हाकिम हैं। शीशी में फर्क हो सकता है क्वालिटी में नहीं।

वित्त मंत्री बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं उनमें नैतिक साहस है और वह निर्णय ले सकते हैं इसलिये मैं कुछ सुझाव दूंगा। सेक्रेटेरियट है इसमें कई ऐसे सैक्शन्स हैं, जिनको आप डिस्बैण्ड कर दें। कालेज एजूकेशन है, जिसका डाइरेक्टर अलग है। प्राइमरी स्कूल्स का डाइरेक्टर अलग है। तीनों यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें वाइस चांसलर अलग अलग लगे हुए हैं। फिर भी एजूकेशन कमिश्नर की जरूरत है जो सेक्रेटेरियट में बैठता है। वह क्या करता है? वह इसलिए बैठता है कि काम ढिले हो। कालेज एजूकेशन का डाइरेक्टर है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं फिर एजूकेशन कमिश्नर की क्या जरूरत है? एजूकेशन कमिश्नर की पोस्ट को आप खतम कर दें तो मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इससे कोई हानि नहीं होगी बल्कि इससे प्रशासन को लाभ होगा। इसी तरह से रेवेन्यू कमिश्नर है। इसी तरह से कामर्शियल टैक्सेशन कमिश्नर है। राजस्थान कैनाल बोर्ड का चेयरमैन है। डाइरेक्टर एनीमल हजबैण्डरी, डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ हैं। डाइरेक्टर शीप एण्ड वूल हैं। ये सभी जगह हैं इन सब जगहों पर कमिश्नर क्यों हैं? इन सभी लोगों की क्या आवश्यकता है? माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं मिनिस्टर का सेक्रेटेरियट होता है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका अपना सेक्रेटेरियट होता है। ये सारे कमिश्नर ब्रिटिश परम्परा की देन हैं। इनकी ग्रिप को खतम करना चाहिए। यह सफेद हाथी क्यों हैं? मैं वित्त मन्त्री जी को निवेदन करूंगा, ये आपकी विकास की गति को तेज नहीं होने देंगे। यह सही रूप में नहीं आने देंगे। ये आधा पैसा खा जायेंगे।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

ये आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं। 26 जिलों में 26 कलेक्टर्स हैं। उनके लिए अलग व्यवस्था है कि आप उनको सीनियर स्केल में भेजेंगे। 26 जिलों में सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं उसके भी वह चेयरमैन हैं। उनको स्पेशल पे मिलती है और सुविधाएं मिलती हैं जिससे करोड़ों की सम्पत्ति बनाते हैं। उनके लिए अलग अमला है, अलग आदमी हैं। सेक्रेटेरियट का हाल सुनाऊ डाइरेक्टर एग्रीकल्चर पोस्ट है, लेकिन उस पर बैठे हुए हैं, एक आई. ए. एस. आफिसर। डाइरेक्टर शीप एण्ड वूल एक टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन उस पर बैठे हुए हैं एक आई. ए. एस. आफिसर। बेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का चेयरमेन एक आफिशियल होता है लेकिन उस पर आई. ए. एस. आफिसर बैठा हुआ है। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक में मैनेजिंग डाइरेक्टर मिस्टर भीमनाथवाला हैं लेकिन चेयरमेन एक आई. ए. एस. आफिसर को लगा रखा है। राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ में चेयरमेन की हैसियत से एक आई. ए. एस. आफिसर बैठा हुआ है। राजस्थान स्टेट डवलपमेंट बैंक का चेयरमेन एक आई.ए.एस. आफिसर है। एक एक गिनाऊं तो पूरी जेठ की जेठ आई. ए. एस. आफिसरों की है जो इन पदों पर बैठे हुए हैं। हर आई. ए. एस. को सब तरह की सुख सुविधायें दी गई हैं, अमला दिया गया है अर्दली दिया गया है, बंगला दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा सा और अर्ज करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप 17 मिनट ले चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : थोड़ा सा निवेदन और करूंगा।

श्री सभापति : दूसरे भी बोलने वाले हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारा टाइम भी दे दीजिये।

श्री सभापति : आप तो बोल चुके।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारा आने वाला टाइम दे दीजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस वक्त में इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई है कि वित्त मन्त्री जी एडीशनल साधन कहां से लायेंगे। मैं आपको साधन बताता हूं वित्त मन्त्रीजी, और जो ठेकेदार हैं, वे इस बात का ठेका लेने को तैयार हैं। हर मिनिस्टर के पास एक प्लाट ही नहीं, खेतों पर भी बंगले हैं। कलेक्टर और एस. पी. के पास ग्रीन लैण्ड हैं। श्री हीरालाल देवपुरा, जो भूतपूर्व मन्त्री थे, की ही जमीन अगर बेची जाय तो ढाई करोड़ रुपये आ जायेंगे। इसी प्रकार कलेक्टर्स, एस. पी. और मिनिस्टरों के बंगले बेचें तो करोड़ों आ सकते हैं।

श्री सभापति : No interruption, please

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस प्रकार से माननीय वित्त मन्त्रीजी की चिन्ता मिट जायेगी। और जो आपका गांधीवादी सपना है वह भी साकार हो जायगा।

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

सभापति जी, एक बात और मैं रोजगार की कहना चाहता हूं। आप बेरोजगारी मिटाने की बात तो करते हैं लेकिन कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लेना चाहते। माननीय श्रम मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर 48 घंटे श्रमिकों के वर्किंग आवर्स हों। श्योपत सिंह जी और नूरा जी श्रमिकों की नेतागिरी तो जमा रहे हैं लेकिन क्या उन्होंने कभी इस आवाज को उठाया है कि तीन की जगह चार शिफ्ट कर दीजिये 36 घंटे की। इससे तीन की जगह चार आदमियों को काम मिलेगा...

(व्यवधान)

श्री सभापति : उनका सुझाव है, माननीय सदस्य।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, तीन की जगह अगर चार शिफ्ट कर दी जायं तो उसी समय में, उसी मशीन पर, उसी रॉ मैटीरियल से तीन की जगह चार आदमी एम्पलाय हो जायेंगे, तीन करोड़ की जगह चार करोड़ आदमियों को रोजगार मिलेगा। केवल सेठों और पूंजीपतियों को थोड़ी तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी। इससे देश समाजवाद की ओर बढ़ेगा, मजदूरों को अधिक लेबर मिलेगा। वे अपनी और अपने बच्चों की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे और जनता पार्टी के मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और श्रम मन्त्रीजी की जय-जयकार करेंगे, उनकी तस्वीर टाकेंगे अपने घरों के अन्दर।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। बड़ा सुन्दर बजट है, बढ़िया बजट है जैसे हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी हैं, लेकिन इस बजट में आगे जो बातें कही हैं, उनके द्वारा जो कहना चाहते हैं उसमें कुछ बातें और जोड़ दी जातीं तो बजट के चार चांद लग जाते और सुन्दरता बढ़कर जैसा मुख्य मन्त्री महोदय और वित्त मन्त्री महोदय का व्यक्तित्व है भव्य, वैसा बन जाता। यह मेरा निवेदन है, यह हो जायगा तो बजट बहुत सुन्दर हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्तिम...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : This is final एक बात और कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात मैंने नहीं कही है,...

श्री सभापति : आप क्वेश्चन आवर में कह चुके हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कालम 47, पेज 19 पर आप मुलाहिजा फर्माइये, आपने घोषणा की थी कि पेयजल देंगे, और यह भी कहा कि विकास ग्रामोन्मुख होगा। इसके आइटम नम्बर तीन पर है ग्रामीण पेयजल व्यवस्था आदि। पिछले वर्ष का बजट अनुमान 12.83 करोड़ का था और इस वर्ष आपने 11.62 करोड़ ही कर दिया है। आगे कई ऐसे मद हैं जिनमें किसी में भी आपने कमी नहीं की है तो सिर्फ इसी में क्यों की गई? मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बार कहा कि हम ग्रामीण पेयजल को प्राथमिकता देंगे लेकिन 12.83 करोड़ से 11.62 करोड़ पर आ

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
गये। हमारे नेता की की हुई घोषणा को बजट बनाने वालों ने किस प्रकार से गलत कर दिया।

आगे एक बात का और मुलाहिजा कीजिये, यह कृषि से सम्बन्ध रखती है। यह जो बजट एट ए ग्लान्स है उसमें दिये गये रिसीट्स देखें तो पायेंगे कि गवर्नमेन्ट रिसीट्स कृषि से होने वाली, एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सर्विसेज 9.40 करोड़ पिछले वर्ष के है और इस वर्ष रखे हैं 19 करोड़ 24 लाख के, इसमें तो बढ़ोतरी की है लेकिन इण्डस्ट्रीज माइन्स पर पिछले वर्ष की रिसीट्स 25.55 करोड़ की हुई है जब कि इस वर्ष 23.31 करोड़ ही कर दी। कृषि में तो दस करोड़ अधिक कर दिया लेकिन इण्डस्ट्रीज पर दो करोड़ कम कर दिया। फिर भी कहते हैं कि हम किसानोन्मुख हैं, ग्रामोन्मुख हैं। यह जो विसंगतियां हैं, इन पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर जैसा आपका मन्तव्य है, जैसी घोषणा की गई है उसी के अनुसार आप बजट को बना पायेंगे। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं कि हर गांव और हर गरीब के पास गंगा-प्रवाह करेंगे, मैं आह्वान करता हूं कि वे भागीरथ बनकर इसको ले आयें ताकि कोटि-कोटि लोग, खेतिहर किसान, मजदूर उनको धन्यवाद दें और उज्जवल भविष्य के प्रांगण में प्रवेश कर सकें।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, क्या हमको ट्रेजरी बैंचेज वालों से ही आलोचना सुननी है? अगर ऐसा है तब तो हम सुनते रहें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं तीन रोज से लगातार चुप हूं।

श्री सभापति : आप सचेतक महोदय से बात करें, वह नाम दे चुके हैं।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी का हार्दिक अभिनन्दन करना चाहूंगा, केवल औपचारिकता के लिये ही नहीं, वल्कि अनेक कारणों से। उन्होंने एक नई आर्थिक दिशा राजस्थान के अन्दर दी है और जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार और जनता पार्टी की रीति नीति के अनुकूल 1978–79 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश के 80 प्रतिशत लोग जो गांवों में रहते हैं जब तक उनका विकास नहीं होगा, वे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं होंगे तब तक जो राजनैतिक स्वतन्त्रता हमने प्राप्त की है वह कोई मायने नहीं रखती। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ राजनैतिक स्वतन्त्रता, भी महत्वपूर्ण है नहीं तो राजनैतिक स्वतंत्रता जो हमने प्राप्त की है, अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए जनता पार्टी ने कहा कि हम गांवों का विकास करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ग्रामोन्मुख होगा। तो वास्तव में यह बजट ग्रामोन्मुख है। विकास कार्यों पर कुल खर्च 327.07 करोड़ होगा जिसका 64.40 प्रतिशत केवल गांवों के विकास के लिए रखा है। इसके साथ ट्रैक्टर व ट्राली पर वित्त मंत्री ने कर कम किया है। इसके साथ कृषि के काम आने वाले उपकरणों को कर मुक्त रखा है। डेयरी विकास को बल देकर वित्त

(श्री जीतमल जैन)

मंत्री ने सिद्ध कर दिया है कि जिस दिशा में हमें जाना चाहिए वह सही दिशा है और वह जनता पार्टी की घोषणा के अनुकूल है। अन्त्योदय को लेकर सरकार ने इस बात का संकल्प किया है कि वह पिछड़े हुए गांवों को एक नई दिशा देगी और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनायेगी।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बार बार इस बात की आलोचना की है कि जनता पार्टी की कोई दिशा नहीं है, उसका कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है, दिशाहीन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की दिशा स्पष्ट है, घोषणा-पत्र के अनुकूल है उसका बजट। मैं समझता हूं कि 30 साल का शासन खोकर वे अपने मस्तिष्क का संतुलन भी खो बैठे हैं, इससे उल्टे वे दिशाहीन हो गए हैं। जो बजट के अन्दर अच्छी बातें हैं उनको भी एप्रीशियेट नहीं कर पाते, इस बात का मुझे खेद है। अब मैं वित्त मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

अन्त्योदय योजना जो गांवों के लिए रखी गई है वह गांवों तक सीमित न रहे, उसमें गांवों का खयाल रखते हुए शहरों का भी ध्यान रखना चाहिए। शहरों में भी ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसलिए जो नगर परिषद् के क्षेत्र हैं, वहां प्रत्येक वार्ड में 5-5 या 10-10 परिवार चुनकर अन्त्योदय योजना में लायें और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करायें ताकि जो शहरों में रहने वाले हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भी उद्धार हो सके और राजस्थान के विकास में वे भी कदम से कदम आगे बढ़ा सकें।

अब मैं बेरोजगारी के बारे निवेदन करना चाहता हूं। रोजगार बढ़ाने का वायदा वित्त मंत्री ने किया है। पिछले कुछ वर्षों के अन्दर और विशेष रूप से आपात-काल में भाई भतीजावाद के तरीके से बहुत से लोगों को रोजगार मैरिट के आधार पर नहीं दिया गया। उसका परिणाम यह है कि आज जो 28 वर्ष आयु के हैं या 28 वर्ष के आस पास के हैं, बहुत से लोग बेरोजगार रह गए हैं। इस प्रकार के जो लोग 28 वर्ष पार कर चुके हैं या बहुत शीघ्र पार करने वाले हैं, किसी भी कारण से जिनको रोजगार नहीं मिल सका है, बेरोजगारी के कारण वे असामाजिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं और उनका जीवन बिगड़ सकता है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न हो इसलिए उनको एक अवसर और दें ताकि वे परीक्षा में बैठ सकें या नौकरी में प्रवेश के लिए आयु बढ़ावें ताकि वे नौकरी में जा सकें और अपना जीवन बना सकें।

बेरोजगारी की समस्या देश में विशेष रूप ले है और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या भयावह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर बेरोजगारी भत्ता देने की बात वित्त मंत्री के भाषण में नहीं है तो भी बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाए और उसके साथ साथ उनको ऐसे कार्यों में लगाया जाए जिससे वे समाज की सेवा कर सकें और उनको काम भी मिल सके। इसके लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक गांव से दो दो व्यक्तियों को छांटा

(श्री जीतमल जैन)

जाय और उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि वे छोटे मोटे लोगों को दवाई दे सकें। इस प्रकार के प्रयास राजस्थान में हुए भी हैं। ऐसे व्यक्ति छांटे जायं जो उसी गांव के रहने वाले हों। उनको 40-50 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए ताकि वे अपने गांव की सेवा कर सकें। उनका एम्प्टी ब्रेन डेविल्स वर्कशाप नहीं हो और काम में लगते हुए गांव की सेवा कर सकें। आप रोजगार तो उपलब्ध नहीं करा सकते लेकिन भत्ता तो दे सकते हैं।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवयुवकों का उपयोग कर सकते हैं जो गांवों के शिक्षित लोग हैं। वे प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत काम कर सकते हैं, उनको 40–50 रुपए मासिक भत्ता देकर प्रौढ़ों को शिक्षित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है।

इसी प्रकार से कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, पिछले दिनों विशेष रूप से चोरी व डकैती की वारदातें इस राज में बढ़ी हैं। इसी प्रकार आपातकाल में जब युद्ध होता है तो घरों पर पहरा देते हैं। इसके लिए ग्रामीण रक्षा दल का निर्माण किया जा सकता है। 5–10 लोगों को भत्ता देकर रोजगार दे सकते हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों को रोजगार मिल सकेगा, साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक दूर होगी और जो खाली बैठे हुए हैं व असामाजिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं उनको बचा जा सकेगा।

उद्योग के संबंध में इस बजट में ऐसा कोई संकेत वित्त मंत्री ने नहीं दिया है जिससे राजस्थान के बाहर रहने वाले पूंजीपति लोगों को आकर्षण मिले और वे यहां आकर पूंजी लगायें। वे अगर यहां आकर उद्योग लगायें तो राज्य के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वित्त मंत्री जब अपना जवाब दें तो जो राजस्थानी उद्योगपति बाहर रहते हैं उनको आकर्षित करने के लिए रियायतों की घोषणा करें जिससे राज्य में औद्योगिक विकास हो सके।

अलवर के बारे में निवेदन है कि वहां औद्योगिक क्षेत्र 8-9 किलोमीटर दूर है। उसका परिणाम यह है कि आज अधिकांश उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग लगाए गए थे, शहरों से दूर होने के कारण पनप नहीं पा रहे हैं। कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है, सिटी बस सर्विस नहीं है। इसलिए वहां सिटी बस की तुरन्त व्यवस्था की जाय ताकि दो-तीन पारियों में काम करने वाले मजदूर शहर में आ सकें और जा सकें, ठीक प्रकार से अपना कार्य कर सकें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर आप छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, उन्हें सफल बनाना चाहते हैं तो आपको उनको कुछ सहूलियतें भी देनी पड़ेंगी। सभापति महोदय, आज अलवर से आठ किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक एरिया है, वहां पर आने जाने के कोई साधन नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक कील भी बाजार से लानी है तो उसको वहां से अपने खुद के वाहन से शहर में आना पड़ेगा। उसके लिए उसको कम से कम पांच सात रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना है कि बजट में ऐसा प्रावधान किया जाये कि अलवर शहर और औद्योगिक

(श्री जीतमल जैन)
क्षेत्र के बीच में बस सेवा चले ताकि लोगों को व्यर्थ में पांच सात रुपये खर्च नहीं करने पड़ें। इसके लिये मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि तुरन्त वहां बस सर्विस हो, इसकी व्यवस्था करने के लिये आदेश दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त कर दें।

श्री जीतमल जैन : अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में जहां मजदूर काम करते हैं वहां मजदूरों के रहने के लिये मकान नहीं हैं। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उस क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कालोनीज मजदूरों के लिये बनायी जायं और उनका किराया उद्योगों के मालिकों से वसूल किया जाय। किराया देने की जिम्मेदारी उद्योगों के मालिकों की होनी चाहिये ताकि मजदूरों को दिक्कत नहीं हो और मजदूर लोग कारखानों में काम कर सकें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समाप्त कर दें।

श्री जीतमल जैन : इसके साथ साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को सदन में उन्होंने जो अच्छा बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया है।

यहां पर यह भी × × × हो रहा है। मेरा मुख्य सचेतक द्वारा नाम दिया गया है। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं सदन से बहिर्गमन कर जाऊंगा।

श्री सभापति : आप बैठिये। मेरी मजबूरी है। आप मेरी मजबूरी को समझें। मेरे पास में आपका नाम . . .

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, मेरे सामने मेरा नाम भेजा गया है। आप क्या फर्मा रहे हैं ?

श्री सभापति : आप बिराजें। कृपया शान्त रहें। श्री रघुनाथ बिश्नोई, आप कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में एक दो बात निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय रघुनाथ जी, जरा संक्षेप में कहें और जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं थोड़े में कहूंगा और जल्दी ही समाप्त करूंगा।

सबसे पहले तो, सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पिछले बजट भाषण के वक्त भी यह सदन में घोषणा की थी कि राज्य सरकार शराबबन्दी की नीति को अपनाना चाहती है

× × शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

और इसीलिए आपने कुछ क्षेत्रों में प्रोहिबिशन लागू किया। इस साल भी आपने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि हमने प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए एक दो क्षेत्र और बढ़ाये हैं, जिनमें आपने दो जिले और कुछ तहसीलें प्रोहिबिशन एरिया के अन्तर्गत घोषित की हैं। पिछले साल भी आपने यह कहा था कि हमें शराब से घाटा हुआ है लेकिन आंकड़ों से तो यह पता नहीं चलता। आंकड़ों के अनुसार तो आपको घाटा नहीं हुआ बल्कि लाभ ही हुआ है। कहने को तो आपने यह घोषणा में कहा कि शराब की आमदनी से हम विकास का काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आपने पिछले साल भी शराब में पैसा कमाया और उस पैसे को विकास के कामों में लगाया। इस साल भी आपने शराब से आमदनी नहीं करने की घोषणा की है लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके हिसाब-किताब को देखने से कि इस साल भी आपको घाटा नहीं होगा और आप इससे इनकम ही करेंगे। अगर आप सही मायने में शराब से आमदनी करके विकास के काम नहीं चालू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी भाई से बात करनी चाहिए। शराबबन्दी समिति के जो अध्यक्ष हैं, श्री गोकुल भाई भट्ट, वे आपको नोटिस देने वाले हैं हड़ताल के लिए; उससे बाद में आपको परेशानी होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए सक्रिय कदम उठाये। इस साल भी आपने कुछ एरिया में शराब बन्दी करने के लिए घोषणा तो की है और कहा है कि हमें घाटा होगा पर वह घाटा नहीं होगा। आपकी तो इनकम बढ़ेगी। आपने एक तरफ तो 6 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टैक्स शराब पर लगाये हैं और इनकम की है दूसरी तरफ आप घाटा भी बता रहे हैं, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। आपकी प्रोहिबिशन की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आप प्रोहिबिशन करना चाहते हैं या नहीं इसके लिए आप स्पष्ट नीति अपनाइये। वैसे भी आप वयोवृद्ध हैं, गांधीवादी हैं, सर्वोदयी नेता रह चुके हैं। आपने सारी उम्र शराबबन्दी के लिए संघर्ष किया है। मोरारजी भाई आपकी पार्टी के नेता हैं, प्रधान मन्त्री हैं वह भी शराबबन्दी के पक्ष में हैं। आप उनसे बात करें। हमारे स्टेट के पास दो पड़ोसी स्टेट्स हैं वहां शराब बन्दी लागू नहीं है। हमारे यहां पर जो शराब की रेट्स हैं उनसे कम रेट्स शराब की उन इलाकों में है तो वहां से भी इल्लिसिट शराब यहां आयेगी, स्मगलिंग होगा। इस प्रकार आपकी यह जो ढिलमिल शराबबन्दी की पालिसी है यह फेल होती दिखाई दे रही है। इसलिये आप मोरारजी भाई से मदद लेकर, एडजोइनिंग जो स्टेट्स हमारी हैं उनसे बातचीत करके सक्रिय रूप से शराबबन्दी को लागू करने की व्यवस्था करावें।

इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहूंगा। आपने एक समिति भी प्रोहिबिशन के लिये बना रखी है वह भी मुझे सक्रिय नहीं दिखायी दे रही है। इधर आपके जयप्रकाश नारायण जी और विनोबाजी वगैरह भी शराबबन्दी की बातें करते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इल्लिसिट शराब जहां पर बनती है और जो आज शराब स्मगल होती है उसके लिये आपकी वही पुरानी बाबा आदम के जमाने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
की प्रिवेन्टिव फोर्स है जिसमें स्टाफ कम है और जो स्टाफ है वह भी शराब पीने वाला है। जो खुद शराब पीते हैं वह क्या शराब बन्दी करेंगे। इसलिये मेरा आपको सुझाव है कि आप ऐसे लोगों को प्रिवेन्टिव फोर्स में लगाये जो कि शराबबन्दी के लिये कमिटेड हैं। आप स्टाफ बढ़ाइये नहीं तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसके अलावा आज आप एक तरफ तो शराबबन्दी की बात करते हैं दूसरी ओर शराब से इनकम करते हैं। अगर इनकम कम होती है तो आपके आबकारी कमिश्नर प्रिवेन्टिव फोर्स और अपने नीचे के स्टाफ को कहते हैं कि आमदनी कम क्यों हो रही है? तो यह आपकी क्या दोहरी नीति है?

सभापति महोदय, इसी बजट में है आपने तीन करोड़ रुपये की स्प्रिट शराब बनाने के लिये खरीदी है, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो लोगों को भुलावे में डालने के वास्ते भले ही आप कह दें कि हम प्रोहिबिशन लागू कर रहे हैं पर वास्तव में आप शराबबन्दी लागू नहीं करना चाहते हैं। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस वाले तो आलोचना ही करते हैं। आप अच्छा काम करो तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे।

श्रीमती उजला अरोडा : मुबारक हो रघुनाथजी, आप बोले तो सही विपक्ष में बैठ कर नहीं तो आप बोलते ही नहीं थे कांग्रेस सत्ता में थी तब।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप मेरे भाषण पुराने पढ़ो तो सही। आप पहले विधान सभा के कार्य विवरणों की किताबें देखो और पढ़ो मेरे भाषण तो आपको मालूम हो जायेगा कि मैंने क्या क्या बोला है। भार्गव साहब जानते हैं कि मैं कितना बोलता था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रघुनाथजी, हम तो कहते हैं कि आप इधर आ जाओ, उधर मत बैठो। आपके लिये इधर जगह अच्छी है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके उधर बजरंगलाल जी हैं।

(व्यवधान)

उनसे पसीना आता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। बीच में इन्ट्रप्शन नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोडा : सभापति महोदय, मैं एक शेर निवेदन करना चाहती हूं:
नासेहा मत दे नसीहत, जी मेरा घबराये है।
मैं उसे समझूं हूं दुश्मन, जो मुझे समझाये है:

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : वाह वाह क्या बात है!

सभापति महोदय, यहां पर काश्तकार लोग आये थे, अभी अभी उन पर लाठी चार्ज किया गया। उनके बारे में यहां पर सदन में बहस हुई पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात कही। मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में विकास ग्रामीण क्षेत्रों का करना चाहते हैं तो यहां पर पहले यह घोषणा करें कि जहां जहां भी स्कूल खोलने की घोषणा की गयी है वहां पर टीचर्स की नियुक्ति की जायेगी। आज सभी स्कूलों में रिक्त स्थान पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है।

आपको मैं जानता हूं, वित्त मंत्रीजी, आपको इनमें घुटन महसूस होती होगी। हालांकि आपने बड़ी बड़ी विकास योजनाओं को चालू कर देने की घोषणायें की हैं लेकिन समग्र ग्राम विकास योजना और यह आपकी अन्त्योदय योजना जो है इसमें ही आप देख लें। अन्त्योदय योजना में आपने लोगों को छांट लिया और फार्म भरवा लिये लेकिन आपके बैंक्स उन गरीब लोगों को लोन देने को तैयार नहीं है। वह तो कहते हैं कि हमारे ऊपर आपके नियम लागू नहीं होते हैं। आप पहले गारन्टी लाओ तो हम लोन दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption, please.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अन्त्योदय योजना में आपको कोई सक्सेस नहीं मिली क्योंकि लोगों को न जमीन मिली न पैसा मिला बैंक्स से।

इधर आपने 8 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार देने की बात की भी बजट में घोषणा की है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि आज युवा पीढ़ी में बहुत आक्रोश है। शहरों और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र की युवा पीढ़ी के नौजवान हजारों की तादाद में डबल डबल एम.ए. पास और एल एल. बी. पास किये हुए बेकार घूम रहे हैं। वे बेरोजगार हैं। उनके मां-बाप ने अपने पेट के पट्टी बान्ध कर अपने बच्चों को पढ़ाया है लेकिन आप कोई व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगों के लिये नहीं कर रहे हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र की जनता ही है जिसने आपको, 150 सदस्यों को, जिता कर यहां पर भेजा है। उसके बारे में आपको निश्चित कार्यवाही करनी चाहिये। यह क्या कि आपने साल भर का लेखा-जोखा यहां पर हाउस में लाकर पेश कर दिया कि यह तो हमारा खर्च है यह हमारी आमदनी है और उसके बाद में इतना घाटा रह जायगा। आप फर्मा रहे हैं कि विकास की गति बढ़ रही है। इससे तो गति बढ़ने वाली नहीं है। इन्दिराजी ने घोषणा की थी 1972 में। उसके बाद देखिए, विकास की गति बढ़ी या नहीं। इस बार आपको ज्यादा वोट मिल गये। तो आपको भी यह घुटन हो रही है कि वोट तो ज्यादा मिल गये लेकिन यदि घोषणा पत्र के अनुरूप काम नहीं हुआ तो हमारी भी वही हालत होगी। मैं आपको कहूंगा कि आप विकास की बात कर रहे हैं लेकिन जो फेमिनग्रस्त इलाके हैं उनको आपने फेमिनग्रस्त घोषित ही नहीं किया। फेमिन से जालौर में सब से ज्यादा नुकसान हुआ है। पहली फसल नष्ट हो गयी और दूसरी भी नष्ट हो गई, गिरदावरी में यह बताया है। आज ही सुबह माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इस पर विचार कर रहे हैं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

घोषणायें आप यहां करते हैं लेकिन उसका पालन क्यों नहीं होता है? यदि कर्मचारी आपकी बात नहीं मानते हैं तो उसके लिए आपको विचार करना होगा। जो आप बात कहें और विचार प्रकट करें उन बातों का पालन होना चाहिए। हैप-हेजर्डवे में घोषणा करते जाओगे और कमीशन बिठाते जाओगे तो उससे काम नहीं होने वाला है। चार साल के बाद भी आपके सामने वे ही चीजें रहेंगी। कांग्रेस को कितनी ही गालियां निकालें उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है और कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। काम नहीं हुआ है इसीलिए मरु प्रदेश अलग से बनाने की मांग आ गयी है। क्यों आ रही है? इस पर आपको सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, रेगिस्तान की बड़ी भारी समस्या है। बड़ी विषम समस्या है। जब बंगला देश के रिफ्यूजी आये तो भारत सरकार ने सेस लगाया। इसलिए आपको भी इस समस्या को हल करने के लिए सेस लगाना चाहिए। फेमिन के लिए भी आपको सेस लगाना चाहिये। बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों की जिनकी आमदनी है उनसे आपको ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन आप तो उल्टी स्कीमें बना रहे हैं। इस बात का दुःख है, आपको जन सहयोग नहीं मिलेगा कहां से मिलेगा? जहां पर फेमिन है, आप कहते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के लिए जनसहयोग दीजिये, होस्टल के लिए जन-सहयोग दीजिए। कहां से आवेगा? आपको तो घोषणा करनी चाहिए कि बिना जन-सहयोग मिले ही हम बनायेंगे। ग्रामीणों के लिए स्कूल बनाते हैं तो जन सहयोग, डिस्पेंसरी बनाते हैं तो जन सहयोग। कहां से लावें जन सहयोग? ओले पड़ गये, फसल चौपट हो गयी, खाने को अन्न नहीं, फेमिन आप डिक्लेयर करते नहीं। जीरा 85 रुपये में खरीदा था, उसका भाव 12 रुपये हो गया। इसलिए आपके जो ये आंकड़े हैं इससे लोग सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं।

दिल से चाहते हैं, वित्त मंत्रीजी, यह अन्त्योदय की योजना है वह चले लेकिन आप इस हालत में इसको कैसे चलायेंगे? गांव में लास्ट में खड़े हुए की लिस्ट बना दी है। समय नहीं है कि इसके बारे में सब बातें मैं रख सकूं। समय कम है, इसमें ज्यादा बातों पर विचार व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सी बातें रह गयी हैं, उन सब बातों के साथ माननीय वित्त मंत्रीजी को मैं सलाह दूंगा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए जमीन की घोषणा की लेकिन उनको जमीन नहीं मिल रही है। मेरा यह भी सुझाव है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जिस गांव में पानी की समस्या है उस प्रत्येक गांव में एक एक हौज बना दें। पानी की समस्या आप से हल हो ही नहीं सकती इसलिए मरुप्रदेश में एक एक हौज बना दो तो बरसात में ही भर जाय तो अच्छा है। आप कहते हैं कि फलां कमेटी सुझाव दे रही है। इस तरह से तो यह सब कागजों में ही रह जायगा और कुछ होगा नहीं। कम से कम थोड़ा थोड़ा काम करके उसको सामने तो लाइये कि यह काम किया है।

श्री सभापति: मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब राय हो तो एक इधर से ले लिया जाय।

श्री बुलाराम: हमारा नम्बर आया ही नहीं, सभापति महोदय!

श्री मदनसिंह दांता : मैं एक घंटे से निवेदन कर रहा हूं ।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह दांता !

श्री दुलाराम : हमें भी समय दिया जाय।

श्री सभापति : आपके समय का पूरा ध्यान है ।

श्री मदनसिंह दांता ।

श्री करतार सिंह : बीच का नाम किसका है, वह बता दें ?

श्री सभापति : जिस क्रम से सचेतक महोदय ने नाम भेजे हैं उसी क्रम से नाम बोले जा रहे हैं ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं बजट का स्वागत करूंगा । बजट का पहले भी मैंने स्वागत किया है । कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी सरकारी बजट आया उसका स्वागत किया है । शायद माननीय सदस्यों को बजट अच्छा न लगे लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा । जहां से मैं खड़ा हुआ हूं उसके लिये जितना बजट में खींच कर सकूंगा खींचूंगा ।

सभापति महोदय, बजट के सम्बन्ध में प्रजातन्त्र में एक प्रणाली है कि बजट को क्रिटिसाइज करके नयी चीजें, नये सुझावों से सरकार को अवगत करायें । इसलिए सब को बजट का स्वागत करना चाहिए ।

अलग अलग पार्टीज हैं, सभापति महोदय । एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होंगे, निश्चित रूप से वह इसको आज पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि उनके राज्य करने की प्रणाली अलग है, उनके कायदे-कानून अलग हैं । जैसा कि अभी बजरंगलालजी कह रहे थे कि आई. ए. एस. की क्या जरूरत है । कोई जरूरत नहीं । बजट की रीति में कांग्रेस और जनता में कोई फर्क नहीं समझता । कांग्रेस का बजट था उसी पर यह आधारित है । कुछ चेन्जेज आये हैं । यह आठ महीने की गवर्नमेन्ट है । इसको ऐसे कोसने लगे हैं कि जैसे 200 वर्ष की गवर्नमेन्ट हो । 8 महीने में क्या कोई एकदम नतीजा दे सकता है ? खुद के घर को ही कोई नहीं सम्हाल सकता है ।

बजट में कुछ बातें हैं, जिन पर कुछ चर्चा हुई । यह घाटे का बजट क्यों है ? खर्चा कर रहे हैं इसलिये घाटे का बजट है । निश्चित रूप से यह बजट पूंजीवादी बजट नहीं है । माननीय सदस्य, जो डीडवाना से आते हैं, अभी यहां नहीं बिराज रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि पूंजीवादी तो यह सोचता है कि कम खर्चा और नाम ज्यादा हो । बिड़लाजी का बजट बनता है वह पूंजीवादी बजट बनाते हैं । बिड़लाजी यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक आय हो, खर्चा कम हो, व्यक्तिगत फायदा मिले, अधिक से अधिक रुपया जमा हो और कम से कम गरीबों को दें । जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वह जनता के लिये बजट बनाते हैं । वे अधिक से अधिक यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विकास हो राजस्थान का । आज भारत सरकार से कर्जा लिया जा रहा है तो आप क्यों दुःख पाते हैं । दिल्ली के लिये ही सारा रुपया नहीं है । दिल्ली की

(श्री मदन सिंह दांता)

जनता सारे हिन्दुस्तान की जनता नहीं है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से कर्जा लिया तो क्या खराबी है ? राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसके लिये कर्जा लें तो क्या हर्ज है? जनता के लिये लें तो भी आपको तकलीफ होती है। एक दो मिनिस्टरों के सिवाय सब मिनिस्टर नये हैं यहां। आप कहते हैं कि गाइडेन्स सेक्रेटेरियट से मिल रही है। मैं पूछता हूं कि कोई आई.ए.एस. यहां से तनख्वाह लेता है तो वह क्या यह नहीं चाहता कि जनता में पैसे वितरण न हो। नहीं वितरण होता है क्योंकि नीचे के लेवल पर गड़बड़ी हो जाती है, पंचायत समिति के जरिये कुछ कमीबेशी हो जाती है, सड़कों पर हो जाती है। बाकी, मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं जैसा बजरंगलालजी ने कहा, आई.ए.एस. केडर के द्वारा जो योजना बनती है वह....

(3.50 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

दिखावे के लिए बनती है। आई. ए. एस. रिपोर्ट्स बनाते हैं, समझ बूझ कर ही बनाते हैं। नीचे से रिपोर्ट्स आती हैं उनके आधार पर बनाते हैं। जो मिनिस्टर बन जाते हैं वे कोई टेक्निशियन नहीं हैं। इसलिए वह आई. ए. एस. को दबा नहीं सकते। टेक्निशियन नहीं होने के कारण वह दबा नहीं सकते इसलिए काम में कमी आती है। बाकी हम अपने सीने पर हाथ रखकर देखें कि सन् 1949 से लेकर आज तक क्या राजस्थान में तरक्की नहीं हुई? क्या भारतवर्ष में तरक्की नहीं हुई ? क्या सड़कें नहीं बनीं ? क्या बिजली नहीं लगी ? इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रिटिसाइज नहीं करें लेकिन यह मतलब भी नहीं है कि इतना क्रिटिसाइज करें कि तुम कुछ कर नहीं सकते। यह कहना भी ठीक नहीं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर आप देखें तो यहां, हमारे यहां हॉल भी असेम्बली का पहले से अच्छा बना है और एम. एल. ए. साहब यहां विराजमान हैं। ठंडा और गरम भी हो गया। क्या हम लकड़ी की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते ? इसलिए जो नयी सरकार है इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। नई सरकार ने बड़ा संभल कर पैसा खर्च किया है।

आपकी पार्टी के तीन सिद्धान्त हैं जो मेरे से छिपे हुए नहीं हैं। इस सरकार में जनसंघ है। अकेले जनसंघ की सरकार होती तो मैं जानता हूं कि वह कार्य कैसे करती। यह मिली जुली सरकार है। इसके सिद्धान्त क्या हो सकते हैं, मैं जानता हूं। सारा बजट राजनीति से प्रेरित है और राजनीति पर आधारित है। जब तक आपकी एक संस्था नहीं होगी जैसे कम्युनिस्ट कण्ट्री हैं वहां एक संस्था है, इंग्लेण्ड में एक संस्था है। आपकी जो संस्था है, वह मिक्स्ड है। हमारे मास्टर जी बजट बनाने लगते हैं तो भैरोंसिंह जी कह देते हैं कि हमें अड़चन आती है, और उधर केदार जी कहते हैं कि हमें अड़चन आती है यह एक सोशलिस्ट बजट होना चाहिए। यह खराबियां इसलिए हैं कि सिद्धान्त के ऊपर आधारित बजट नहीं है। अगर यह बजट सिद्धान्त के ऊपर आधारित होता तो जनता को मालूम होता कि सरकार क्या करने जा रही है। इसमें कुछ कर दिया और कुछ नहीं भी किया।

(श्री मदनसिंह दांता)

मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में पेयजल की समस्या है। कल जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बातें कही थीं। जिन जिन इलाकों में पीने का पानी कम है जैसे जैसलमेर में कम है वहां आप यह मत सोचें कि दांता के इलाके में ऐसे गांव नहीं हैं कि जहां तीन-तीन और चार-चार मील से पानी नहीं लाया जाता हो। हमारे यहां पर भी जानवरों पर, गधे और बैलों पर रखकर पानी लाते हैं। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि कहां पेयजल की कठिनाई है।

सभापति महोदय, आज बहुत हंसी की बात आई। एक मंत्री हैं उनके पास मैं गया और कहा कि एक गांव में दो योजनायें बना दीं। मैंने कहा कि यहां तो एक ही रहने दो और दूसरी योजना को दूसरे गांव के लिए कर दो। मैंने उनसे कहा कि मेरी बात यहीं सुन लो। ग्राम मंडा है वहां वर्षों से पानी मिल रहा है। वहां एक पूंजीपति हैं उन्होंने अभी लिख कर दिया है कि मैं हमारी तीन पीढ़ियों तक पानी फ्री दूंगा। उसके थोड़ी दूरी पर ही एक गांव है, मैं चाहता था कि दूसरी योजना वहां शिफ्ट हो जाये। जब उन मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता तो उनकी बात पर मुझे कुम्भाराम जी की बात याद आ गयी। कुम्भाराम जी के पास आई.ए.एस. आफिसर्स आते थे। वह कहा करते थे कि कुम्भाराम की कलम में योजना है। मंत्रियों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपनी बात को मनवा सकें। इसलिए मैं चाहूंगा कि दो तीन गांव हैं, ऐसा इलाका है जहां बहुत खारा पानी है, उन गांवों को भैरोंसिंह भी जानते हैं, उन्होंने पेयजल की व्यवस्था करने का वचन भी दिया था, दूधवा गांव है वहां पूरे गांव की योजना गांव के लोगों ने चन्दा एकत्रित करके बनाई है। मैं दोनों मंत्रियों से कहूंगा या तीसरे से भी कहूंगा कि हमारी सुनो। मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस चीज को नोट कर लें। दांता रामगढ़ तहसील में गांव वालों ने खुद मिल कर टैंक बनाये और योजना बना दी, नल लगा दिये, अब हम चाहते हैं कि उनको आप अपने हाथ में ले लें। मेरा यह सुझाव है।

सड़कों के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी त्रुटि हो रही है वह यह हुई है कि सड़कों को कम्पलीट नहीं बनाया जाता है। जैसे जयपुर से सड़क दांता जाती है जो जयपुर से रवाना होती है इससे थोड़ी दूर जाकर बन्द हो गयी। आज तीन साल से बन्द पड़ी है। न तो जयपुर वाला दांता पहुंच सकेगा और न दांता वाला जयपुर पहुंच सकेगा। ऐसे ही खाटू की सड़क है। आज 21 वर्ष पहले खाटू की सड़क की योजना थी, रेलवे की योजना थी। न तो सड़क तैयार है और न रेलवे ही। रुपया सैंक्शन है। इसी तरह से दांता से खाटू की सड़क है वह सड़क आगे जाकर रुक गयी है। न तो खाटू का आदमी दांता जा सकता है और न दांता का आदमी खाटू जा सकता है। न दांता का आदमी दिल्ली आ सकता है और न दिल्ली का आदमी दांता आ सकता है। इसलिए कोई भी सड़क आप बनायें तो कम्पलीट सड़क बनानी चाहिए। दूसरे आज कल लिंक रोड का एक फैशन और चल गया है। ऐसी सीधी सड़कें बनाई हैं कि चार-चार मील तक कोई गांव नहीं है। उधर से सीधी रोड ले जायेंगे। हम कहेंगे कि थोड़ा कर्व ऐसा लगेगा तो जो गांव ज्यादा आबादी के

(श्री मदनसिंह दांता)

हैं वह भी आ जायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सीधी रोड निकालेंगे। ऐसे ही खाटू रोड पर कर्व दिया जाता तो ज्यादा एक्सपेन्सेस भी नहीं होते और मोटर वालों को आना-जाना नहीं पड़ता। इसलिए राज्य सरकार को सड़क बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सड़क अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े गांवों में जाये। तो जो खाटू की सड़क बन रही है वह सड़क अभी पूरी नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय बजास गांव को भी नोट कर लें। वहां खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। तीन मील का कट निकल जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो अभी अधूरी पड़ी हैं। ऐसे ही रेनवाल से करड और काकरन गयी है वह भी अधूरी पड़ी है जो कि कम्पलीट होनी चाहिए।

दूसरे मुझे, सभापति महोदय, शराबबंदी पर बोलना है। मैं समझता हूं कि आपके पहले भी वित्त मंत्री थे उनको भी मैंने सजेस्ट किया था कि शराबबंदी तो हो सकती है, यह कल बन्द हो सकती है लेकिन शराब बन्द कैसे हो? आप अपना महकमा उठा लें तो कल बन्द हो जायेगी। शराब बन्द तब हो सकती है जब कि आप धर्म के मामले में चलें। अब तो ब्राह्मण पीने लगे हैं, राजपूतों की तो बात ही क्या है। जैन पीने लग गए और जो नहीं पीते थे वह पीने लग गए। मेरा सुझाव है कि शराब पीने की आदत होती है। इस आदत को आप ढंग से सुधारें। भारतवर्ष में नहीं तो राजस्थान में शराब इस ढंग से बन्द हो सकती है कि सारी शराबें बन्द करके एक बीयर नाम की शराब हो, मंत्री महोदय भी उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसको चख सकते हैं। उसमें नशा जरूर होता है लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होती। भारत के कान्सटीट्यूशन में है कि "Beer is not injurious to health" इसलिए दूसरी सारी शराब को बन्द किया जाये और बीयर को रखा जाये। इससे हाजमा भी ठीक होगा, पेशाब ठीक होगा और आदमी मरेगा भी नहीं। आप इसकी 8 आने की बोतल कर दीजिए, इससे आपको करोड़ों रुपयों की आमदनी होगी। रिक्शा वाला दस बीस बोतलें भी पी जायेगा तो मरेगा नहीं। वह रोटी खूब खायेगा, हजम भी होगी और खून भी बढ़ेगा। यह हंसी की बात नहीं है। बीयर में खुद में खाद्यान्न है, जो है। इसलिए डाक्टर से सर्टीफिकेट लाना होगा, जहां ड्राई एरिया है वहां सर्टीफिकेट मिलेंगे, लाइसेन्स मिलेंगे—यह सब खतम करो। वह लाइसेन्स वाले तीन आदमी बुलाये, यह सिस्टम बाम्बे और मध्य प्रदेश में फेल हुआ। राजस्थान में इसको पजोख कर देखिये, 8 आना की बीयर की बोतल कर दो। मैंने भी प्रयोग किया था। होली पर लोग बहुत शराब पीते हैं। मैं हाउस में कह कर 200 बोतलें ले गया, वहां अनाउन्स करके ले गया, खूब पी और नशा भी बढ़ता गया। बहुत दिनों तक मस्ती रही। ऐसे दारू को तीन रुपये की कर दी है। आज बियर आठ आने की हो जाये, जो मंत्री नहीं पीते हैं वे भी ट्राई कर लें, यह मेरा सुझाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मदनसिंह दांता)

सभापति महोदय, हमारे यहां कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से कई चिकित्सालय, छोटी छोटी डिस्पेन्सरियां खोली गई। कांग्रेस ने डिस्पेन्सरियां खोल दीं, आपने उठा लीं। एक बात समझ में आती है, फैमिली प्लानिंग सैन्टर हैं उनमें अगर आप कमी करते तो एक बात थी लेकिन आपने डिस्पेन्सरियां उठा लीं। मेरे इलाके में एक बाय गांव है आज से तीन महीने पहले उसमें 40 हजार रुपया खर्च हो गया, हमारे आदमी वहां पहुंच गये लेकिन वहां से आपने डिस्पेन्सरी हटा दी, यह कह दिया कि सरकार की नीति घोषित हुई है कि जिस पंचायत समिति में दो डिस्पेन्सरी हों वहां तीसरी नहीं होगी। यह क्या नियम है? इतना पैसा लगाया गया। जब आपको मालूम था कि हम ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं तो इजाजत क्यों दी? बाद में डिस्पेन्सरी के लिये कलेक्टर ने भी लिखा है। बाय के साथ बहुत अन्याय किया है।

सभापति महोदय, मैं अन्त्योदय योजना के संबंध में कहूंगा। अन्त्योदय योजना गरीबों की योजना है इसका विरोध नहीं होना चाहिये। अन्त्योदय योजना में कुछ पैसों के लिये परसों मुख्य मंत्री जी ने अनाउन्स किया था कि हम कुछ करने जा रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं मेरी कहता हूं मैंने दो-तीन लाख की गारंटी दी है। घर का एक नवेरा है वह भी काम में आ जायगा। इसलिए जल्दी से जल्दी बैंकों से, जैसा कि प्रावधान रखा है, ऋण की व्यवस्था करायें। बैंक वाले भी बड़ी डिफीकल्टी में हैं, गरीब आदमी को ऋण दें तो कोई न कोई गारन्टी तो होनी चाहिए। गारन्टी आप दिलायें तो बहुत अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बजट का प्रेम से, सप्रेम बहुत समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री कौशल किशोर। कृपया 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): माननीय सभापति जी, कल की बहस के अन्दर, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य श्री मथुरादास जी माथुर ने एक मूलभूत प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य अनेक वर्षों तक राजस्थान के वित्त मंत्री रहे हैं। वित्त के मामले में उनका व्यापक अनुभव है। उन्होंने जो ध्यान दिलाया था वह आज के समाचार पत्रों में सुर्खियों में छपा भी है। उन्होंने जनता सरकार से अपेक्षा की थी कि सदन को विश्वास में लिया जाये। जितने भी ऋण हम लेते हैं उसके विषय में, जितनी भी गारन्टी राज्य सरकार देती है, उसके विषय में सदन के अन्दर प्रस्ताव लाया जाये, सदन के अन्दर विधेयक लाया जाये, सदन को इस बात की जानकारी दी जाये—इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। उन्होंने संविधान की धारा 293 का उल्लेख किया था। मैं पढ़ना चाहूंगा। 293 धारा इस प्रकार है:–

"Subject to the provisions of this article the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the consolidated fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if

(श्री कौशल किशोर जैन)
any, as may be so fixed."

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, इस वक्त विधान सभा में कोरम नहीं है। 19 सदस्य मौजूद हैं, आप गिन लीजिये।

एक माननीय सदस्य : कोरम 20 का होता है, कोरम पूरा है।

श्री दुलाराम : 19 ही हैं, आप गिन लीजिये। इस वक्त 19 सदस्य मौजूद हैं।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 293 की ओर...

श्री मदन सिंह दांता : एक ताड़ना जरूर दें, मंत्री मौजूद नहीं रहते।

श्री दुलाराम : सदस्य मौजूद रहें न रहें, मंत्री भी नहीं रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यहां पर मंत्री विराजमान हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : इस व्यवधान के कारण मेरा समय जा रहा है।

राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के आर्टिकल की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उसका पठन मैंने किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य, जो 30 साल में अनेक वर्षों तक वित्त मंत्री रहे हैं, को संविधान के आर्टिकल की याद आई। क्या अपने समय के अन्दर उन्होंने इस आर्टिकल को ध्यान में रखकर सदन को विश्वास में लिया ? मैं शंका नहीं करता उनकी नीयत पर लेकिन इसके पीछे क्या राज है, मेरी समझ में नहीं आता। जनता सरकार 8 महीने की सरकार है लेकिन कांग्रेस ने अपने तीस साल के राज में क्या क्या राज छुपाये थे। कांग्रेस सरकार की हुकूमत 30 साल तक रही, उसमें मथुरादास जी माथुर वित्त मंत्री रहे, क्या उन्होंने इस सदन में इस बात को रखा ? मैं मेरी सरकार को निवेदन करूंगा, सुझाव दूंगा कि कांग्रेस सरकार की हुकूमत जो 30 साल तक कर नहीं कर पाई, जनता सरकार सदन को विश्वास में ले। संविधान के आर्टिकल 293 के तहत सदन को विश्वास में लेना आवश्यक है जैसा कि मैंने निवेदन किया, सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये।

एक बात और उन्होंने जोर शोर से कही। उन्होंने कहा कि एक हजार करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा ऋण है, राज्य सरकार पर। केन्द्र का ऋण है, बाहर का ऋण है। मेरा निवेदन है जनता सरकार से कि प्राइवेट ऋण के मामले में गारन्टी देना बन्द करे। मैं डिटेल में नहीं जाता किन्तु इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि इस एक हजार करोड़ के ऊपर के ऋण के लिये जिम्मेदार कौन है ? तीस साल के अन्दर विकास के नाम पर खूब ऋण बढ़ाया जाता रहा। कुछ ऋण चुकते भी हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम केवल 40–50 पैसे सैकड़ा पर गारन्टी राज्य सरकार किनको देती है ?

(श्री कौशल किशोर जैन)

कोई उद्योगपति बैंक से ऋण लेता है वह 50 पैसे सैकड़ा का ब्याज देकर सरकार से गारन्टी चाहता है। मेरा निवेदन है सरकार गारन्टी देने में सावधानी बरते। कहीं होम करते हुये हाथ न जल जाय, इस बात का राजस्थान की जनता सरकार को ध्यान रखना होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। कल माननीय सदस्य ने कहा कि टौंक की टेनेरी संकट में है, बीकानेर की वूलन मिल बन्द हो गई। बीकानेर वूलन मिल का क्या हुआ? हजारों-करोड़ों रुपया पब्लिक अन्डरटेकिंग में पब्लिक एन्टरप्राइज में फंसा हुआ है लेकिन बीकानेर की वूलन मिल क्यों बन्द हुई? सन् 1976 में यह 18 लाख की लीज पर थी। समाजवाद की बात करने वालों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं कोई राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं, न सहकारी समितियों का विरोधी हूं, सहकारिता का भी विरोधी नहीं हूं, अन्डरटेकिंग का विरोधी नहीं हूं किन्तु मैं यह जरूर सुझाव देना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया आज अन्डरटेकिंग में लगा हुआ है, पब्लिक एण्टरप्राइज में लगा हुआ है, सहकारिता में लगा है। उन सहकारी संस्था या प्राइवेट एन्टरप्राइज में जो ऑफिसर्स के बोर्ड हैं, उन बोर्डों को भंग किया जाय और नान-ऑफिसियल बोर्ड बनाये जायं, उनमें जन प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाय, पब्लिक मैन को स्थान दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सहकारी क्षेत्र के एक मिल के बारे में राजस्थान के अन्दर गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल सन् 73–74 के अन्दर भारतवर्ष की 774 स्पिनिंग मिलों में से एक थी। चाहे मिल गवर्नमेन्ट सैक्टर में हो, चाहे पब्लिक सैक्टर में हो और चाहे जोइन्ट सैक्टर में हो वह मिल 774 मिलों में से एक थी और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि सन् 73-74 में उस मिल में प्रति स्पिन्डल 474 रुपये का फायदा हुआ था, उस समय हमने पब्लिक के आदमी को चेयरमेन बनाया था। मैं कहना चाहूंगा, इस तरह के सैक्टर का गहन मंथन होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सहकारीकरण न करें लेकिन एक तरफ इस तरह करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति पड़ी हुई है, माननीय वित्त मंत्री जी, और दूसरी तरफ आपने कहा था कि 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

जनता का करोड़ों रुपया किस प्रकार बरबाद किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। राजस्थान रोडवेज के अन्दर पिछली बार 53 लाख का घाटा था, यह घाटा नेट घाटा है। मैंने प्रश्न पूछा सदन के अन्दर तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि आज तक ढाई करोड़ रुपया पैसेन्जर टैक्स का बाकी है। अगर यह ढाई करोड़ रुपया मिल जाय तो घाटा कम हो सकता है। अगर कोई प्राइवेट बस मालिक बस चलाता है, उससे अपना तथा अपने बच्चों का पेट भरता है यदि वह पैसेन्जर टैक्स न दे तो उसकी गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, परमिट कैन्सिल कर दिया जाता है लेकिन आज राजस्थान रोडवेज में सरकार का ढाई करोड़ रुपया बाकी है अगर यह मिल जाय तो घाटे की पूर्ति कुछ हद तक हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री कौशल किशोर जैन)

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में जो विकास कार्यों के लिये प्रावधान किया है, उससे मुझे बड़ी खुशी है। पिछली बार 280.25 करोड़ का बजट था और अब की बार 317.57 करोड़ विकास कार्यों के लिये रखा गया है। जितना विकास के मद में रखा गया है उसमें से 64.40 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिये रखा गया है। यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय को, 30 साल के कांग्रेस शासन के बाद जनता सरकार ने यह फैसला किया है कि गांवों को बरबाद नहीं होने देंगे। शहरों में जो आलीशान भवन, कोठियां और फव्वारे लग रहे हैं, शहरों में जो कल-कारखाने हैं, शहरों में बड़े-बड़े स्कूल हैं, शहरों में बड़ी बड़ी युनिवर्सिटीज हैं उनमें विकास का मद कम करेंगे और गावों का विकास तेजी से किया जायगा ताकि जो शहरीकरण बढ़ रहा है, वह भी कम हो सके—यह जनता सरकार का अच्छा दृष्टिकोण है पहली बार जनता सरकार ने यह तय किया है कि गावों का विकास करेंगे और गावों से जनता को शहरों में नहीं आने देंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लेना चाहूँगा

माननीय वित्त मंत्री जी, आपने ट्रैक्टर और ट्रौली पर टैक्स कम कर दिया, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, ट्रौली किसान की बैलगाड़ी है, इस पर टैक्स आधा करने से काम नहीं चलेगा। उनका यात्रा और माल लाने का यह एक मात्र साधन है। वह उसमें माल लाते समय पुलिस की परेशानी से नहीं बच सकेगा। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है, कम्प्रेसर पर टैक्स लगाइयेगा। कम्प्रेसर खेती का सामान लेकर शहर में बेचने नहीं आता है लेकिन ये भोले-भाले किसान अपना खेती का सामान ट्रौली में शहरों में लेकर आते हैं तो पुलिस वाला कहता है धन्धा कर रहे हो, कहां जा रहे हो, इस तरह कह कर 100-50 रुपये उस गरीब भोले भाले किसान से ऐंठ लेता है।

सभापति महोदय, मोटे कपड़े पर जो टैक्स था, हमने सदन में आपका ध्यान उस ओर आकर्षित किया था कि 25) रु. तक के मोटे कपड़े पर छूट दीजिये और आपने उसे स्वीकार भी किया था। किन्तु आप जब भीलवाड़ा पधारे थे तब जनता आपसे मिलने आई थी और आपने उस के निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थता बताई थी। मेरा निवेदन है गरीबों के साथ न्याय कीजिये। 25) रु. तक के मोटे कपड़े पर, मेरा निवेदन है, आप कर को समाप्त कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुये आशा करता हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, उन पर आप ध्यान देंगे। यह कह कर अपनी बात खतम करता हूं।

श्री सभापति : श्री फतह सिंह! केवल 10 मिनट।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : सभापति महोदय, भूतपूर्व सरकार ने वर्ष 1977-78

(मेजर श्री फतह सिंह)

के लिये विकास व्यय हेतु 415 करोड़ 36 लाख का बजट बनाया था उसको बढ़ाकर इस आने वाले वर्ष के लिये जनता सरकार ने 507.84 करोड़ का प्रावधान किया है यानि 22.27 प्रतिशत की विकास व्यय में वृद्धि हुई है। इसके लिये मैं जनता सरकार को और मंत्री परिषद् को धन्यवाद देता हूं। विकास व्यय के कई मदों में वृद्धि की गई है। शिक्षा में 99.08 करोड़ से बढ़ाकर 109.66 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह जल प्रदाय में भी 26.45 को बढ़ाकर 31.97 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह सब मदों में वृद्धि की गई है यानि यह बजट विकासोन्मुख कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास के लिये भी इस वर्ष 317.57 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें केन्द्र से कुछ अनुदान मिलेगा–वह सारा मिलाकर ग्रामीण विकास के लिये 327.07 करोड़ रुपया उपलब्ध होगा यानि ग्रामीण विकास में कुल विकास व्यय का 64.40 प्रतिशत खर्च होगा। यह ग्रामीण विकास का बजट तो अवश्य है लेकिन, श्रीमान्, मैं आपके मार्फत सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की अस्सी प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, ग्रामों में रहती है और सारा बजट जो विकास के काम का है, 507.84 करोड़ का जो बजट है, उस 507.84 करोड़ के विकास व्यय में से गांवों के लिये 380 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिये था जब कि इस सरकार ने केवल 327.07 करोड़ का ही प्रावधान किया है। मैं कुछ बजट के आंकड़ों से यह बात प्रस्तुत करना चाहूंगा। ग्रामीण सड़कों के लिये केवल 10 करोड 10 लाख का प्रावधान किया गया है जब कि सारे बजट में सड़कों के विकास के लिये 29.07 करोड़ का प्रावधान है। सड़कों के लिये भी ग्रामों के लिये अधिक प्रावधान होना चाहिये था। इसी तरह से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये केवल 11.62 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है जब कि सारे बजट में 37 करोड़ का प्रावधान है। इस तरह से यह भी कम है। ग्रामीण शिक्षा के लिये केवल 59.51 करोड़ का प्रावधान किया है जब कि सारे बजट में 109.66 करोड़ का प्रावधान है, यह भी बहुत कम किया गया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ग्रामों की आबादी को देखते हुए भी इसमें ग्रामीण लोगों के प्रति उपेक्षा बरती गई है। इस बजट को बढ़ा करके और ज्यादा किया जावे ताकि ग्रामीण विकास के लिये अधिक पैसा उपलब्ध हो सके।

अब मैं कुछ मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मद्यनिषेध की जो गवर्नमेन्ट की पालिसी है उसका तो मैं स्वागत करता हूं। इस साल पाली, जोधपुर और बीकानेर जिलों को नशाबन्दी के, पूर्ण नशाबन्दी के क्षेत्र में लिया गया है। इस तरह से राजस्थान में 13 जिले और 13 तहसीलें नशाबन्दी के क्षेत्र में आ जायेंगी। लेकिन क्या इससे हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा? नहीं। क्या सरकार की यह ढिलमिल नीति नहीं है? मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति ढिलमिल है। सरकार वाकई इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहती है तो एकदम कोई साहसिक कदम उठाना चाहिए। मास्टर

(मेजर श्री फतह सिंह)

साहब, वित्त मंत्री महोदय, अगर आपके रहते हुए, आपके वित्त मंत्री रहते हुए और मोरार जी भाई के प्रधान मंत्री रहते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाली कई पीढ़ियों में मद्यनिषेध का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिये आप पूर्ण नशाबन्दी की योजना तत्काल बनाइये। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी आमदनी में, हमारी इनकम में जो कमी होगी उसकी कैसे पूर्ति की जाएगी ? इस सम्बन्ध में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने यह 'बजट स्टडी' नामक पुस्तक, जो हमको उपलब्ध करवाई गई है, का अध्ययन किया तो उससे मुझे मालूम हुआ कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर राजस्व 75.78 रु. देना पड़ता है, 75 रुपये और 78 पैसे, जब कि प्रति व्यक्ति सरकार 164.74 पैसे खर्च करती है। दूसरे प्रदेशों के अगर आंकड़े, प्रति व्यक्ति कर राजस्व और प्रति व्यक्ति व्यय को देखा जाय तो यह मालूम पड़ेगा कि दूसरे राज्य प्रति व्यक्ति कम राजस्व-कर वसूल करते हैं और प्रति व्यक्ति व्यय भी जितना करना चाहिये वह नहीं करते हैं। इसलिए अगर हमको अपने सिद्धान्तों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमको, इस सदन को और इस सरकार को गंभीरता से कर-राजस्व को बढ़ाने पर विचार करना पड़ेगा। यह बात बहुत कड़वी लगती है लेकिन एक तरफ तो हम विकास चाहते हैं, दूसरी तरफ हम व्यय को भी, आमदनी को भी कम करना चाहते हैं।, दोनों बातें नहीं हो सकतीं। हमको अपने राजस्व-कर को बढ़ाने के भी उपाय सोचने पड़ेंगे। नशाबन्दी····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : दो मिनट और हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : दो मिनट तो बहुत कम हैं। इससे तो अच्छा है बोलूं ही नहीं।

सरकार की नशाबन्दी की नीति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार वाकई मद्यनिषेध करना चाहती है ? मैं कहता हूं कि सरकार इतनी सीरियस नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति वह गंभीर नहीं है, इसका प्रशासन बड़ा ढीला चल रहा है। एक दिन जब मद्यनिषेध का प्रश्न आया तो उस सम्बन्ध में मैंने जिक्र किया था कि ब्यावर सदर पुलिस स्टेशन से पचास गज की दूरी पर ही सांसी-कंजरों की बस्ती है। अगर उस पुलिस स्टेशन से पत्थर फेंका जाय तो सांसी–कंजरों की बस्ती में पड़ेगा। वे सांसी-कंजर खुले आम नाजायज शराब बनाते हैं जिसको बड़े बड़े लोग पीते हैं, पुलिस के लोग पीते हैं, राज्य कर्मचारी पीते हैं, लेकिन आपका प्रशासन निष्क्रिय बैठा हुआ है। क्या आप इस तरह से इस मद्यनिषेध के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मेरा कहना है, कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने कई जिलों को और कई तहसीलों को मद्यनिषेध के क्षेत्र में लिया है। मेरा निवेदन है और मैं चाहता हूं कि ब्यावर क्षेत्र, ब्यावर तहसील, भीम तहसील, देवगढ़ तहसील, जहां गरीब लोग बसते हैं पहाड़ी इलाके में, वहां पर मद्यनिषेध लागू करिये। इसके लिए हम आपका स्वागत करेंगे।

(मेजर श्री फतह सिंह)

श्रीमान, अपना स्थान लेने से पहले एक बात आपकी आज्ञा से और कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना हमारी जनता सरकार का लक्ष्य रहा है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी कई बार कहा कि भ्रष्टाचार हम समाप्त करके रहेंगे, लेकिन यह भ्रष्टाचार कहने से समाप्त नहीं होता। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा। कल यातायात के सम्बन्ध में एक प्रश्न था। हमने पूछा था और यह सभी लोग जानते हैं कि जोधपुर से जयपुर तक एक कण्डक्टर कम से कम सौ-डेढ़ सौ रुपये कमाता है। यही हाल उदयपुर से जयपुर तक का है। बसों में भीड़ पड़ी रहती है। मुसाफिरों को भेड़ों की तरह भरा जाता है, फिर भी उसमें घाटा ही घाटा रहता है। प्राइवेट आपरेटर्स की प्राइवेट बसें चलती हैं उनमें घाटा क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनका निरीक्षण होता है, उनका इंस्पेक्शन होता है इसलिए घाटा नहीं रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यातायात से अगर भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो आप सख्त कदम उठायें और निरीक्षण की आप व्यवस्था करें।

एक बात और भ्रष्टाचार के संबंध में निवेदन करूंगा। ब्यावर में एडवर्ड मिल, लक्ष्मी मिल और ब्यावर सब डिविजन के अन्दर विजयनगर काटन मिल, ये सब सरकार के नियंत्रण में चल रही हैं। उनमें हर महीने लाखों रुपयों का नुकसान होता है। लाखों रुपयों का हर महीने नुकसान होता है जब कि मिलें सरकार के नियंत्रण में चल रही हैं। मैं यह कह रहा था कि हमारी रोडवेज, जिस पर सरकार का नियंत्रण है, घाटे में है, वह टोटे में जा रही हैं जब कि प्राइवेट आपरेटर कमा रहा है। यही हाल एडवर्ड मिल, लक्ष्मी मिल और विजय काटन मिल का है। वहां पर जो खरीद फरोख्त होती है, उसमें वहां के कर्मचारी खाते हैं, वे भ्रष्टाचार करते हैं। इस भ्रष्टाचार की बात को हमारे माननीय विधायक उगमराजजी मेहता ने किसी अखबार वाले से कहा। हमारे संसद सदस्य शारदाजी ने भी कहा कि ऐसा मालूम हुआ है कि मिलों में घोटाले चल रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? सदन को अफसोस होगा यह सुन कर कि उनके ऊपर एडवर्ड मिल के रेजीडेन्ट डाइरेक्टर मिस्टर कावडिया ने मानहानि का मुकदमा चलाया है, जो कि ब्यावर में चल रहा है। इस सदन के विधायक, पार्लियामेंट के संसद सदस्य अगर अपना कर्त्तव्य पूरा करने में कोई बात कहते हैं तो उन पर मानहानि का दावा किया जाता है तो इस तरह से कोई भी विधायक अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकते। मैं वित्त मंत्री महोदय और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो विधायकों के रास्ते में बाधक बनते हैं, चाहे वह एडवर्ड मिल का रेजीडेंट डाइरेक्टर हो, चाहे वह कोई आई. ए. एस. अधिकारी हो, उसको वहां से हटाइये। अगर आप ऐसे व्यक्ति को नहीं हटायेंगे तो कोई काम नहीं चल सकता...

श्री मदनसिंह दांता: माननीय सभापति महोदय, सदन में विधायक कोई बात कहें तो दावा करने का प्रश्न नहीं है।

मेजर श्री फतह सिंह: विधायक ही नहीं, विधायक ठाकुर मदन सिंह जी किसी अफसर

(मेजर श्री फतह सिंह)
के खिलाफ कोई बात कह दें तो ठाकुर मदन सिंहजी को मुलजिम बना कर कठघरे में खड़ा कर दिया जाय...

श्री मदनसिंह दांता : यह नहीं हो सकता।

मेजर श्री फतह सिंह : हो रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : हो रहा है तो गलत हो रहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हाउस के बाहर हुआ है।

मेजर श्री फतह सिंह : परिवार कल्याण के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं, श्रीमन्, यद्यपि इस परिवार कल्याण में दोषपूर्ण नीति कांग्रेस शासन में अपनाई गई थी जिसकी वजह से इस तरफ बैठने वाले उस तरफ बैठे हैं, लेकिन परिवार कल्याण, परिवार को सीमित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि परिवार को सीमित करने के तरीकों पर सोचिए। लोगों में अधिक से अधिक इसका प्रचार करिए वरना एक समय यह आएगा कि सारा राजस्थान प्रदेश भूखे, भिखमंगों का प्रदेश, नगर बन जाएगा। इस पर गंभीरता से विचार करिए..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रिलीफ के बारे में एक निवेदन और करना चाहता हूं क्योंकि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। श्रीमन्, राजस्थान के 12,200 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है लेकिन अभी तक उनमें फेमिन के जो रिलीफ कार्य शुरू किए जाने थे, वे नहीं किए गए हैं। मैं यह कहने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि कांग्रेस के शासन में इन्हीं दिनों में अधिक कार्य चलते थे। हमारी सरकार भी इस बारे में गंभीरता से सोचे। मैंने रिलीफ मंत्री महोदय से भी कहा है, सरकार की नीति इस सम्बन्ध में दोषपूर्ण है। हमारे साधन सीमित हैं तो हम देखें कि हमने कितने काम खोल दिए हैं और जो काम खोले हैं, उनको आप चलाते जाइये। उनको बन्द मत करिए। बन्द करते हैं तो असन्तोष बढ़ता है। जिन मजदूरों को काम पर लगा दिया है, उनको मत हटाइये। उनको हटा देंगे तो असन्तोष बढ़ेगा। मेरे क्षेत्र में ऐसी बातें हुई हैं जिनसे लोगों में असन्तोष बढ़ा है। लोगों ने भूख हड़ताल की है। टेलीग्राम दिया है मंत्री महोदय के पास भी आया है। मुख्य मंत्री महोदय को भी दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सब बातों का गवर्नमेंट समाधान करेगी।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मजदूरों की रेट है तीन रुपया है वह उनको मिलना चाहिए। दो रुपये का धान और एक रुपया केश यह बहुत जरूरी है। टास्क बेसिक पर काम दिया जाता है वह तीन रुपये का ही काम मिलेगा। यह कैसी विडम्बना है? कोई ज्यादा काम करना चाहता है तो टास्क बेसिस पर उसको काम नहीं करने दिया जाता है। वह बैठा रहे, चिलम पीता रहे। तो इस नीति को बदलने के लिये चाहे फेमिन कोड को बदलना पड़े, आप बदलिए। यह जो दोषपूर्ण नीति है फेमिन के सम्बन्ध में, उसको आप दुरुस्त कीजिए। मैं अधिक नहीं कहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुरुशरण छाबड़ा ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरी आपत्ति है ।

श्री सभापति : आप नहीं थे ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं छः घंटे बैठा रहा, थोड़ी देर बाहर चला गया था ।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक पक्षीय बात सुननी है तो ठीक है ।

श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति जी, तीस वर्षों के बाद भारत के राजनैतिक इतिहास में एक परिवर्तन आया । लोक नायक जय प्रकाश नारायण के इस आह्वान के साथ कि देश के अन्दर आज सम्पूर्ण क्रान्ति की नितान्त आवश्यकता है देश की जनता ने राजनैतिक क्रान्ति की । लेकिन राजनैतिक क्रान्ति के बाद सरकार का दायित्व बनता है कि वह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी क्रान्ति करके लोकनायक की सम्पूर्ण क्रान्ति की इच्छा पूर्ण करे । लेकिन जिस प्रकार का बजट राजस्थान का यहां पर प्रस्तुत किया गया है, यह क्रान्तिकारी बजट कहलाने लायक बजट नहीं है । हमारे माननीय सदस्य कहते हैं, यह बजट सुधारवादी अवश्य है, लेकिन क्रान्तिकारी नहीं । देश की युवा शक्ति को क्रान्ति की ओर ले जावे, उस प्रकार का बजट चाहिये । क्रान्तिकारी बजट वह बजट कहलाता है, जिसके द्वारा चाहे शहर में रहने वाला मजदूर हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला हो, चाहे कल कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे खेत खलिहान में काम करने वाला गरीब किसान भाई हो, चाहे बेरोजगारी का शिकार नौजवान हो, उनमें एक नया विश्वास पैदा हो, आत्म विश्वास पैदा हो और उनमें निराशा का वातावरण समाप्त हो । इस प्रकार का बजट हो तो वह क्रान्तिकारी बजट कहलाता है । हम देखते हैं कि इस बजट के द्वारा सुधार तो अवश्य होगा लेकिन कोई क्रान्ति होगी, यह मैं नहीं कह सकता हूं । बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए यह बताया गया है कि कुछ लोगों को रोजगार दिया जाएगा । रोजगार देने की बात आज जनता सरकार ने कही हो वह इसके पूर्व की सरकारों ने भी कही है । न केवल कही है बल्कि रोजगार भी दिया गया है । आज जनता ने व्यक्ति तो बदल दिए हैं लेकिन व्यवस्था को बदलना अब इस सरकार का दायित्व है । जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक सही मायने में जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा । रोजगार आवश्यकता के आधार पर मिलना चाहिए । जिस व्यवस्था के अन्दर रिश्वत, सिफारिश रोजगार का मूल आधार हो और उसके आधार पर रोजगार प्राप्त होता हो, चाहे वह सरकारी नौकरी का प्रश्न हो, या अन्य किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का प्रश्न हो, ऐसी मौजूदा व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक रोजगार सिफारिश जुटाने वाले लोगों को ही मिलेगा और जिन लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है, जिनको पहले किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है,

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

उनको रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। यह वैसे ही हैं जैसे एक तरफ टंकी में पानी भरा जा रहा है और दूसरी तरफ टंकी में लीकेज है तो उसमें पानी नहीं भरा जा सकेगा। आपने इस बजट के द्वारा थोड़ी बहुत राहत दी है परन्तु इससे पूरी बेकारी दूर नहीं होगी क्योंकि आर्थिक क्रान्ति के साथ साथ सामाजिक क्रान्ति भी परम आवश्यक है। इस समय सरकार ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है। हमारी आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि समाज में जो कुरीतियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनका दृढ़ता से उन्मूलन नहीं किया जायगा। माननीय सभापति जी, जब तक कुछ लोगों को इस व्यवस्था के द्वारा रोजगार उपलब्ध हो परन्तु सारे प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध न हो, इस प्रदेश के अन्दर से दहेज प्रथा, जो सामाजिक कुरीति हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक है, समाप्त न हो तब तक हम समाजवाद की ओर जो कदम बढ़ाना चाहते हैं, वे कदम पूरी तरह से सफल नहीं होंगे, उनमें सफलता नहीं मिलेगी। आज देश के अन्दर उन्हीं लोगों को रोजगार प्राप्त है जिनके पास सिफारिश होती है या रिश्वत होती है। मैं चाहता हूं कि सरकार रोजगार देने से पूर्व इस पालिसी को चेन्ज करे और रोजगार, नौकरी हर व्यक्ति को नहीं बल्कि जिसको पहले आवश्यकता है, उसको पहले दे। जनता पार्टी ने यह बात कही है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारन्टी होगी। हमने, सभापति महोदय, सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर रोजगार के अधिकार की बात कही है। इसका अभिप्राय यह है कि जो भूखा है, उसे पहले रोजगार दें उसके पश्चात् दूसरे लोगों को रोजगार दें। हम देखते हैं कि एक परिवार के अन्दर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास भूमि है, ट्रक चलाता है, जिसके पास सिनेमा हाल है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति के पास रोजगार के एक से अधिक साधन हैं और दूसरा व्यक्ति बेरोजगारी का शिकार है, दर-दर की ठोकरें खाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार वास्तव में क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहती है तो एक व्यक्ति एक काम के सिद्धान्त को मान कर चलना चाहिए। यदि एक व्यक्ति व्यापार करता है तो किसी प्रकार से भी उसको सरकारी सेवाओं में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। किसान है, खेती करता है तो उसे खेती करने दी जाए और उसको नौकरी न दी जाए। जिस व्यक्ति के पास न कोई दुकान है, न कोई रोजगार है, उस व्यक्ति को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए। उसको रोजगार की प्रथम आवश्यकता है। पहले ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाए और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त जब तक भ्रष्टाचार समाप्त न हो तब तक किसी प्रकार का आर्थिक परिवर्तन हम नहीं कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति एक रोजगार के आधार पर आप व्यवस्था बनाएंगे तो इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ समाज के लोगों

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

को मिल सकेगा।

सरकार ने कहा था कि हम समाजवाद लायेंगे। समाज का जो कमजोर वर्ग है, उसको ऊपर उठायेंगे। किन्तु इस बजट के द्वारा देखते हैं कि जो गरीब आदमी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला है, उसको कोई राहत नहीं दी गई। आज सारे राजस्थान में हर जगह कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। कौनसी रुकावट है जिस कारण उन लोगों के आवास की समस्या, जिसको सरकार एकदम से हल नहीं कर सकती है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, हमें पहले भी मौका नहीं मिला है। दो तीन बातें मुझे युवा विधायक होने के नाते रखनी हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमको बोलने का समय ही नहीं मिलता है।

श्री सभापति : आप बोल लीजियेगा।

एक माननीय सदस्य : मुझे आज ही समय दिया जाये। 5 मिनट

श्री सभापति : 5 मिनट से आपका काम चलेगा नहीं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय सभापति जी, हमने जनता को आश्वासन दिया था कि पहले के राज्य में और हमारे राज्य में फर्क होगा। हमारा तौर-तरीका भिन्न होगा। शासन का काम ठीक तरह से चलाया जाएगा। हमारे माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि सचिवालय में जो व्यय किया जा रहा है, वह रोका जाना चाहिए। अगर सचिवालय में होने वाले व्यय को रोका जाता तो युवा और बेसहारा भाई-बहिनों की मदद कर सकते थे। सचिवालय की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन मुझे खेद है कि हमारे विधायकों पर जो खर्च होता है उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं आपको निवेदन करूं कि आपातकाल में जनता पर कितनी ज्यादतियां हुई हैं। मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ी ज्यादती की गई है वह थी विधायक पेंशन योजना। अंधा बांटे रेवड़ी, आप आप को देय। विधान सभा ने ऐसे नियम बनाये हैं कि जिससे स्वयं उन लोगों को फायदा मिलेगा। जैसे कि विधायकों को पेंशन दी जा रही है।

(व्यवधान)

मुझे खेद है कि विधायकों को आपातकाल में यह कांग्रेसी राज का सबसे बड़ा तोहफा मिला है, यह तोहफा बन्द किया जाना चाहिए। मैं चुन कर आया हूं। जो चुन कर आये हैं, उनको मासिक वेतन मिलता है। लेकिन जिनको जनता ने ठुकरा दिया है, उनको भी 500/—रुपया पेंशन मिलेगी। जितनी तनख्वाह, उतनी ही पेंशन? यह किसी को भी और कहीं नहीं मिलती है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : शेम, शेम।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अभी जो विधायक जनता के द्वारा ठुकरा दिये गये हैं उनको जनता के धन से ही 500/—रु० की

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

तक पैंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारी को वृद्धावस्था में रिटायर कर दिया जाता है तब पैंशन दी जाती है लेकिन 5 साल के बाद जनता किसी को ठुकरा देती है तो उसके बाद हमको अधिकार नहीं है कि उसको पैंशन दें। उसके बाद सरकार से पैसा लेना दुर्भाग्य की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : घण्टी बज गई है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : हमारे जो माननीय विधायक हैं जो भूतकाल में थे और जो वर्तमान में हैं, जिनको पैसा दिया जाता है, उनको समाज के ही काम में आना चाहिए। इसलिए उनको ही पैंशन दी जाए समाज सेवा ही जिनका साध्य है और आजीविका का कोई साधन नहीं। उसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन मेरे क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री मनफूलसिंह भादू हैं वह करोड़पति हैं। वह इनकम टैक्स देते हैं लेकिन उनको जनता की कमाई से 500/- रुपया मिलेगा। जिनसे इनकम टैक्स लिया जाये उनको भी पैंशन दी जायेगी। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे लोग जनता के खून-पसीने की कमाई को ऐश आराम में उड़ाते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। इसको बन्द किया जाये। इस पैसे से गरीब विधवाओं को पैंशन दे सकते हैं। बेरोजगारों को भत्ता दे सकते हैं। ऐसे लोगों को दिया जायेगा तो लोगों का हित होगा।

सभापति महोदय, जो बजट के बारे में योजना प्रस्तुत की गई है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देंगे।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जो बजट भाषण पढ़ा है उसके लिये उन्हें इसलिये धन्यवाद देता हूं कि पहली दफा आपने ग्रामोन्मुख बजट प्रस्तुत किया है जिसमें से 60% से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जावेगा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भविष्य में इसे क्रांतिकारी बनाने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री सभापति : श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार सोशलिस्ट सरकार नहीं है कैपिटलिस्ट सरकार है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, अभी भाई छाबड़ा जी के विचार सुने।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य कहें, भाई नहीं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय वित्त मंत्री महोदय की सीट खाली है, लेकिन विश्वास है कि हमारी बात उन तक पहुंचेगी। एक तरफ तो जनता पार्टी के विधायक विधायकों की पैंशन बन्द करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे मुख्य मंत्री, एक कोठी नहीं दो दो कोठियों में रहना चाहते हैं...

Page No. 100

(१००)

श्री नवनीत पालीवाल : दो दो कोठियां नहीं हैं। यह गलत है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक मार्गव साहब के नाम प्लॉट है। वहां पर गार्ड क्या भार्गव साहब के नाम लगी हुई है ?

श्री केदार नाथ : सभापति जी, माननीय सदस्य बैचलर हैं फिर भी कमरा छोड़कर फैमिली क्वार्टर में आ रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वह आवास तो विधायकों का आवास है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आप यह तय कर चुके हैं कि वह ऐशो आराम करने वाले आदमी हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : नहीं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : आप उनके झोंपड़े पर जाकर देखो तो पता चलेगा। उनको तो जबरदस्ती बंगले में हमने भेजा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं माननीय भैरोंसिहजी के बारे में नहीं बोलकर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के बारे में बोल रहा था।

श्री मदनसिंह दांता : प्रधान मंत्री के लिए बोलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं तो मैं सभापति महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे वाक्यों को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : Why expunge ? It is not your property.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं कह रहा था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो निकाल देना चाहिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरी रिक्वेस्ट पर सभापति महोदय ने एक्सपन्ज नहीं किया है। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसी साथी की फीलिंग हर्ट हुई हो तो इसको एक्सपन्ज कर दिया जाय। मैं आज तक माननीय भैरोंसिहजी का आदर करता हूं और उनका जीवन सादगी का जीवन मानता हूं।

हमारी जनता सरकार ने अपने बजट में कच्ची झोंपड़ियों को सुविधायें देने के लिए कितना धन रखा है ? कच्ची बस्तियों के लिए 87.97 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, लगभग एक करोड़ रुपये का प्रावधान लेकिन जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जहां पर पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, गन्दे पानी को निकालने की समस्या है, जहां जिन्दगी सुअरों की तरह व्यतीत की जाती है उसमें बसने वाले गरीब लोगों के नाम से चुनकर आये हैं, फिर भी जनता सरकार ने 455 करोड़ के बजट में उन लाखों गरीबों के लिए सिर्फ 87 लाख रुपये मन्जूर किये हैं। अगर यही सरकार सोशलिस्ट सरकार है तो भगवान करे कि ऐसा सोशलिज्म हर जगह आये, फिर तो पूंजीपतियों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। एक तरफ हमारी सरकार 30, 40 और 60

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
हजार के ट्रेक्टर और 15 हजार की ट्रोली रखने वालों के लिए ट्रोली टैक्स माफ करने पर बताऊ है।

श्री केदारनाथ (श्रम मन्त्री) : यह भी आपकी मांग थी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दूसरी तरफ जो खेतिहर मजदूर हैं, और लाखों लोग जो अलाभकारी जोतों वाले हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। केवल उन लोगों को आप लाभ देना चाहते हैं जिनके पास केवल तीन चार प्रतिशत जमीन है। आप तीस-चालीस हजार का ट्रेक्टर रखने वालों को ही गरीब मानते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि यह गरीबों की और अलाभकारी जोतों वालों की गवर्नमेन्ट नहीं है, डाकुओं की भरमार हो रही है। एक तरफ जो लैण्डलार्ड किसान हैं वे सरकार पर हावी हैं और दूसरी ओर आपने एक करोड़ रुपया भी कच्ची बस्तियों के लिए नहीं दिया और फिर हमसे चाहते हैं कि बजट को पास कर दो। यह ठीक है कि व्हिप जारी कर देंगे, मुख्य कोड़ामार बैठे हुए हैं, हाथ खड़े करवा लेंगे, बजट पास हो जायगा और यह समझ जायेंगे कि जनता के अन्दर हमारा नाम हो जायगा कि हमने गरीबों के लिए यह कोशिश की। परन्तु आप उनकी मदद कर रहे हैं जो गरीब नहीं है, जिनके पास कालाबाजारी का बहुत धन जमा है।

हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा था कि हम पेयजल की समस्या को हल करेंगे और 13.45 करोड़ रुपये उसके लिए आवंटित भी कर दिये, उसमें केवल 350 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। परिवर्तित बजट में हमारे माननीय मन्त्रिमण्डल ने 450 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का निर्णय किया था परन्तु इस नये बजट में तो एकदम पीछे आ गये। मैं कह सकता हूं, इस बारे में तो कांग्रेस सरकार के पद चिन्हों पर ही यह सरकार चल रही है। इस साल जनता पार्टी की सरकार केवल 350 गांवों में ही पेयजल की योजना पर कार्यारंभ करेगी। जबकि परिवर्तित बजट में 450 गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए बजट प्रावधान किया गया था वहां नये साल में शुरू से लेकर 350 गांवों में ही पेयजल की योजना का प्रावधान किया गया। 100 कम गांवों को पीने का पानी इस साल दिया जायगा, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका बजट बोल रहा है, गांवों की संख्या बोल रही है, यह स्थिति माननीय वित्त मंत्रीजी, आपका बजट बता रहा है। यह स्थिति जनता सरकार की है।

यह कहा गया कि पीने के पानी के लिये एक निगम की स्थापना की जायगी और बैंक से और एल. आई. सी. से लोन लिया जायगा। 6 महीने पहले मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी और बजट में घोषणा की गई थी परन्तु वाटर निगम की स्थापना आज तक नहीं हुई है और न अन्य स्रोतों से ही पानी मिल सका है। जो गरीब किसान हैं, जो दूरदराज के गांवों के अन्दर रहने वाले लोग हैं, वहां पर लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं उनको आप पानी नहीं दे सकते, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। कई विधायक महोदय

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

जहां बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर दूध मिल सकता है, लेकिन पानी मिलना बहुत मुश्किल है। पन्द्रह पन्द्रह मील और बीस-बीस मील की दूरी से महिलाएं और आदमी अपने सिर पर रखकर पानी लाते हैं, एक दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक औरत और मर्द का पानी लाने के लिये व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति है फिर भी इस साल सरकार उन गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था करेगी। फिर यह कहते हैं कि यह सोशलिस्टिक बजट है। यह सोशलिस्टिक बजट नहीं है यह पूंजीवादी बजट है, पूंजीवादी व्यवस्था का बजट है। यह जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति लाने वाला बजट नहीं है जिसके बल पर आप सत्ता में आये थे। जनता हमारी ओर देख रही है कि जनता सरकार आई है, दो तीन साल में पानी की व्यवस्था कर देगी। मुझे मालूम पड़ता है कि जयपुर में पानी की समस्या का हल हो सकता है, जोधपुर की पानी की समस्या का हल हो सकता है, बीकानेर में पानी की समस्या का हल हो सकता है परन्तु दूरदराज के गांवों में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी समस्या का हल नहीं हो सकता, जहां पर कि 80 पर्सेंट जनता रहती है। आप किसानों की और किसान यूनियन की बात करते हैं परन्तु आम किसान की ओर कोई ध्यान नहीं देते।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, पूरे पांच बज गये हैं और समय बढ़ाया नहीं गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 13 मार्च, 1978 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे सोमवार दिनांक 13 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्नोत्तर 147 की सूची)

परिशिष्ट 'घ'

फर्म का नाम	वर्ष				
	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
1. मैसर्स वनिता हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर	1,625-00	4,721-40	-	3,701-30	7,609-60
2. मैसर्स कुमकुमखड़ी क्राफ्ट्स, जयपुर	-	-	36,840-00	36,906-00	10,327-78
3. मैसर्स बणीठनी, जयपुर	-	-	-	57,984-86	70,954-75
4. मैसर्स एपलिक क्राफ्ट्स, जयपुर	-	-	-	7,861-09	319-65
5. मैसर्स महारानी हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर	-	-	-	16,840-35	-

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची)

भूमि अवाप्ति सम्बन्धी विचाराधीन मामलों की सूची

क.सं.	विकास कार्य जिसके लिये किसानों से भूमि ली गई	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	नगर [illegible]	अवार्ड घोषित किया जा चुका है। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 11 की कार्यवाही किया जाना शेष है जो शीघ्र ही की जाकर मुआवजा की राशि वितरण कर दी जावेगी।
2.	बाछेरी बयाना बर्वलिंग रेलवे लाइन तहसील क्षेत्र हिण्डौन	अवार्ड घोषित किया जाकर मुआवजा वितरण किया जा चुका है केवल ग्राम कापरोली के किसानों की मुआवजा की राशि 429/– वितरण से शेष है जो 18–2–78 को प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही वितरण की जा रही है।
3.	बाछेरी बयाना बर्वलिंग रेलवे लाईन उपखण्ड सवाईमाधोपुर	(अ) ग्राम बोलखाड़ा के कृषक सूचना के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अब भुगतान करने हेतु दि. 20–3–78 नियत है। (ब) ग्राम रघुवन्टी, कोथाली, मकसूदनपुरा, चक बिलोली, सांकड़ा, टेटरा, वालापुरा, फलोदी, रवांजनाडूंगर, नीमली, खुर्द, खिलचीपुर, फूलोदा, डूंगरी आदि की भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 का नोटीफिकेशन राज्य सरकार द्वारा जारी करने को निवेदन किया गया है।
4.	सवाईमाधोपुर रवांजनाडूंगर के मध्य नया रेलवे क्रासिंग स्टेशन वास्ते ली गई भूमि	अवार्ड दि. 30–7–75 को जारी किया जा चुका है। डिवीजनल इंजीनियर नं. 2 पश्चिम रेलवे कोटा के यहां से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है जो प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

1	2	3
5.	बन्ध देवपुरा	भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही हो चुकी है। अग्रिम कार्यवाही की जानी है।
6.	बन्ध जैतपुरा एवं नहर	भूमिधारियों को भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत नोटिस दिये जा रहे हैं।
7.	बन्ध सूरवाल	भूमिधारियों को भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत नोटिस दिये जा रहे हैं।
8.	बन्ध मोरेल व नहर	अवार्ड 24-12-75 को जारी किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सवाई-माधोपुर से राशि प्राप्त नहीं हुई है जिसके बाबत कार्यवाही जारी है।
9.	बन्ध फांचोलास व नहर	फाइनल अवार्ड जारी करने के लिये दि. 9-3-78 नियत थी।
10.	बन्ध मुई व नहर	भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही हो चुकी है अग्रिम कार्यवाही जारी है।
11.	बन्ध भगवतगढ़ व नहर	फाइनल अवार्ड जारी करने के लिये दि. 9-3-78 नियत थी।
12.	लैंडिंग ग्रो एण्ड निर्माण सवाईमाधोपुर	भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 के नोटिस जारी हो चुके हैं आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है।

(१०४)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची)

दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

आपातकाल के दौरान चयनित अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद जिसके लिए चयनित हुए	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	श्री एच.एस. आहूजा	मैनेजमेंट ट्रैनी कम प्रोबेशनर आफिसर (वरिष्ठ)	एम.एस.सी. (कृषि) प्रथम श्रेणी
2.	श्री एस.एम. शर्मा	"	"
3.	श्री जी.एस. चौहान	"	"
4.	श्री एल.एल. गुप्ता	"	एम. काम. प्रथम एवं राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान
5.	श्री आर.के. झा	"	एम.एस.सी. (कृषि) प्रथम श्रेणी
6.	श्री आशाराम मीना	"	एम.काम.
7.	श्री बी.एल. जैन	"	बी.काम.
8.	श्री के.डी. पारख	"	एम.काम.
9.	श्री एम.एम. सोनी	"	बी ए.सी. ए आई.आई.टी.
10.	श्री कुन्दनमल बाबेल	"	एम काम.प्रथम श्रेणी
11.	श्री एम.एल. जैन	"	एम ए अर्थशास्त्र प्रथम श्रेणी
12.	श्री नरेश गर्ग	"	"
13.	श्री ओ.एम. चोहला	"	एम.काम द्वितीय
14.	श्री नानकराम खंगार	"	एम.काम. प्रथम श्रेणी
15.	श्री आर.एस. अग्रवाल	"	एम.एस. सी. कृषि प्रथम श्रेणी
16.	श्री राम खिलाड़ी मीना	"	एम.काम. प्रथम श्रेणी
17.	श्री आर.सी. माथुर	"	"
18.	श्री एस.के. जैन	"	"
19.	श्री विमल कुमार शाह	(कनिष्ठ)	बी. काम.
20.	श्री आर.ए. धोमाल	"	बी.काम.सी.ए.आई.आई.टी. (सहकारिता में डिप्लोमा)

अनुभव 5	वेतन श्रृंखला 6	विशेष विवरण 7
,,	स्टाइपेण्ड प्रथम वर्ष रुपये 500/– प्रति माह द्वितीय वर्ष रु. 600/– प्रति माह	त्याग-पत्र दिया
,,	,,	–
,,	,,	–
,,	,,	–
–	–	–
12 वर्ष टोंक सी. सी. बैंक में	चयन के समय प्राप्त वेतन का स्टाइपेण्ड माना	अनुसूचित जनजाति टोंक सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अधिकारी हैं
12-112 वर्ष का	,,	,, ,, भीलवाड़ा में अधिकारी हैं
17 वर्ष का	,,	,, ,, नागोर में अधिकारी हैं
–	स्टाईपेण्ड प्रथम वर्ष 500/- रु. प्रतिमाह द्वितीय वर्ष 600 रुपये प्रतिमाह	
,,	,,	त्याग-पत्र दिया
,,	,,	–
–	,,	अनुसूचित जाति
–	,,	–
,,	,,	–
–	,,	अनुसूचित जन जाति
–	,,	–
–	,,	–
8 वर्ष	चयन के समय प्राप्त वेतन को स्टाईपेण्ड समझा	राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक में कर्मचारी थे।
10 वर्ष	,,	,,

(106)

1	2	3	4
21.	श्री हरिनारायण शर्मा	कनिष्ठ	एम.ए., एल.एल.बी.
22.	श्री एम.एल. शर्मा	वरिष्ठ	एम.काम. प्रथम
23.	श्री श्याम दत्त व्यास	कनिष्ठ	बी.ए. सहकारिता में डिप्लोमा
24.	श्री रामशरण अग्रवाल	"	"
25.	श्री एल.एम. गुप्ता	"	बी.काम.प्रथम श्रेणी
26.	श्री राकेश उपाध्याय	"	"
27.	श्री ए.डी. रत्नू	"	"
28.	श्री पी.एल. शर्मा	"	बी.ए., एल.एल.बी.
29.	श्री एल.एस. राजपुरोहित	"	बी.ए.
30.	श्री एच.एल. अलावत	"	एम.काम.
31.	श्री रामदयाल	"	बी.काम.
32.	श्री आर.सी. लोढा	"	बी.काम प्रथम श्रेणी
33.	श्री उमेश अग्रवाल	"	"
34.	श्री जे.आर. वेहला	"	बी.काम.
35.	श्री हरीचरण सिंह	जन सम्पर्क अधिकारी	एम.काम. पत्रिका में डिप्लोमा

5	6	7
10 वर्ष का	चयन के समय प्राप्त वेतन को स्टाइपेण्ड समझा	राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक में कर्मचारी थे।
–	स्टाईपेण्ड प्रथम वर्ष रु. 500 प्रतिमाह द्वितीय वर्ष 600 प्रतिमाह	
8 वर्ष	चयन के समय प्राप्त वेतन को स्टाई-पेण्ड समझा	,,
9 वर्ष	,, ,,	,,
–	स्टाईपेण्ड प्रथम वर्ष रु. 400 प्रतिमाह द्वितीय वर्ष रु. 500 प्रतिमाह	त्याग-पत्र दिया
–	,, ,,	,,
–	,, ,,	–
6 वर्ष का	चयन के समय प्राप्त वेतन को स्टाईपेण्ड माना	चयन के समय सी. सी. बैंक अलवर में कर्मचारी थे।
6 वर्ष का	,, ,,	पाली से.को. बैंक में कर्मचारी थे
9 वर्ष का	,, ,,	उदयपुर
–	स्टाईपेण्ड प्रथम वर्ष 400 रु. प्रतिमाह द्वितीय माह 500 ,,	अनुसूचित जाति
–	,, ,,	
–	,, ,,	
–	,, ,,	
–	280–20–400–ई.बी.–25–550	

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम रावत भाटा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में कृषि उपज मंडी का प्रस्ताव

158. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रावत भाटा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में अलग से कृषि उपज मण्डी बनाने हेतु कोई रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी, उदयपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अलग से कृषि उपज मण्डी बनाने की सिफारिश की है ?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा भी इस विषय में मंत्री महोदय को पत्र लिख कर मांग की है ? यदि हां, तो किन कारणों से इसे अलग से कृषि उपज मण्डी बनाने की घोषणा नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम रावतभाटा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में अलग से कृषि उपज मण्डी समिति बनाने हेतु सहायक विपणन अधिकारी उदयपुर द्वारा सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को दिनांक 5–8–77 को एक रिपोर्ट भेजी गई थी।

(2) जी हां।

(3) तहसील अथवा पंचायत समिति स्तर पर पृथक् कृषि उपज मण्डी समितियों की मांगों को देखते हुए यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। मण्डी समिति का क्षेत्रफल व सम्भावित आय इत्यादि पर आधारित मापदण्ड राज्य सरकार के विचाराधीन है एवं इन्हीं के अनुसार पृथक् मण्डी समितियां बनाने का निर्णय लिया जायेगा।

पांच हजार की जनसंख्या के ग्रामों को डामर रोड से जोड़ने का निर्णय

159. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिला में पांच हजार की जनसंख्या के गांवों को डामर रोड से जोड़ने का निर्णय लिया है और उक्त निर्णय की परिपालना भी की जा रही है ?

(2) क्या उपरोक्त मापदंड बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों, जहां कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 7 से 27 व्यक्ति बसे हुये हैं, में नहीं अपनाना इनके साथ उपेक्षा और अन्याय करना नहीं होगा ? यदि हां, तो इन जिलों में राज्य सरकार दो हजार की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने का मापदण्ड अपनाने के लिए तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) पांच हजार की जनसंख्या के गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में निम्न सड़कों का कार्य हाथ में लिया गया है:--

	अनुमानित लागत
1. पचपदरा से पटोदी	10 लाख
2. टापरा से पादरू	12 लाख
3. समदड़ी से बालोतरा	14 लाख
4. कवास से भटाडू	10 लाख

जैसलमेर जिले में पांच हजार की जनसंख्या वाले कोई गांव नहीं हैं जिनको सड़कों से जोडा जाना है।

वर्तमान में दो हजार की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

आबकारी मंत्रियों की बैठक में लिया गया निर्णय

160. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उत्तर भारत के आबकारी मंत्रियों की बैठक, जो फरीदाबाद में हुई थी, में राजस्थान के मंत्री ने भी भाग लिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उस बैठक में 20% शराब की सप्लाई कम करने का निर्णय लिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गारन्टी प्रणाली पर शराब बेचने उल्टा 10% की वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस प्रकार की गारन्टी में वृद्धि करना राज्य सरकार की शराब बन्द करने की नीति के प्रतिकूल नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) 20% खपत कम करने का निर्णय लिया गया था।

(3) क्योंकि देशी मदिरा की दुकानों के ठेकों की कीमत बढ़ाने से ठेकेदार शराब की बिक्री की कीमत बढ़ा देते हैं, मदिरा की खपत कम होती है।

(4) प्रश्न के भाग 3 के उत्तर के अनुसार यह राज्य की नीति के अनुकूल है।

राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव

161. श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री कुंजी लाल .(बामनवास) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे ?

(2) क्या भूमि विकास बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों का एकीकरण करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(3) सहकारी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) सूची संलग्न है।

सूची

सरकारी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए संक्षेप में निम्नलिखित योजनाऐं हैं:–

(अ) हिस्सा अंशदान देकर। यह हिस्सा अंशदान रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रखे गये एग्रीकल्चरल दीर्घकालीन ऋण कोष से प्राप्त कर दिया जाता है।

(ब) सहकारी संस्थाओं के व्यवस्थापकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना।

(स) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान देना।

(द) केन्द्रीय सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोलने हेतु अनुदान उपलब्ध कराना।

(क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों को हिस्सा अंशदान देना।

(ख) क्रय विक्रय सहकारी समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान एवं हिस्सा राशि अंशदान देना।

(ग) क्रय विक्रय सहकारी समितियां एवं प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु ऋण व अनुदान देना।

(घ) माल संवारने की इकाइयां स्थापित करने हेतु हिस्सा पूंजी अंशदान देना।

(ङ) केन्द्रीय प्रतिपादित योजना के अन्तर्गत कमजोर बैंकों को संदिग्ध व खराब ऋण को राइट आफ करने हेतु सहायता देना।

(च) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को वापसी योग्य हिस्सा अंशदान देना।

(छ) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किये गये ऋण पत्र का खरीदना।

अटरू-खानपुर रोड की मरम्मत

162. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) श्री भैरवलाल काला बादल (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार अटरू–खानपुर रोड को ठीक कराने तथा मरम्मत कराने की कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां।

उपलब्ध धनराशि के अनुसार मरम्मत का कार्य चालू कर दिया गया है। इस वर्ष इस सड़क पर योजना मद से 70,000 रुपये व 40,000 रुपये से बालू की खाल पुलिया की मरम्मत फ्लड रिपेयर के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है।

कृषि उपज मंडी समिति भीलवाड़ा की जमीन पर अवैध कब्जे

163. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि उपज मंडी समिति, भीलवाड़ा का क्षेत्रफल कितने बीघे जमीन का है ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, भीलवाड़ा की बहुत सी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस अवैध कब्जे की जमीन पर आज मकान खड़े हो गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि यह अवैध कब्जे कृषि उपज मंडी के तत्कालीन अध्यक्ष की कृपा से हुए ?

(5) क्या इन अवैध कब्जे को हटाने के लिये राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा मुख्य मण्डी यार्ड का क्षेत्रफल 47 बीघा 16 बिस्वा है।

(2) लगभग एक बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। मण्डी समिति के माध्यम से उचित कार्यवाही की जा रही है। अनधिकृत कब्जे वालों को जमीन खाली करने के नोटिस दिये जा चुके हैं परन्तु उनके द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया गया है।

नोट:–(क) नोटिस दिनांक 18–1–78 को दिये गये।

(ख) वाद दिनांक 15–2–78 को प्रस्तुत किया गया।

(ग) प्रथम पेशी दिनांक 8–3–78 को हुई।

(घ) जवाब दावा पेशी दिनांक 1-4-78 को रखी गई है।

लाल बहादुर शास्त्री उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर

164. मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कल्याण जी का रास्ता, जयपुर में "लाल बहादुर शास्त्री उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र" नाम से कोई संस्था चलाई जा रही है ?

(2) क्या यह संस्था राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

(3) क्या इसी संस्था की शाखाएं करौली और किशनगढ़ रेनवाल में भी काम कर रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(114)

(उद्योग मंत्री)

(2) यह संस्था लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत नहीं है एवं न ही वर्तमान उद्योग विभाग के नियमों में ऐसी संस्थानों को पंजीकृत करने का कोई प्रावधान है।

(3) संस्था से सम्पर्क स्थापित करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि इस संस्था की एक शाखा करौली में चलाई जाती थी लेकिन इस शाखा का दिनांक 4–2–78 से जयपुर की शाखा से सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है। किशनगढ़ रेनवाल में इस संस्था की कोई शाखा नहीं है।

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार

165. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहती है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जिला परिषदों को खत्म करने का विचार रखती है? यदि हां, तो जिला परिषदों के स्थान पर क्या व्यवस्था कायम की जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना चाहती है? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कब तक क्या क्या कदम उठाये जायेंगे?

(4) क्या राज्य सरकार सिर्फ पंचायतें एवं जिला परिषदें ही कायम कर पंचायत समितियां भंग करना चाहेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार मौजूदा व्यवस्था ही रखना उचित समझेगी?

(5) क्या राज्य सरकार न्याय पंचायतों की व्यवस्था में भी कुछ सुधार करना चाहती है? अगर हां, तो इस विषय में कब तक क्या क्या सुधार किये जायेंगे? नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के चुनाव की प्रणाली में भी कुछ संशोधन करने का विचार रखती है? अगर हां, तो इस बारे में कब तक क्या क्या परिवर्तन राज्य सरकार करना उचित समझेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसके पुनर्गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) अभी तक इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है।

(3) पंचायत राज का जो भी स्वरूप रखने का अन्तिम निर्णय लिया जावेगा उसे सुदृढ़ बनाने का राज्य सरकार का इरादा है। इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(4) अभी तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं लिया है और यह मामला अभी तक विचाराधीन ही है।

(5) राजस्थान में न्याय पंचायतें समाप्त की जा चुकी हैं। अब न्याय पंचायतों

(पंचायत राज मंत्री)

के स्थान पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्याय उप समिति हो गई है। इन न्याय उप समितियों की व्यवस्था में सुधार लाने के सम्बन्ध में अभी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा समय विचार किया जावेगा।

(6) अभी तक इस मामले में सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है और यह मामला अभी विचाराधीन है। इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

तहसील कोटपूतली का वेटरिनरी अस्पताल

166. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोटपूतली में वेटरिनरी अस्पताल व डिस्पेन्सरी कहां कहां हैं ? क्या राज्य सरकार इन्हें काफी समझती है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार और कहां कहां चालू करना चाहती है ?

(2) पशुपालन विभाग को इस वर्ष मार्च, 1978 तक कितनी धन राशि मिली थी तथा वह धन राशि किस काम में ली गई ? क्या विभाग के निदेशक ने मंत्री महोदय को इस बारे में कोई सुझाव दिये थे ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं तो किसकी लापरवाही से यह धनराशि इस विभाग के काम में नहीं आ सकी ?

उत्तर

(1) कोटपूतली मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय कार्यरत है।

जी नहीं !

धना भाव के कारण अभी चालू करना संभव नहीं हैं।

(2) पशु पालन विभाग को वर्ष 1977-78 हेतु कुल राशि रुपये 508.09 लाख का प्रावंटन हुआ है। इसके विरुद्ध 506.84 लाख व्यय होने की संभावना है। विगतवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। निदेशक पशुपालन से जो सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों में इस राशि के उपयोग की कार्यवाही की जा रही है।

पशु पालन विभाग को वर्ष 1977–78 में आवंटित राशि एवं उसके उपयोग का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	मद	1977–78 बजट आयोजना भिन्न (Non Plan)	1977–78 आयोजना (Plan)	1977–78 (संशोधित) योग	सम्भावित व्यय 1977–78 आयोजना भिन्न (Non Plan)	सम्भावित व्यय 1977–78 आयोजना (Plan)	सम्भावित व्यय 1977–78 योग
1.	पशुपालन, शूकर व कुक्कुट सहित	380.10	71.81	451.91	378.85	71.81	450.66
2.	मत्स्य	28.01	28.17	56.18	28.01	28.17	56.18
	योग ..	408.11	99.98	508.09	407.86	99.98	506.84

पंचायत समिति इटावा में प्रोविडेन्ट फण्ड के रूप में काटी गई राशि

167. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फण्ड काटा गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक तथा किनका कितना ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फण्ड वापस लौटाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की रकम अभी तक नहीं लौटाने का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की रकम लौटाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1969-60 से 1975-76 तक 4,853) रुपया काटा गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रोविडेन्ट फण्ड के लिए काटी गई रकम को राजकीय कोष में जमा कराने के चालान व रिकवरी शिड्यूल पंचायत समिति द्वारा यथा समय प्रस्तुत नहीं करने से यह राशि अब तक वापस नहीं लौटाई जा सकी है।

(3) जी हां। एक माह में रकम लौटाने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

पंचायत समिति, इटावा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से काटी गई प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि का विवरण।

क्रमांक नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वर्ष वार धनराशि काटने का विवरण														
	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	योग
1. श्री सीताराम पुत्र खेमा	44	25	36	36	36	36	36	21	स्थानान्तरण समाज कल्याण						270
2. ,, मदनलाल पुत्र रामनाथ	72	90	36	36	36	36	36	36	36	36	15	96	206	40	943
3. ,, बहादुर सिंह पुत्र नारायणसिंह	60	65	36	22	30	36	36	83	36	36	144	84	192	35	845
4. ,, केसरीलाल पुत्र पन्नालाल	60	65	36	36	36	36	36	36	36	36	144	84	192	35	868
5. ,, भैरूलाल पुत्र भागीरथ	60	65	36	36	36	36	36	36	36	36	144	84	192	35	868
6. ,, छीतरलाल पुत्र रामा हरिजन	60	65	36	36	36	36	36	36	36	36	144	84	192	84	917
7. ,, भंवरसिंह	12	25	36	36	33	फरवरी, 67 में कार्य मुक्त कर दिया									142
योग	368	400	252	238	243	216	216	198	180	180	727	432	974		4853

नोटः— वर्ष 1959–60 से 1961–62 तक की अवधि की राशि वर्ष 1962–63 व 1963–64 में काटी गई है।

संगमरमर उद्योग मकराना

168. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मकराना में संगमरमर उद्योग के देशी व विदेशी मशीनों के कितने कारखाने हैं ? कृपया इनमें लगी सरकारी व गैर सरकारी पूंजी का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) संगमरमर के नए कारखानों (इन्डस्ट्रियल एरिया बिदयाद) को राज्य सरकार कब तक आर. आई. एम. डी. सी. के माध्यम से मुकम्मल कर कार्य के काबिल कर देगी और इसमें कितनी राशि लगेगी ?

(3) संगमरमर उद्योग के लिये कितनी विदेशी मशीनें और आने वाली हैं तथा इन विदेशी मशीनों से स्थानीय कारखानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(4) क्या यह सही है कि संगमरमर उद्योग मालिकों को सीमेन्ट व नालीदार चद्दर ब्लैक से खरीदनी पड़ती है ? यदि नहीं, तो कितने परमिट मकराना में सीमेन्ट तथा नालीदार चद्दर के दिए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मकराना में संगमरमर उद्योग के देशी मशीनों के 189 एवं विदेशी मशीनों के दो कारखाने लगे हुए हैं। देशी मशीनों के कारखानों में सरकारी पूंजी 51,42,000)रु. एवं गैर सरकारी पूंजी 1,42,29,212) रु. लगी हुई है। कुल नियोजन 1,93,72,222) रु. का हुआ है। विदेशी मशीनों के कारखानों में सरकारी पूंजी 17,07,427) रुपये एवं गैर सरकारी पूंजी 8,08,579) रुपये कुल पूंजी 25,16,040) रु. लगी हुई है। एक अन्य आयातित मशीन का कारखाना लगने जा रहा है। उसमें गैर सरकारी पूंजी 15,00,000) रु. लगी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मशीन, जो स्वदेशी एवं विदेशी पार्ट्स से स्वयं उद्यमी द्वारा निर्मित की गई है, का कारखाना लगने जा रहा है जिसमें सरकारी पूंजी 10,00,000) रु. एवं गैर सरकारी पूंजी 2,50,000) रु. कुल पूंजी 12,50,000) लगी है। इस प्रकार मकराना के संगमरमर उद्योग के देशी एवं विदेशी मशीनों के कारखानों में सरकारी पूंजी 78,49,471)रु. एवं गैर सरकारी पूंजी 1,67,87,791) रु. कुल पूंजी नियोजन 2,49,37,262) रुपये का है। सूची 'क' और 'ख' संलग्न है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र बिदयाद (मकराना) में 220.62 एकड़ भूमि का पूर्ण विकास वर्ष 1978 के अन्त तक होने की आशा है जिस पर 70.79 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है।

मकराना संगमरमर उद्योग के लिए दो उद्योगपतियों द्वारा विदेशी मशीनें और लगाई जाने वाली हैं। इन आयातित मशीनों के लगाने से वर्तमान में स्थानीय कारखानों पर कोई कुप्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। क्योंकि इस संगमरमर पत्थर की मांग देश एवं विदेशों में काफी बढ़ रही है एवं इस कारण संगमरमर चिराई की इकाइयां भी लगातार बढ़ रही हैं।

(3) संगमरमर उद्योग मालिकों द्वारा सीमेन्ट व नालीदार चद्दरें ब्लैक से खरीदने की

(उद्योग मंत्री)

जानकारी विभाग को नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कोटे में से आवश्यकतानुसार सीमेन्ट व नालीदार चद्दरें विभाग द्वारा आवंटन कराई जाती रही हैं। सहायक निदेशक, उद्योग विभाग का कार्यालय अगस्त, 75 से मकराना में स्थापित होने के बाद सीमेन्ट एवं नालीदार चद्दरें निम्नानुसार आवंटित की गई हैं :—

सीमेन्टः—वर्ष 1975 में 36 इकाइयों को 406 बोरी एवं वर्ष 1977 में 96 इकाइयों को 597 बोरी सीमेन्ट, उद्योग-निर्माण हेतु आवंटन कराया गया था तथा वर्ष 1977–78 में 3 इकाइयों को 280 बोरी सीमेन्ट उपलब्ध कराई गई है तथा चार इकाइयों को 1320 बोरी सीमेन्ट आवंटन करने के आवेदन-पत्र विभाग में विचाराधीन हैं। सूची 'ग' और 'घ' संलग्न है।

नालीदार चद्दरें:—वर्ष 1975–76 में 14 इकाइयों को 23 टन एवं वर्ष 1977–78 में 2 इकाइयों को 168 नग आवंटित की गई हैं तथा 3 इकाइयों को 255 नग चद्दरें आवंटन हेतु आवेदन-पत्र विभाग में विचाराधीन है। सूची 'च' और 'छ' संलग्न है।

(4) पूर्व के वर्षों में भी मकराना के उद्योगपतियों को, उनकी आवश्यकतानुसार, विभाग में उपलब्ध कोटे में से, सीमेन्ट एवं नालीदार चद्दरें आवंटित की जाती रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नेशनल हाई वे नम्बर ग्यारह के लिए अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा।

169. श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नेशनल हाई-वे नम्बर ग्यारह के मील नं. 87 से 106 तक को चौड़ा करने के लिए लुधावई के जिन काश्तकारों की भूमि 18 मई, 67 को अवाप्त की गई उसके मुआवजे का भुगतान उन काश्तकारों को अब तक क्यों नहीं किया गया ? अब राज्य सरकार कब तक उनके मुआवजे का भुगतान कर देगी ?

(2) राज्य सरकार द्वारा जब 18-5- को लुधावई के काश्तकारों से भूमि अवाप्त कर अपने अधिकार में ले ली गई फिर भी पिछले दस वर्षों से उस अवाप्त भूमि का राज लगान किस कानून से काश्तकारों से अब तक वसूल किया जाता रहा है ? क्या अनुचित रूप से वसूल किए गए इस भूमि के राज लगान को उन काश्तकारों को वापस किया जाए तथा ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जाए कि उनसे अवाप्त भूमि का लगान वसूल न किया जाय ?

(3) भवन व पथ सा. नि. वि. वृत्त-जयपुर के अधीक्षण अभियन्ता ने अपने क्रमांक एन. एच. आर. 31 दिनांक 15 सितम्बर, 77 द्वारा मुझे सूचित किया था भूमि अवाप्ति वास्ते रा. मार्ग सं. जयपुर भरतपुर मील 87 से 106 तक अवार्ड 8 दिन में घोषित करने के भूमि अवाप्ति अधिकारी को विशेष तौर से निर्देश दे दिए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवा

(श्री काशीनाथ गुप्त)

घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस शिथिलता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) माइल 87 से 106 नेशनल हाईवे नं. 11 पर 18-5-67 को न कोई जमीन ली गई न ही कोई अवार्ड दिया गया। केवल धारा-6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की गई। केवल 2 मील 102 से 104 में सन् 1975 व 1976 में सड़क के दोनों ओर इस जमीन पर वृक्ष लगाये गये। इस वर्ष यह कार्य अन्य कुछ मीलों में भी प्रस्तावित है और कार्य चालू किया गया है। इन जमीनों का मुआवजा भूमिदारान को अतिशीघ्र भुगतान कराया जावेगा।

(2) केवल 2 मील 102 और 104 के बीच में पड़ने वाली भूमि पर सन् 1975 व 1976 में पेड़ लगाये गये बाकी अधिकांश भाग पर सिर्फ इसी वर्ष कार्य हाथ में लिया जा रहा है अतः अधिकांश भाग में भूमि का कब्जा काश्तकारों के पास ही रहा है। राजस्व विभाग को ऐसी भूमि जिनका सरकार द्वारा कब्जा ले लिया है, राज-लगान नहीं लेने के लिए सम्बन्धित राजस्व विभाग को लिख दिया गया है और म्यूटेशन कराकर लगान नहीं वसूली करने की व वापस करने की अतिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(3) अवार्ड अतिशीघ्र घोषित कर देने के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी को विशेष तौर से निर्देश दिये गये थे तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी करके अवार्ड तारीख 16-1-78 को घोषित कर दिया है।

औद्योगिक क्षेत्र, धौलपुर

171. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर में 28-2-78 तक कितने उद्योग रजिस्टर्ड हैं ? इनमें से कितने चालू हैं व कितने फर्जी चालू हैं जो केवल राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए कागजों में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस उद्योग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर में घोषित किया गया है उसमें कितने उद्योगपतियों ने जमीनें ली हैं, कितने उद्योग खोले गये हैं ?

(3) जिन्होंने जमीन लेकर उद्योग नहीं खोले हैं उनसे राज्य सरकार जमीन वापस लेगी या उन्हें उद्योग खोलने के लिए बाध्य करेगी ?

(4) जिन उद्योगपतियों ने सरकार से कर्ज लिए हैं और उनके उद्योग बन्द पड़े हैं उनसे क्या राज्य सरकार ने ऋण वसूली कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) धौलपुर में दिनांक 28-2-78 तक 171 इकाइयां स्थाई रूप से पंजीकृत हुई हैं। स्थाई रजिस्टर्ड इकाइयों में से 94 इकाइयां चालू हैं। चालू इकाइयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष इकाइयां बन्द पड़ी हैं। वर्तमान में रिकार्ड

(122)

(उद्योग मंत्री)

के आधार पर यह बताना संभव नही है कि कोई ऐसी इकाइयां हों जो केवल राज्य सरकार से लाभ उठाती हैं। बन्द पड़ी इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

(2) वर्तमान में धौलपुर में कार्यरत उद्योगों में कार्यरत मजदूर (528) सूची में अंकित हैं धौलपुर में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु 13 उद्यमियों ने प्लाट लिए हैं जिनमें से अभी तक एक उद्यमी ने ही उद्योग चालू किया है।

(3) जिन उद्यमियों ने नये औद्योगिक क्षेत्र में जमीन लेकर उद्योग स्थापित नहीं किये हैं उनमें से 5 उद्यमियों को आवंटित भूमि के प्लाट निरस्त कर दिये गये हैं और अमानत धनराशि भी जब्त की जा चुकी है। शेष सात उद्यमियों, जो उद्योग लगाने में विफल रहे हैं, को आवंटित प्लाटों को निरस्त करने की कार्यवाही चल रही है।

(4) धौलपुर में मैसर्स राजस्थान आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज एण्ड जोन इलेक्ट्रिक बल्ब इण्डस्ट्रीज को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया जिसकी वसूली उक्त निगम के स्तर से की जा रही है। इसके अतिरिक्त क्रमशः मैसर्स जनता सोप फैक्ट्री को रुपये 3,000/- एवं किशोर मैटल काटेज इण्डस्ट्रीज को रुपये 4,000/- का ऋण उद्योग विभाग से दिया गया था जिसकी वसूली जिलाधीश (पी. डी. आर.) के माध्यम से की जा रही है। एक वृहत उद्योग मैसर्स धौलपुर ग्लास वर्क्स को राजस्थान वित्त निगम द्वारा (सात) 7.00 लाख रुपये का ऋण दिया गया है जिसकी वसूली न्यायालय द्वारा की जा रही है।

लिस्ट आफ वर्किंग यूनिट आफ धौलपुर टाउन

क्र. सं. 1	नेम आफ इकाई 2	एम्प्लायमेन्ट 3
1.	मैसर्स अग्रवाल बेकरी नरसिंह रोड, धौलपुर	7
2.	मैसर्स आदर्श आइल मिल्स बाडा, धौलपुर	2
3.	मैसर्स बूदालाल रामदयाल आइल इन्डस्ट्रीज, धौलपुर	5
4.	मैसर्स कालूराम कोचरमल डालहारा रोड, धौलपुर	4
5	मैसर्स महा लक्ष्मी आइल मिल्स, चिरियखना	17
6	मैसर्स प्रेमचन्द दादन चन्द आइल मिल्स स्टेशन	3
7.	मैसर्स रामेश्वर दयाल रोशनलाल सब्जी मण्डी	3
8	मैसर्स शिव आइल मिल्स, गजरा की सराय	5
9	मैसर्स धौलपुर आइस फैक्ट्री बस स्टेन्ड के पास	7
10.	मैसर्स ओमप्रकाश पुत्र शिधी लाल निहाल, गंज	4
11	मैसर्स सिंह इन्डस्ट्री विलगंज, धौलपुर	4
12	मैसर्स धौलपुर प्रिंटिंग प्रेस	4
13	मैसर्स जैन आर्ट प्रिन्टर्स, धौलपुर	4

Page No. 123

(123)

1	2	3
14	मैसर्स महावीर प्रिन्टिंग प्रेस सेठ प्रताप मार्ग	6
15.	मैसर्स राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस	4
16.	मैसर्स अमरसिंह पुत्र किशनलाल निहाल गंज	2
17	मैसर्स हरीसिंह जाटव का मौहल्ला	2
18.	मैसर्स ज्वाला पुत्र छोटा कोठी निहाल गंज	3
19.	मैसर्स भारोती लेदर वर्क्स, कोठी निहाल गंज	5
20	मैसर्स नोतराम गोकुलसिंह जाटव मार्केट	4
21.	मैसर्स ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाटव का मोहल्ला	8
22.	मैसर्स प्रभूलाल पादी से जाटव मार्केट	2
23.	मैसर्स प्यारेलाल पुत्र नन्दराम जाटव मार्केट	2
24.	मैसर्स राम भरोलाल, कोठी निहाल गंज	6
25.	मैसर्स सालिगराम पुत्र धनपाल निहाल गंज	4
26.	मैसर्स सरन पुत्र गंगोनाम किरी मोहल्ला	2
27.	मैसर्स श्रीपत पुत्र धनपाल सिथमेकर	3
28.	मैसर्स सुन्दरलाल पुत्र खरगसिंह	4
29.	मैसर्स प्रकाशचन्द इण्डस्ट्रीज धौलपुर	5
30.	मैसर्स विशन फार्मेसी, धौलपुर	6
31.	मैसर्स धौलपुर ग्लास वर्क्स	3
32.	मैसर्स अब्दुल गफ्फार आइरन वर्क्स, सेठ प्रतापसिंह मार्ग	4
33.	मैसर्स गोपाल इण्डस्ट्रीज मामतीपुरा	5
34.	मैसर्स नब्बी स्टील वर्क्स जगन टाकीज के पास	3
35.	मैसर्स आजाद इण्डस्ट्रीज नरसिंह रोड	4
36	मैसर्स राज इण्डस्ट्रीज सेन्टर रोड	5
37.	मैसर्स अब्दुल गफ्फार मोहम्मद इसलाम ओल्ड सिटी	14
38	मैसर्स अब्दुल हमीद इन्जीनियरिंग वर्क्स सब्जी मन्डी	6
39	मैसर्स अब्दुल आइरन वर्क्स, नरसिंह रोड	4
40	मैसर्स अनवर खां जुम्मा खां ओल्ड सिटी धौलपुर	5
41.	मैसर्स जलुखां लुहार, मनिया बाजार	3
42	मैसर्स मदीर वर्क्स बाजरिवीन नरसिंह रोड	8
43	मैसर्स किशोर मेटल काटेज इण्डस्ट्रीज नियर डकिक	2
44.	मैसर्स राशल दास महावीर प्रसाद गान्धी पार्क	6
45.	मैसर्स खेम चन्द पुत्र मान्नु धौलपुर	1
46.	मैसर्स भारत मोटर ओद्दलो रोड धौलपुर	3

1	2	3
47.	मैसर्स फरिद इन्जीनियर वर्क्स, कचारी रोड	6
48.	मैसर्स हिन्द इन्जिनियर वर्क्स बृजारिया	4
49.	मैसर्स लियाकत इन्जिनियर वर्क्स राजकोरा रोड	4
50.	मैसर्स महेश आटो वर्क्स शोप सब्जी मण्डी	2
51.	मैसर्स गतिमल हाई मोटर वर्क्स, शाक्स व जीटी रोड	8
52.	मैसर्स राकेश इन्जीनियरिंग वर्क्स नारी सिंह रोड	6
53.	मैसर्स रामा आटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, जीटी रोड	3
54.	मैसर्स हीरा खाटेढ रिपेयरिंग, सब्जी मण्डी	1
55.	मैसर्स गुलाबसिंह साइकिल मर्चेन्ट, सब्जी मण्डी	3
56.	मैसर्स मिर्धा गीयर बागुले पुत्र राशीद बागुहा बाजारिया	1
57.	मैसर्स नवाब साइकिल वर्क्स, सब्जी मण्डी	5
58.	मैसर्स नूर मोहम्मद साइकिल स्टोर, दशोरा रोड	एन.ए.
59.	मैसर्स अब्दुल रजाक आइरन वर्क्स, निहालगंज	8
60.	मैसर्स अग्निजनी आटो एण्ड साइन्टिड वर्क्स शोप जीटी रोड	3
61.	मैसर्स अन्सारी टायर सर्विस, जीटी रोड	3
62.	मैसर्स अनवर जीटी रोड	1
63.	मैसर्स मिर्जा स्माइल बाग नरसिंह रोड	2
64.	मैसर्स भारतीय रेडियो रिपेयरिंग सेन्टर सब्जी मण्डी	1
65.	मैसर्स मित्तल रेडियो हाउस नरसिंह रोड	1
66.	मैसर्स. मोदी रेडियो रिपेयरिंग सब्जी मण्डी	1
67.	मैसर्स वर्मा मोटर रिपेयरिंग हाउस हनुमान निराहा	1
68.	मैसर्स कमला इण्डस्ट्रीज, धौलपुर	1
69	मैसर्स गोपाल बेकरीज नाई सरक धौलपु	7
70.	मैसर्स मित्तल आयल इण्डस्ट्रीज स्टेशन रोड	20
71.	मैसर्स नत्थी लाल इण्डस्ट्रीज कोठी	25
72.	मैसर्स ओम प्रकाश एण्ड ब्रादर्स	3
73.	मैसर्स सुन्दर इण्डस्ट्रीज बस स्टेण्ड	10
74.	मैसर्स शर्मा फर्नीचर एण्ड मार्ट जगन चौराहा	8
75	मैसर्स उदयमान प्रिंटिंग प्रेस चूलकोट	15
76.	मैसर्स चरणदास पुत्र कन्हैया सागर पाडा	8
77.	मैसर्स हरिसिंह पुत्र भागीरथ कीरी वार्ड नं. 16	6
78.	मैसर्स सरन पुत्र श्री सुमारा जाटव कीरी वार्ड 16	8
79.	मैसर्स भारत कैमीकल इण्डस्ट्रीज सेन्टर रोड	3

1	2	3
80.	मैसर्स अग्रवाल ब्रिक्स फैक्ट्री धौलपुर	68
81.	मैसर्स राजस्थान विज्ञान विद्योग कोठी	7
82.	मैसर्स हालु पुत्र बुधा राम कुम्हार कचेरी के पास	5
83.	मैसर्स मोती राम पुत्र बुधाराम कुम्हार	5
84.	मैसर्स जुम्मा आइरन वर्क्स सब्जी मण्डी, धौलपुर	5
85.	मैसर्स किशन लाल रमेश चन्द, धौलपुर	5
86.	मैसर्स बन्सल आइल इण्डस्ट्रीज, बगारिया	3
87.	मैसर्स राजस्थान केण्डल इण्डस्ट्रीज	2
88.	मैसर्स अग्रवाल मैटल इण्डस्ट्रीज, भामतीपुरा	13
89.	मैसर्स धौलपुर कोपी हाउस, कोषी	2
90.	मैसर्स मुरारी इण्डस्ट्रीज पुराने पोस्ट आफिस के पास	3
91.	मैसर्स अचल सिंह इन्जीनियर वर्क्स जीटी रोड	3
92.	मैसर्स पी. आर. वुड प्रोडक्ट धौलपुर	8
93.	मैसर्स मोडी दाल मिल्स धौलपुर	5
94.	मैसर्स आर. डी. माइस फैक्ट्री चौकरा रोड धौलपुर	3
		528

पाली तहसील की कृषि भूमि फैक्ट्रियों से प्रभावित

172. श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली तहसील के किन किन गावों की कृषि भूमि पाली शहर की फैक्ट्रियों के कारण बरबाद हो गयी है और उसके कारण जमीन की उत्पादन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई है ? उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कारण पाली शहर के कीकड़ में जो कृषि भूमि है वह भी केमिकल के पानी के कारण प्रभावित हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस कृषि भूमि को केमिकल के पानी के शिकार से बचाने के लिये कोई शीघ्र कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) पाली तहसील में फैक्ट्रियों से निकले रसायन युक्त पानी के कारण जिन जिन गांवों की जमीन पर असर पड़ा है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क')

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार का जल प्रदूषण बोर्ड (Environmental Planning & Coordination Board) उक्त पानी को स्वच्छ करके उपयोग में लाने हेतु प्रयत्नशील है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

पंचायत समितियों व जिला परिषदों में प्रशासकों की नियुक्ति

173. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में केवल पंचायतों के चुनाव कराने तथा पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराने का क्या कारण है ?

(2) उक्त चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

(3) पंचायत समितियों व जिला परिषदों में प्रशासकों को रखने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या पंचायत राज संस्थाओं के गठन सम्बन्धी ढांचे में कोई परिवर्तन करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या क्या और कब तक ?

(5) परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है ?

उत्तर

(1) पंचायत राज के पुनर्गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन होने से चुनाव कराना सम्भव नहीं था।

(2) पंचायत राज के पुनर्गठन के मामले में यथाशीघ्र निर्णय लेकर तद्नुसार चुनाव कराये जायेंगे।

(3) इन संस्थाओं के सामान्य कार्य को निपटाने के लिए प्रशासक रखना आवश्यक है।

(4) जी हां। अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(5) पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके इनके सुचारु रूप से संचालन करने की दृष्टि से इनके पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है।